

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 121वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 121वीं बैठक दिनांक 27/04/2022 को अपराह्ण 13:00 बजे भी देशीशीय दास, अम्बल, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

- डॉ. दीपक सिंहा, सदस्य, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
- श्री आर पी. लियारी, सदस्य सचिव, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण

बैठक को प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, समियोजन, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तथुपरांत एजेंट्सामार व्याविकरण निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेंट्स आवटम क्रमांक-1

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 120वीं बैठक दिनांक 08/04/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुशोदन।

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 120वीं बैठक दिनांक 08/04/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुशोदन किया गया।

एजेंट्स आवटम क्रमांक-2

राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 402वीं बैठक दो दिवसीय दिनांक 15/03/2022 एवं 16/03/2022 की अनुशंसा के आधार पर नीन/मुख्य समिति एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

- मैसर्स बडांजी लाईप स्टोन माइन (प्रौ.- श्री गद्दा राम, आदिवासी हरियन स्टोन काशर को-आपरेटिव सोसायटी), गाम-बडांजी, तहसील-लोहांदीगुड़ा, जिला-बरतार (समियोजन का नम्रती क्रमांक 706)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74574/ 2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा दी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। कामिन में प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 63600/ 2018, दिनांक 27/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए काईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह खदान उल्लंघन की स्थिति था। यह पूर्व से सांचलित चूना पत्थर (मुख्य समिति) खदान है। खदान गाम-बडांजी, तहसील-लोहांदीगुड़ा,

जिला—बरतार शिवत खनन क्रमांक 207 / 13 (पार्ट), कुल शेबफल — 2.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थनन कमता — 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25 / 06 / 2019 द्वारा प्रकरण उत्थनन का होने के पासण अधिसूचना का, आ 1030 (अ) दिनांक 08 / 03 / 2018 के प्राप्तिधानों के अनुसार इन्हींपरीयेट हार्डेकट असेसमेट रिपोर्ट, इन्हींपरीयेट मैनेजमेंट प्लान आदि दियार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मंजूलय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित खेणी 1(ए) का स्टैफ्फर्ड टीओआर (लोक सुनवाई राइल) नीन कोल बाईंगिंग ग्रोवर्डस हेतु दीखेआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई—मेल दिनांक 11 / 06 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 376वीं बैठक दिनांक 16 / 06 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिभिति विहिती कान्फ्रैंसिंग के नाम से उपलिख्य नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई—मेल पत्र दिनांक 16 / 06 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारनों से समिति के समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपलिख्य होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 17 / 06 / 2021 को आयोजित बैठक में सभय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मिलि से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11 / 06 / 2021 के परिपेक्ष की वाइट जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / इस्तायेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई—मेल दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेंद्र राम, प्रोप्रताईटर सलाहकार के रूप में ऐसर्स ओवरशीस बाईंग—टैक कान्सलटेन्ट्स की ओर से डॉ. अंजली हरीनाथ याचाने विहिती कान्फ्रैंसिंग के नाम से उपलिख्य हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई:-

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- कार्यालय कालेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला—बरतार के ज्ञापन क्रमांक 2756 / खनिज / ख.लि.02 / खनिष्टटा / 4 / 94 जगदलपुर, दिनांक 22 / 12 / 2018 के अनुसार वर्षावार उत्थनन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार—

वर्ष	उत्थनन कमता (टन)	वर्ष	उत्थनन कमता (टन)
2001	4,937	2010	10,264.64
2002	13,311	2011	1,300
2003	8,654	2012	1,495.96

2004	5,831	2013	1,501
2005	9,082	2014	—
2006	6,474	2015	776
2007	3,803	2016	3,042,195
2008	6,333	2017	50
2009	5,719		

■ उत्तराखण्ड कार्य दिनांक 08/02/2018 से बंद है।

2. ग्राम पंचायत का अनापवित्र प्रमाण पत्र – उत्तराखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत सहायी का दिनांक 02/10/2018 का अनापवित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराखण्ड जौजना – नीलियाङ्कुश माइनिंग पतान एवं ब्रोडेसिव माइन कलोलर पतान प्रस्तुत किया गया है, जो होमीय खान निवाचक, भारतीय खान ल्यूरी, राष्ट्रपुर के झापन क्लाउक बस्तर/ चूप/ लखो-1155/ 2018/ राष्ट्रपुर दिनांक 18/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 बीटर की परिधि में विधित खदान – बलांगलय कलस्टर (शान्ति शान्ति), जगदलपुर, तिला-बस्तर के झापन क्रमांक 2426/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2018 जगदलपुर, दिनांक 18/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानों क्षेत्रफल 15.83 हेक्टेयर होना चाहाया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 बीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 बीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इसके अलावा ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित कलस्टर अनुसार “कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूसी उस सदृश खनिज होते हैं और वहाँ पट्टे के परिसर से 500 बीटर से कम है।” अर्थात् कलस्टर हेतु होनेवाली खनियत मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 बीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों की शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 बीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 बीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 बीटर की परिधि में विधित सार्वजनिक होत्र/संरचनाएँ – कलांगलय कलस्टर (शान्ति शान्ति), द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 बीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरामट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्षिप्त क्षेत्र निर्धारित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. लीज का विवरण – लीज श्री गद्धारा राम के नाम पर है। लीज लीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/07/1999 से 18/07/2019 तक की अवधि हेतु ऐसी ही।
7. भू-स्थानित्य – भू-स्थानित्य संकेती जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – कर्ता 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. यह किमाण का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय द्वारा नक्सलीकारी, बरतार सामान्य द्वारा मैडल, जगदलपुर के इसापुन इनांक 2219, दिनांक 09 / 07 / 1999 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. महत्वपूर्ण संवर्धनाओं की दूरी – निकटतम आवाही यान–बहाजी 0.75 किमी, स्वूत एवं अवपत्ताल यान–बहाजी 1.5 किमी, की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.36 किमी, एवं राज्यमार्ग 58 किमी, दूर है। छोटा नाला 1.25 किमी, इन्द्रावती नदी 2 किमी, नरगी नदी 4 किमी, एवं भारकगंगा नदी 7.9 किमी, दूर हैं।

11. पारिस्थितिकीय/जैविकियता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में उत्तराञ्चलीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयाशय, कौन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैविकियता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खानन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोस्फिकल रिजर्व 6,30,785 टन एवं माइनेक्स रिजर्व 3,38,838 टन है। लौज की 7.5 मीटर और्डी सीमा पट्टी (उत्क्षेपन के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 4,200 वर्गमीटर है। औपन कार्स्ट सेमी नेकोनाइज्ड विधि से उत्क्षेपन किया जाता है। उत्क्षेपन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। बैच की ऊंचाई 10 मीटर एवं गैदाई 4 मीटर है। खदान की संगतिः अग्र 34 वर्ष है। लौज क्षेत्र में क्षार स्थापित किया गया है। ड्रिलिंग एवं स्लारिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिनकाव किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्क्षेपन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्क्षेपन ROM (टन)
2016-17	1,974 (Actual)
2017-18	0 (Actual)
2018-19	10,000
2019-20	10,000
2020-21	10,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की जाता 8.63 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरपेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल याहुण्ड मीटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

14. वृक्षारोपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा में जाते और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की और्डी सीमा पट्टी में उत्क्षेपन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लौज क्षेत्र के जाते और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,200 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 740 वर्गमीटर क्षेत्र उत्क्षेपित है। उपरीका पूर्व से उत्क्षेपित क्षेत्र को पुनःभवाय कर शास्त्रीय अनुमोदित गाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि गाईनिंग प्लान अनुसार बैस्ट/रुम को 7.5 मीटर और्डी सीमा पट्टी में भेहारण किया जाएगा। साथ ही अनुमोदित गाईनिंग प्लान में क्षार का क्षेत्रफल 19 वर्गमीटर है, जो कि

उपयुक्त प्रतिपादित नहीं होता है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर सीज क्षेत्र के भीतर किसी अन्य क्षेत्र में बैरट/बूथ क्षेत्र व्यस्थापित कर एवं उनकर क्षेत्र का उल्लेख कर लेण्ड यूज पैटर्न की साथ संशोधित अनुच्छेदित मार्फतिनियन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, चार्यावल्य, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल मार्फतिनियन प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। जहाँ कलांक VIII(१) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार मार्फतिनियन प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। जोकि कलांक VIII(१) के अनुसार—

18. हृ.आई.ए. रिपोर्ट का विवरण—

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — मॉनिटरिंग छार्ट मार्च, 2019 से मई, 2019 के नव्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्मेंत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर धू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर गिर्दली के नमूने एककित कर विवरणित किया गया है।
 - ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₂₅ 21.14 से 33.66 माइक्रोग्राम/घनमीटर पी.एन.₂₅ 47.38 से 64.55 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 8.54 से 13.82 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 9.82 से 18.95 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुसार है।
 - iii. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40.2 डीबीए से 59.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.4 डीबीए से 56.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुसार है।
 - iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40.2 डीबीए से 59.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.4 डीबीए से 56.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुसार है।
19. लोक सुनवाई दिनांक 13/01/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान — फ्रेसा हील, जिला कल्यालय, जगदलपुर, जिला—बलतार में संयोग हुई। लोक सुनवाई दाता वैज नदरव्य विधिव, उत्तीर्णसंग्रह पर्यावरण संवर्कण बोर्ड, गया रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर के पत्र दिनांक 08/02/2021 द्वारा प्रोक्ति किया गया है।
20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- i. स्थान क्षेत्र में पास बरते समय बैल गिर गया था एवं एक घटित की भी मृत्यु हो गई थी।
- ii. पानी की व्यवस्था, मजदूरी की व्यवस्था वीमा आदि की व्यवस्था नहीं है।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबोधित ग्रामी वो ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक गूनवाई के दौरान उत्ताप्य यद्ये विभिन्न मुददों के शिराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक गती और से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. पूर्व में हुई दुर्घटना हेतु मुआवजा दिया गया है। साथ ही ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो इस हेतु खदान क्षेत्र के बारे और फैसिंग कार्य किया गया है। लेकिन प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खदान क्षेत्र के बारे और फैसिंग का कार्य नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक हात्ता उत्तरान कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पर्वती फैसिंग (आरसीसी के खाने एवं कटीली तार से) पूर्ण करने के उपरांत ही किया जाएगा।
 - ii. सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्य एवं स्थानीय संस्थाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।
 - iii. शिक्षित बोरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आधिकारिकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
21. इन्हायरोमेटल मैनेजमेंट प्लान — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बलस्टर में कुल 4 खदाने आती हैं। अतः इन्हायरोमेटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं—
- i. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परियोजना के दौरान सड़कों/एग्रीय रोड से उत्तरम् धूम उत्तरांतर के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - ii. खदान के 7.5 बीटर क्षेत्र में (2,100 नग) यूक्तारोपण एवं यूक्तारोपण के रस-रक्षण हेतु अनुमानित राशि 2,10,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - iii. परियोजना का जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणकला के आंकड़न हेतु अर्थवाचिक मौनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरोमेटल मौनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
 - iv. इन्हायरोमेटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उपर कार्यों हेतु कुल राशि 4,50,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- समिति का मत है कि बलस्टर में आने गाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, बलस्टर हेतु पांच दर्ती का कैरिएम इन्हायरोमेटल मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच दर्ती का व्यक्तिगत (Individual) इन्हायरोमेटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
22. कॉर्पोरेट पर्सोनलीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
23. पर्सोनलीय कार्यपूर्ति हेतु कार्यवीजना—

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न कार्यवाला के आवार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:-

$$EC = PI \times NxRxS \times LF$$

Where,

EC - Environmental compensation in Rs.

PI - Pollution Index of Industrial Sector

N - Number of days of violation took place

R - a Factor in Rs. For EC

S - Factor for scale of operation

LF - Location Factor

$$\text{Environment Compensation} = PI \times NxRxLF \times S$$

No of days(N)= 74

$$\text{Environment Compensation} = 80 \times 74 \times 100 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 1,48,000/-$$

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आकलन की Methodology हेतु लिए गये मिर्ची वो अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेसेफियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) राखे 1,48,000 रुपये की गणना को मान्य किया गया।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation वो राखे में राशि 1,48,000/- रुपये का उपयोग किये जाने हेतु उपयुक्त प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से मिर्चीनुसार मिर्ची किया गया था:-

- उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुनोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- प्रस्तुत 500 मीटर के दूरावधि पर ऐसे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इआईए नोटिविकेशन 2008 (यथा संशोधित) में परिभिरत बलस्टर अनुसार "कोई बलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टै के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् बलस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विकारालीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (बलस्टर में खदानों को यहीं तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवशिष्ट न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में नंदिन, सरकार, अस्पताल, लकौल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने जावल जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- लीज सीमा से निकटतम उन क्षेत्र की वास्तविक दूरी सबसी जानकारी हेतु उन किभीन से जारी अनापरित प्रमाण पत्र की अदान / पहुनच प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल डाउनल बीटर अधीसिली से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. लौज शीढ़ की ऐप्सा दृष्टि एवं भू-उपयोगित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
7. कलस्टर में आने वाली समस्त खदानी को शामिल करते हुए, कलस्टर हेतु पांच वर्षीय कार्यक्रम हुन्हायलोगेट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच वर्षीय कार्यक्रियालय (Individuals) हुन्हायलोगेट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
8. लौज शीढ़ के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेपटी जॉन) के कुछ भाग उत्तराधिकार हैं एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायी (Remedial Measures) एवं रिजर्वेशन की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
9. जारी टीओआर के बिन्दु नमांक 11, 16, 24, 25, 27 एवं 36 की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दु नमांक 6 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
11. समिलि द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में रुपये 1,48,000/- कापये निर्दिष्ट की गई। इसका उपयोग आस-पास के जासक्तीय रक्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवीटर हार्डिंग व्यवस्था एवं यूआरीप्ल किए जाने हेतु विस्तृत कार्यक्रम (प्रस्तावित रक्कूल/महाविद्यालय/संस्थान का नाम, पक्षा एवं कार्यवार लाच का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया जाए।
12. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1,48,000/- रुपये की बैंक बांकटी एवं रामयद्दृ कार्यक्रम का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाय नंडल, नपा रायपुर झट्टल नगर, जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया जाए।
13. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
14. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एवं नुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है। तदुपरोक्त नवीन गठित चार्ज टलरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) शमिलि की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नवद्वा राम, प्रोप्रोराइटर उपस्थित हुए। शमिलि द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अकलीकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि माईनिंग प्लान का अनुसूचित भारतीय खान

बहुत से होता है। जिसमें लगभग 3 माह का समय लगता है। अतः संक्षेपित अनुसूचित शारीरिक प्लान जला करने हेतु 3 माह का समय प्रदान किया जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खण्ड शाखा), जगदलपुर जिला-प्रस्तार के ज्ञापन क्रमांक 2010/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदाने, क्षेत्रकाल 15.63 हेक्टेयर हैं।
3. कार्यालय कलेक्टर (खण्ड शाखा), जगदलपुर जिला-प्रस्तार के ज्ञापन क्रमांक 2009/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी संतुष्टिशील होता होने वाला, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, नहिंजड़, गुरुद्वारा, मरघट, दारिंगिनीक स्थल एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिशतित होने निर्मित नहीं है।
4. कार्यालय बन मण्डलाधिकारी, कामगढ़ल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.पि./1113 जगदलपुर दिनांक 20/03/2019 से जारी अनापलित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकाटतम बन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी की दूरी पर है।
5. भू-जल की सुपरियोगिता हेतु सेन्ट्रल शार्टप्ल बॉटर अधीरिटी की अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. यह जासक्तीय भूमि है। लौज श्री महादा राम के नाम पर है। लौज कीड़ 20 वर्षी अवधि दिनांक 19/07/1999 से 18/07/2019 तक की अवधि हेतु दिया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि एम.एम.डी.आर. एकट 2015 में संशोधन होने से लौज अवधि 50 वर्ष की गई है। हूँकि बड़ाजी खदान हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति लिपित होने के कारण लौज अवधि विस्तार की प्रक्रिया लगी हुई है। पर्यावरण स्थीकृति प्राप्त होते ही लौज कीड़ 50 वर्षी अवधि दिनांक 18/07/2049 तक की अवधि हेतु विस्तारित किया जाएगा।
7. कलस्टर हेतु कीमत इन्व्हायरीमेंटल मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये कलस्टर में कुल 5 खदानें आती हैं। अतः कलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कीमत इन्व्हायरीमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रकल्प लिया गया है। कीमत इन्व्हायरीमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-
 - I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान चालूकी/एप्लीच लैंड से उत्पन्न गूँज उत्पातीन के नियंत्रण हेतु जल चिन्हकार 1.5 कि.मी तक पहुँच मार्गी हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - II. गांव के (1.5 कि.मी तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कलार में (1,000 नम) गृजारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,56,500/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए गृजारोपण के रत्न-रत्नाव हेतु अनुमानित राशि 4,78,950/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
 - III. परिवेशीय वायु, जल, निट्रोजन एवं गृजारोपण के आकलन हेतु अर्धवार्षिक भौमिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरीमेंट भौमिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

- IV. सड़कों / पहुँच मार्ग (1.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- V. ग्रामीणों के लिए हेत्य थेकअप कीम्प हेतु अनुमानित राशि 50,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- VI. कीमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम वर्ष कार्यों में कुल राशि 34,05,250/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
- प्रथम वर्ष में राशि 10,45,450/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डर्ट साप्रेशन, दृक्कारीपण के रख-रखाव, इन्हायरोमेट मॉनिटरिंग, सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेत्य थेकअप कीम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 6,25,150/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डर्ट साप्रेशन, दृक्कारीपण के रख-रखाव, इन्हायरोमेट मॉनिटरिंग, सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेत्य थेकअप कीम्प हेतु पचम वर्ष में राशि 6,09,500/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डर्ट साप्रेशन, दृक्कारीपण के रख-रखाव, इन्हायरोमेट मॉनिटरिंग, सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेत्य थेकअप कीम्प हेतु पाचम वर्ष में राशि 5,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- VII. कीमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों कियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
कीमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होती:-
- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परियहन के दौरान सड़कों/एप्रोप रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिनकतय हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - II. नदि के पहुँच मार्ग में (2,100 नग) दृक्कारीपण हेतु अनुमानित राशि 3,15,000/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। दृक्कारीपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,10,000/- प्रतिवर्ष नें व्यय किया जाएगा।
 - III. परिवेशीय दबु जल, भिट्ठी एवं ध्वनि गुणकला के आकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरोमेट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
 - IV. कीमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम वर्ष में कुल राशि 7,65,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। जिसमें समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
 - V. सीज शेत्र के 7.5 मीटर शेत्र (सेपटी जौन) के कूछ भाग उत्खनित है एवं इस शेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रिजर्व से वर्ष प्रत्युत गणना की

सम्बोधित करते हुए संशोधित अनुमोदित मार्फतिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण की दीर्घाव विधियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज लेव के 7.5 मीटर लेव (लेफ्टी जीन) के उत्तराभित लेव का रेस्टोरेशन (Restoration) एवं रियर्सी की विस्तृत गड़गा कर मार्फतिंग प्लान का अनुमोदन भारतीय खान ब्यूरो से कराकर प्रस्तुत किया जाएगा। अतः संशोधित मार्फतिंग प्लान जमा करने हेतु 3 माह का समय प्रदान किया जाए। कमिटी का मत है कि प्रशिद्धित 7.5 मीटर लीजी सीमा पट्टी में उत्तराभित किया जाना पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। अतः नियमानुसार आवायक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

9. जारी दी.ओ.आर की दिनु क्रमांक 11, 16, 24, 25, 27 एवं 36 की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में उल्लंघन नहीं किये जाने के संबंध में समय पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
11. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1.48,000/- रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग शासकीय प्रायमरी स्कूल, बरांजी एवं शासकीय अपर प्रायमरी स्कूल, तराईभट्टा में ऐवीटीप हाईरिंग व्यवस्था किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया।

Activity	Amount
Rain water Harvesting in Govt. Primary School Baranji	81,300
Rain water Harvesting in Govt. Upper Primary School Traibhata	87,100
Total	1,68,400

12. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1.48,000/- रुपये की रैक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाण मंडल, नदा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर में प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु नियमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Primary School Village-Baranji (Khaspara)	
			Solar Lighting System	0.20
			Drinking and Domestic Water Facility	0.30
			Sanitation Facility	0.30
			Total	0.80

14. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर की पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी क्रमांक 22250ILG002421 दिनांक 01/11/2021 (राशि रुपये 1,48,000/-) जारी किया जाना चाहया गया है।

समिति द्वारा विधाय विभागी उपरान्त शर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:—

1. खार्यालय कलस्टर (खनिज वार्षा), जगदलपुर, जिला—बरतार के इच्छन क्रमांक 2010/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर की भीतर अवैधित 4 खदानों की कुल रकमा 15.83 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (यान—बहावी) का एकत्र 2.02 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (यान—बहावी) को मिलाकर कुल रकमा 17.85 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 बीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-१ श्रेणी की भानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) के ग्राम्यानी एवं मानवीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलस्टर में आने वाली खदानों की उत्पादन गतिशीलियों से पर्यावरणीय घटकों पर पहने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलस्टर में आने वाले गमस्त खदानों की शामिल करने हुये, कलस्टर हेतु कौनन इन्हाइटोगेट नेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, सीमिती तथा खनिकार्म, इन्डावटी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़) के सतर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. समिति द्वारा विधाय विभागी उपरान्त शर्वसम्मति से आवेदक — मेशरी बहावी लाईन स्टोर माईन (प्रौ— श्री महादा राम, आदिवासी हरिजन स्टोर छत्तीसगढ़ को—आपरेटिव सीमायटी) की यान—बहावी, लाहसील—लोहांडीगुडा, जिला—बरतार के खदान क्रमांक 207/13(बाटी) में रिक्त चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल—2.02 हेक्टेयर, क्षमता — 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
4. प्रतिवर्ष 7.5 बीटर बीढ़ी सीमा पट्टी में अधैर उत्पादन किया जाना पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डालयक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भीमिकी तथा खनिकार्म, इन्डावटी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र द्वेषित किया जाए।
5. संशोधित अनुमोदित नाईनिंग प्लान 2 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव ऐवार कर प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) को सूचित किया जाए तथा कार्यपूर्ण उपरान्त प्रभाव पत्र प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावका को निर्देशित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विधाय — उपरायका प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विधाय किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गयौ कि नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गयौ कि

संविधित अनुमोदित लाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रकून के प्राचार्य (Principal) का शहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने उपर्युक्त आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार किए हुए सर्वसम्मति से उपरोक्त के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक से जानकारी / दस्तावेज़ प्राप्त कर, उपर्युक्त अनुमोदन किये जाने हेतु प्रकरण को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एसईएसी, छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेहरा कोरपाल (हीली) लाईम स्टोन कंपनी (प्र).— श्री रामगोपाल नेताम्), शाम—कोरपाल, तहसील—जगदलपुर, जिला—बस्तर (संचिवालय का नम्बर क्रमांक 1653)

ऑनलाइन आवेदन — प्रधोजन नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 212239 / 2021, दिनांक 14 / 05 / 2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में निम्नी होने से इग्यन दिनांक 21 / 05 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पाइल जानकारी दिनांक 26 / 06 / 2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित खूना पाठ्यर (गौण खगिज) खादान है। खादान शाम—कोरपाल, तहसील—जगदलपुर, जिला—बस्तर रिक्त खाला क्रमांक 201, कुल क्षेत्रफल—1.92 हेक्टेयर है। खादान की आवेदित संख्यानन शामता—13,482.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के इग्यन एवं ई—मेल दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) सभिति की 382वीं बैठक दिनांक 30 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामगोपाल नेताम्, प्रोफाराइटर विडियो बान्डेसिंग के माध्यम से उपर्युक्त हुए। सभिति द्वारा नम्भी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिक्ति पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण— इस खादान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
- शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उल्लेखन के संबंध में शाम पंचायत तुरंत वा दिनांक 25 / 08 / 2019 वा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उल्लेखन सौजन्य — कंपनी प्लान एलोग विश्व क्षारी कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खगि अधिकारी, जिला—दक्षिण बस्तर दंतेगढ़ा के इग्यन क्रमांक 10 / खगिज / ल.यो. / 2020-21 दंतेगढ़ा, दिनांक 09 / 04 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में रिक्त खादान — कार्यालय कालोजर (खगिज लाला), जिला—बस्तर के इग्यन क्रमांक 1090 / खगिज / ल.लि.4 / 07 / 2020-21 / उ.प.

/2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सांख्या निम्नलिखित है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-इस्टर के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनिज/खालि 4/07/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यौंसे नहिं, गरघट, अस्पताल, कक्ष, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति अवृद्धि प्रतिक्रियित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एलओआई, संबंधी गिरवण – एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-इस्टर के ज्ञापन क्रमांक 870/खनिज/खालि 4071/2020–21/खनिज/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 29/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी फैलत जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. मू–स्थानित्य – भूमि स्थानित्य संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत किये गये हैं। जो कि अपठनीय है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापलित प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वस्तर प्रामाण्य वन मण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.पि./428 जगदलपुर, दिनांक 28/01/2009 से जारी अनापलित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा संरक्षित वन क्षेत्र से 0.507 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—कोरपाल 1 कि.मी. एवं अस्पताल जगदलपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजनार्थ 6 कि.मी. दूर है। इन्द्रावती नदी 9 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावका द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण कोड़े द्वारा घोषित किटिकली पौल्युट्रेक एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रियित किया है।
12. खनन सांपर्दा एवं स्थनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,16,000 टन, माईनिंगल रिजर्व 1,32,262 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,19,036 टन है; लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्खनन के लिए प्रतिवधित क्षेत्र) का कोरपाल 3,904 घाँटीटर है। ओपन कार्ट सीमा मेकेनाइज्ड विधि से उल्खनन किया जाएगा। उल्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 4.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में छपरी मिट्टी की घोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 13,745 घाँटीटर है। इस मिट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलावत दृष्टांतेपण के लिए उपयोग किया जाएगा। देश की अंतर्वाई 1.5 मीटर एवं बीड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सांगतिक आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्राकार स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रकाल 0.1 हेक्टेयर है। जोक हेक्टेर से डिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण निवापण हेतु जल का डिफ्काव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उल्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन् (टन)
प्रधम	13,200
द्वितीय	13,200
तृतीय	13,200
चतुर्थ	13,200
पंचम	13,200

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन् (टन)
प्रधम	13,200
द्वितीय	13,200
तृतीय	13,200
चतुर्थ	13,200
पंचम	13,462

नोट: लालिका में उत्पादन को पार के अंकों को साहाय्यांकित किया गया है।

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की नात्रा 5 एकड़ीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति यात्रा पंचायत द्वारा टैकर के गव्यान से की जाएगी। इस बाबत यात्रा पंचायत का अन्यायित प्रभाग पर प्रस्तुत किया जाएगा।
14. यूक्तारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 975 नग यूक्तारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तरानन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर नाईनिंग क्षेत्र – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सॉकिंग हेतु 100 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर नाईनिंग क्षेत्र बता जाएगा। इसका उल्लेख नाईनिंग प्लान में किया गया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी की चूल मात्रा 13,745 एकड़ीटर है, जिसको लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में 2.95 मीटर की ऊंचाई तक भंडारण यात्रा यूक्तारोपण किया जाएगा। जिसके परिपेक्ष में समिति चरा नहा है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक भंडारण किया जाना सम्भव नहीं है। ऊपरी मिट्टी भंडारण ब्रह्मण की उपयुक्त ज्ञानकारी प्रस्तुता नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत अनुयोदित नाईनिंग प्लान में ऊपरी मिट्टी भंडारण प्रब्रह्मण को शामिल करते हुए संसोधित नाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ती आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्पादन सार्वजनिक से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. भूमि स्वामित्व संबंधी ज्ञानकारी/उत्पादन की पठनीय प्रति प्रस्तुत किये जाये।
2. लीज सीमा से निकटतम घन क्षेत्र एवं कांगूर फैली राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक दूसी संबंधी ज्ञानकारी, उन विभाग से जारी अन्यायित प्रभाग पर प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) को भंडारण की उपयुक्त प्रवर्तन को समर्हित करते हुए संस्थानित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. पाल की आपूर्ति हेतु आम पेंचायत का अनापरित प्रभाष पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण प्रियलंग के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

सदानुसार एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के इापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित साध्य स्तरीय पिशेषज्ञ भूत्याकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के इापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामगोपाल नेताम् प्रोप्राइटर उपरिख्यत हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अदलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार भूमि श्रीमती कल्पना एवं श्री बदूल के नाम पर है। उल्लेखन हेतु भूमि स्वामियों के साहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. कायांलय गिरेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जनदलपुर के इापन क्रमांक/स.अधि./1914 जगदलपुर, दिनांक 27/08/2021 से जारी पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र संरक्षित बन होने की सीमा से 0.507 किमी. एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से 16 किमी. की दूरी पर है।
3. रियाईस्ड बदारी खान एलीम विथ बदारी कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जनि अधिकारी, जिला-दलिंग बस्तान दरोवादा के इापन क्रमांक 658/खनिज/उत्तरायो./2021-22 दरोकारा, दिनांक 25/09/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार लौज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 17,101 घनमीटर है, जिसमें से 3,904 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित कर युक्तिशेषण किया जाएगा तथा शेष 13,197 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहस्री प्राप्त भूमि (खस्ता क्रमांक 205, क्षेत्रकल 0.85 हेक्टेयर) में भंडारित किया जाएगा।
4. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न कियाकलायों (जल छिड़काव, युक्तिशेषण) हेतु जल की आपूर्ति आम कोरपोरेशन के सार्वजनिक नाला एवं पेयजल की आपूर्ति हेतुपाय से ही जाएगी। इस बाबत प्राप्त वंचायत का अनापरित प्रभाष पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थान निरीक्षण उपरांत निमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at Government Primary School, Village-Korpal	
30	2%	0.60	Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Total	0.75

श्रीडूआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- काशर की लघापना हेतु शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति हारा तत्त्वान्वय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- लीज सीमा से निकटतम बन होने के संबंध में बन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
- श्रीडूआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- काशर की लघापना हेतु शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
- उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तक सत्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.डॉ.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ की छापन दिनांक 31/01/2022 के परिणेष्य में परियोजना प्रस्तावक हारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/02/2022 की प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति हारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न नियमित पार्टी गई:-

- कार्यालय निदेशक कांगेर खाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के छापन क्रमांक/प्र.अधि./1606 जगदलपुर, दिनांक 31/01/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित सेत्र बन सेत्र की सीमा से 507 मीटर एवं कांगेर खाटी राष्ट्रीय उद्यान से 16 किमी की दूरी पर है।
- श्रीडूआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. गवर्नर की राधायता हेतु याम प्रबायत सुरोल का दिनांक 28/12/2021 का अनापेक्षित प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है।
4. माननीय एन.जी.टी. डिसिवल बैठक, नई दिल्ली हारा शत्येश चाप्टेप विस्तृत भारत राजकार, चर्यावर्तन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एडिशनोंमान नं. 188 ओफ 2018 हेतु अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में ग्रुप्प रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है।-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति हारा विवार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1080/खानिज/ख.लि.4/07/2020-21/उप./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर के भीतर आविष्ट अन्य खदानों की संख्या भिरंक है। आवेदित खदान (याम-कोरपाल) का रक्का 1.92 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 800 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल हेक्टेयर 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की भागी नहीं।
2. समिति हारा विवार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कोरपाल (श्रीमी) लाइम स्टोन कंपनी (प्रो.- श्री रामगोपाल नेतान) की याम-कोरपाल, लहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर के लासरा क्रमांक 201 में स्थित चूना पत्थर (गोप खानिज) खदान, कुल हेक्टेयर-1.92 हेक्टेयर, क्षमता - 13,462 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति हारा भिरंति किये गये शही का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिवर्ष गोपालिक एवं दण्डालमक कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण हारा बैठक में विवार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विवार किया गया। प्राधिकरण हारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण हारा विवार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुशासा को स्वीकार करो हुये आवेदक – मेसर्स कोरपाल (श्रीमी) लाइम स्टोन कंपनी (प्रो.- श्री रामगोपाल नेतान) की याम-कोरपाल, लहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर के लासरा क्रमांक 201 में स्थित चूना पत्थर (गोप खानिज) खदान, कुल हेक्टेयर-1.92 हेक्टेयर, क्षमता - 13,462 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति हारा भिरंति किये गये शही का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिवर्ष गोपालिक एवं दण्डालमक कार्यवाही की जाएगी।
2. एलओआई की ऐधता तृष्णि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति पत्र जारी किया जाए। परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया जाए।

३. वेसासं शर्मा मिनरल्स (प्रो.— श्री किलोक शर्मा), ग्राम—खुसीपार एवं भाष्टरी, तहसील—डीगरगांव, ज़िला—राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1713) औनलाईन आवेदन — प्रोजेक्ट नम्बर — एसआईए / नीची / एमआईएन / 212738 / 2021, दिनांक 24 / 06 / 2021 को औनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत औनलाईन आवेदन में कथित होने से इसपन दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाहित जानकारी दिनांक 05 / 08 / 2021 को औनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संबंधित चूना पत्थर (भीज सानिज) खदान है। खदान ग्राम—खुसीपार एवं भाष्टरी, तहसील—डीगरगांव, ज़िला—राजनांदगांव विधि छाता क्रमांक 363 / 1(पाठी), 363 / 2(पाठी), 363 / 3, 363 / 4, 363 / 5(पाठी), 363 / 6(पाठी), 363 / 8(पाठी), 363 / 12, 363 / 13(पाठी), 363 / 14(पाठी), 363 / 18(पाठी), 363 / 10, 361 / 4 एवं 253 / 2(पाठी), कुल क्षेत्रफल—1.34 हेक्टेयर में है। खदान की आयोगित उत्तरानन क्षमता—10,560 टन प्रतिवर्ष है।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, शतीसमड़ के इसपन एवं ई—मेल दिनांक 27 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01 / 09 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री किलोक शर्मा, प्रोप्राइटर विडियो कान्फ्रैंसिंग के मालियम से उपरिकृत हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अदलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधियां पाई गई—

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में चूना पत्थर खदान खदान क्षमांक 363 / 1(पाठी), 363 / 2(पाठी), 363 / 3, 363 / 4, 363 / 5(पाठी), 363 / 6(पाठी), 363 / 8(पाठी), 363 / 12, 363 / 13(पाठी), 363 / 14(पाठी), 363 / 18(पाठी), 363 / 10, 361 / 4 एवं 253 / 2(पाठी), कुल क्षेत्रफल—1.34 हेक्टेयर क्षमता—10,560 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सतीसम पर्यावरण सम्बाद मिशनरण प्राधिकरण, ज़िला—राजनांदगांव द्वारा दिनांक 19 / 09 / 2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति ३ वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के नस्ती के बालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शतीनुसार वृक्षालेपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कालेक्टर (सानिज जार्खा), ज़िला—राजनांदगांव के इसपन क्षमांक 335 / ख.सि.02 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 09 / 06 / 2012 द्वारा दिनांक दर्जी में लिये गये उत्तरानन की जानकारी निम्नलिखित है—

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिसम्बर 2018 से 31 मार्च 2019	10,005
2019–20	10,005
2020–21	10,005

2. याम पर्यायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्तरानन के सबैमध्य में द्वाम पर्यायत लुसीपार का दिनांक 23/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तरानन योजना – कार्यालय प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप सचिवालय (खनि प्रभाग), जिला-रायपुर के पु. इापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-६/2018/३५७(३) रायपुर, दिनांक 21/05/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलौकटर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के इापन क्रमांक ९९१/ख.लि.०२/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आयोदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवैधत २ खदानों, शेत्रफल १९१२ हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलौकटर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के इापन क्रमांक ९९१/ख.लि. ०२/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मैदान, गरघट, स्कूल, अवधारणा, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवेदित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं लौज का विवरण – भूमि एवं लौज की विलोक तथा के नाम पर है। लौज छोड़ ३० वर्षों अर्थात् दिनांक ०५/१०/२०१८ से ०४/१०/२०४८ तक की अवधि हेतु देखें।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव बनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के इापन क्रमांक/वाचि./न.क्र. १०-१/२०२०/५२६२ राजनांदगांव, दिनांक १४/०७/२०२१ से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आयोदित क्षेत्र की सीमा बन भूमि से ७.५ कि.मी. की दूरी पर है।
9. महावपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी द्वाम-लुसीपार १.४ कि.मी., रक्कुल द्वाम-लुसीपार १.५ कि.मी., एवं असामाल ढोगरगांव ८.८ कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग १२ कि.मी. एवं राजमार्ग ११ कि.मी. दूर है। नाला ०.०५ कि.मी. एवं शिवनाथ नदी ४ कि.मी. दूर है।
10. पारिविधत्तिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० कि.मी. की परिधि में अतर्जीजीव सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अम्यानण्ड, कोन्हीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिटिकली पीट्युटेल एरिया, पारिविधत्तिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. खनन संघदा एवं उत्तरानन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग ५,६९,५०० टन एवं माईनेक्स रिजर्व लगभग १,८०,०१० टन है। लौज की ७.५ मीटर खोदी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल ६,३८९ वर्गमीटर है। ओपन कार्स्ट सीमा नेत्रोनाइजर द्विती से उत्तरानन किया जाता है। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकतम रहस्याई १७ मीटर है। ऊपरी निटटी की मोटाई १ मीटर एवं मात्रा ७८० घनमीटर है। इस निटटी की सीमा पट्टी (७.५ मीटर) में कैलाकर लुसीपार के लिए उपयोग किया जाएगा। देव की ऊचाई ३ मीटर एवं ऊँझाई ३

मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में छाशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से डिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में बायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षावर प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
प्रथम	10,005
द्वितीय	10,005
तृतीय	10,006
चतुर्थ	10,006
पंचम	10,006

आगामी वर्षों का उत्थान योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
छठम	10,005
सप्तम	10,560
अष्टम	10,560
नवम	10,350
दशम	10,350

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 मीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलायों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास विभिन्न निषिद्धानों में एकलिंग जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोर्डर के बाह्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु बोर्डर बाह्यबोर्डर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,350 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वहाँमान में 600 नग वृक्षारोपण किया गया है। हेतु 750 नग पौधे 15 दिन के सीतर पूर्ण किया जाएगा। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 600 नग पौधे लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन – प्रभावीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5.369 वर्गमीटर है, जिसमें से उत्तर दिशा के 105 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक एवं परियोजना दिशा के 80 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्थानित है। इस प्रकार कुल 185 वर्गमीटर क्षेत्र उत्थानित है। समिति का मत है कि उपरोक्त पूर्व से उत्थानित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्राप्त तथा रियर्स की दिस्तुत गणना को समावेश करते हुए संक्षेपित अनुमोदित मार्फतिंग प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहुं पिल्ली द्वारा नीन कोल नाईनिंग प्रोजेक्टस हेतु मानव पर्यावरणीय शर्ती जारी की गई है। शर्ती क्रमांक VIII(i) के अनुसार—

"Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to

arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एका भानक शाती के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर कीडे सेपटी जोन में बृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरात निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government High School, Village-Khursipar	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation with fencing	0.25
			Total	0.60

समिति द्वारा तत्त्वाभ्यास सार्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेपटी जोन) के बाहर भान उत्तरित है एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्वेशन की विस्तृत गणना को समावेश करती हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने उपरात अन्यानी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नकीन गठित संघर्ष सत्रीय विहारका मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक श्रीवास्तव अधिकृत प्रतिनिधि उपसंचालक हुए। समिति द्वारा नकीन, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई-

- नोडिकार्ड जलाशय प्लान (जलाशय का हन्डारोमेट नेटजेनेट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संवालक (ख.प्र.), रायपुरमालय, भीमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5028/खानि 02/ना.प्ल.अनुमोदन/न.प्ल. 05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 13/10/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके

अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 8,03,000 टन, माइक्रोबल रिजर्व लगभग 1,80,007 टन एवं रिक्वारेबल रिजर्व 1,42,493 टन है।

2. लीज होर के भारी और 7.5 ग्रीटर की रीफ पट्टी का कुल सेंट्रफल 6,399 वर्गमीटर है, जिसमें से उत्तर दिशा के 30 वर्गमीटर होर 3.5 ग्रीटर की गहराई तक एवं पश्चिम दिशा के 20 वर्गमीटर होर 4 ग्रीटर की गहराई तक उत्तरानित है, इस प्रकार कुल 185 वर्गमीटर होर उत्तरानित है। उपरोक्त पूर्व से उत्तरानित होर को पुनर्जलव कर तृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः उपरोक्त कर कमालव कार्य हुए अनुमोदित माइग्रिंग प्रकार प्रस्तुत किया गया है।
3. समिति के सझान में यह तथ्य आया कि परिवेजना प्रस्तावक की लीज होर का विन्हाँकन एवं सीमांकन करकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समिति हारा यह भी निर्दिष्ट किया गया कि रिक्वारेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्तरान्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित करकर शापथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति हारा उत्तमता सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज होर का विन्हाँकन एवं सीमांकन करकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. रिक्वारेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्तरान्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित करकर शापथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तकरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णघास के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 के परिषेक्षण में परिवेजना प्रस्तावक हारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति हारा नक्ती, प्रस्तुत जानकारी का ज्ञालोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठा पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खगी हारा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1528/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 24/09/2021 के अनुसार लीज होर का विन्हाँकन एवं सीमांकन करकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. रिक्वारेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्तरान्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित करकर शापथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. भानीय एन.टी.टी., ड्रिसिप्ट बैच, नई दिल्ली हारा रालवेंड पार्किंग निलम्ब भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायन परिवर्तन बंजालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मूल्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विवार दिमांक सुपरीत संवैधानिकता से निम्नानुसार विषय लिया गया:-

1. कायलिय कलेपटर (खानी जाता), जिला-राजनांदगांव के इलायन क्रमांक 991/ख. लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भौतिक अवस्थित 2 खदानों क्षेत्रफल 1.912 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (जाम-खुरीपार एवं भास्तरी) का रकमा 1.34 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (जाम-खुरीपार एवं भास्तरी) को निम्नाकार कुल रकमा 3.252 हेक्टेयर है। खदान की लीना से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान शी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्रतिवर्ष 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संवालक, सौनिकी तथा रानीकर्म, इन्द्रावती गवन, नदा रायपुर अटल नगर की आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
3. समिति द्वारा विवार दिमांक सुपरीत संवैधानिकता से आवेदक – मेसर्स हमां बिनरल्स (प्रौ. – श्री जिलोक हमां) की जाम-खुरीपार एवं भास्तरी, तहसील-झीगरगांव, जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 363/1(पार्ट), 363/2(पार्ट), 363/3, 363/4, 363/5(पार्ट), 363/6(पार्ट), 363/8(पार्ट), 363/12, 363/13(पार्ट), 363/14(पार्ट), 363/18(पार्ट), 363/10, 361/4 एवं 253/2(पार्ट) में रिक्त चूना पत्थर (गौण लहनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर, कमता - 10,560 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संवन्ध 121की बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवती का अवलोकन किया गया। विवार दिमांक सुपरीत प्राधिकरण द्वारा संवैधानिक समिति की उपरोक्त सभी अनुशंसा की स्थीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स हमां बिनरल्स (प्रौ. – श्री जिलोक हमां) की जाम-खुरीपार एवं भास्तरी, तहसील-झीगरगांव, जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 363/1(पार्ट), 363/2(पार्ट), 363/3, 363/4, 363/5(पार्ट), 363/6(पार्ट), 363/8(पार्ट), 363/12, 363/13(पार्ट), 363/14(पार्ट), 363/18(पार्ट), 363/10, 361/4 एवं 253/2(पार्ट) में रिक्त चूना पत्थर (गौण लहनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर, कमता - 10,560 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा विहित किये गये रूपी का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत पैदानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

4. मेसर्स श्री नौहन पोददार (टेम्पररी परिषिट रटोन करारी), जाम-सिरखोला, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (संविवालय का नवती क्रमांक 1815) और जाम-आवेदन – प्रपोजल नगर – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 228815/2021, दिनांक 11/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण पत्रक (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—खिंचोला, तहसील—भरतपुर, ज़िला—कोरिया लिंगत खदान क्रमांक 140, गुल कोडपाल—058 हैबटेचर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तरानन शमला—51,711 टन (19,889 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार पारियोजना प्रस्तावक को एकाई दरी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) सामिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022-

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री अनुपशंख सिंह चौहान, अधिकृत प्रतिभिति उपरिषद तुरे। सामिति छात्रा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तरानन के संबंध में ग्राम पंचायत घोटी का दिनांक 27/05/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। नमिति का नहा है कि ग्राम खिंचोला को पंचों का अनापत्ति प्रमाण पत्र बगवाही विवरण नहिं प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- उत्तरानन योजना — क्षारी ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, ज़िला—कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1253/खनिज/उत्तरायो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 01/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परियि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—कोरिया को ज्ञापन क्रमांक 1278/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, कोडपाल 2 हैबटेचर होना बताया गया है, जिसमें केवल विद्युताधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परियि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों को 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ईआईए नेटिकलेजन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित जलस्टर अनुसार “कोई जलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् जलस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्युताधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करती हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (जलस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
- 200 मीटर की परियि में स्थित सार्वजनिक होम/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1277/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परियि में कोई भी सार्वजनिक होम/जीरो मसिजट, बरघट, बांध, स्कूल, अन्पताल, एनीकट एवं पुल (आदि प्रतिबंधित होम निर्मित नहीं हैं।

६. भूमि एवं एलओआई, सावंथी विवरण – यह सावंथीय भूमि है, जिसमें एलओआई, कार्यालय कलेकटर (खणिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक ३३/खणिज/अनुज्ञा पत्र/२०२० बोरिया फैक्ट्र्यपुर दिनांक ०७/०१/२०२१ द्वारा अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी की गई, जिसकी फैक्ट्र्या जारी दिनांक से २ वर्ष की अवधि तक है।
७. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
८. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ बनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /ए.आ./२०२१/२३८६ मनेन्द्रगढ़, दिनांक ०७/०८/२०२१ से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र बन होने की सीमा से ०.२५ कि.मी. से अधिक दूरी पर है।
९. गहत्यापूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटसम्म आवाही याम-सिरखोला ०.५ कि.मी., रक्कल याम-सिरखोला १ कि.मी. एवं अस्पताल याम-सिरखोला १.५ कि.मी. की दूरी पर स्थित है। साज्यमार्ग ०.१ कि.मी. दूर है। गव्यापद्वा औरराज्यीय सीमा १.५ कि.मी. दूर है।
१०. पारिस्थितिकीय/जौवाहिकियता हावेदनशील होने – परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० कि.मी. की परियोजने में साफ्टीय उदान, अभयारण्य, कोन्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिटिकली फैल्युटर एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील होने या घोषित जौवाहिकियता होना प्रतिवेदित किया है।
११. स्थान संबंधी एवं स्थान का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग १,४६,४१९ टन (५६,३१५ घनमीटर), माइनेशन रिजर्व लगभग ८०,६४८ टन (३१,०१८ घनमीटर) एवं रिक्लॉरेक्ल रिजर्व ७८,२२९ टन (३०,०८८ घनमीटर) है। लीज की ७.५ मीटर सीमा पट्टी (उल्लंघन के लिए प्रतिशतिःशुल्क) का सेक्षकल २,१७९ घनमीटर है। औपन कास्ट सीमी मेंकेनाईज़ यिहि री उल्लंघन किया जाएगा। उल्लंघन की प्रस्तावित अधिकाराम गहराई १५ मीटर है, जिसमें से १ मीटर पहाड़ी होने है। कृपशी खिट्टी की गोटाई ०.२ मीटर है तथा कुल गात्रा ७२४ घनमीटर है। इस खिट्टी की सीमा पट्टी (७.५ मीटर) में फैलाकर दृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। दैर्घ्य की गोटाई १.५ मीटर एवं ऊंचाई १.५ मीटर है। उदान की संभावित आयु २ वर्ष है। लीज होने में छज्जर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से डिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। उदान में वायु प्रदूषण गियर्जन हेतु जल का छिक्काव प्रस्तावित किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उल्लंघन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम	प्रस्तावित उल्लंघन (टन)
प्रथम	५१,७११
द्वितीय	२६,३९०

१२. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा ५ घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति याम पंचायत द्वारा टैकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
१३. दृक्षारोपण कार्य – लीज सीत्र की सीमा में चारी ओर ७.५ मीटर की पट्टी में ५४५ नग दृक्षारोपण किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की ऊंची सीमा पट्टी में उत्खनन - लौज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। शामिल का गत है कि "परियोजना के तहत (आवला, बड़ा पीपल, गीम, आम, अर्जून, बेल आदि) जाम पंचायत के सहमति उपरान्त गवायीय स्थान (खासराजार पिंडरण सहित) में चुकारोपण हेतु पीछी, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव राहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। शब्द ही रकूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तक का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
16. नीईआर के तहत चुकारोपण हेतु पीछी का रोपण, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव राहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

शामिल द्वारा उत्काशय सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 800 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों को 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इसीलिए नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित बलस्टर अनुसार "कोई बलस्टर उस समय बनाया जाएगा जब एक लौज के परिसरों से बीम दूरी उस सदृश छानिज क्षेत्र में अन्य पट्टी के परिसर से 500 मीटर से ज्यादा है।" अर्थात् बलस्टर हेतु होनोप्रिनियता गिनती क्षेत्र में विचारधीन खदान के लौज सीमा से 800 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लौज सीमा के 800 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (बलस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवशिष्ट न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति हेतु यान चालाकत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त विवरण अनुसार नीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रकूल के प्राचार्य (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. नीईआर के तहत चुकारोपण हेतु पीछी का रोपण, सूखा हेतु पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यव का विवरण राहित प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त खालित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तक उपरान्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

उदानुसार एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022 के परिषेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(व) समिलि की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022-

शामिल द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अप्लोडन एवं परीक्षण करने पर गिरा रिपोर्ट पाई गई:-

- कार्यालय कलेक्टर (खानिज खाता), ज़िला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1998/खानिज/अस्थाई अनुज्ञा/2022 कोरिया दैक्षण्यपुर, दिनांक 03/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।
- जल की आधुनिक हेतु याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- श्रीड्डीज़ार के अंतर्गत "परिवर्तन यन" के तहत (आंबला, बड़ीपाल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) कृषानोपयन हेतु प्रस्ताव प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 20,000 रुपये, कोरिया के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रक्ष-रखाव के लिए राशि 3,37,500 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,77,500 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परंतु परिवेशना प्रस्तावके द्वारा याम पंचायत के सहभाति उपरांत अधारोन्य पद्धति (खासतावार विवरण सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्ताव नहीं की गई है तथा स्कूल में आलगिरा, पर्यावरण संबंधी युक्तिक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार) की व्यवस्था / रक्ष-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं की गई है।
- श्रीड्डीज़ार के तहत कृषानोपयन हेतु पौधों का रोपण, सुखाना हेतु कोरिया, खाद एवं सिंचाई तथा रक्ष-रखाव के लिए 5 वर्ष का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- मानवीय एनजीटी, प्रिशियल बैंग, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (आर्जितगत एवियोशन नं 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को घारित अंदेश में मुक्त्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
 - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खानिज खाता), ज़िला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1998/खानिज/अस्थाई अनुज्ञा/2022 कोरिया दैक्षण्यपुर, दिनांक 03/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-सिरखोला) का रक्षा 0.56 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-सिरखोला) को निलाकर कुल रक्षा 2.56 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान श्री-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेशरा श्री गोहन पौददार (टेल्फरी परमिट स्टोन लारी) की याम-सिरखोला, ताहसील-मरात्पुर, ज़िला-कोरिया की खसता क्रमांक 140 में विधित साधारण पैस्तर (शीण खानिज)

खदान, कुल क्षेत्रफल—0.58 हेक्टेयर, कमता — 51,711 टन (19,889 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के अंतर्गत “परिच दन” के तहत (धार्मिक बहु पीपल, गीम, आम, खर्जुन, बेल आदि) जाम पंचायत के सहमति अनुसार ग्राम्योग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) पर रक्षणापना करने तथा साथ ही रक्कुल में आलगिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तक (रक्कुल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार) की व्यवस्था/रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव दीयार करे एवं प्रस्तावित रक्कुल के प्राचार्य (Principal) को सूचित किया जाकर परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार कार्य पूर्णता उपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को सम्पन्न 121की बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार विषय किया गया—

1. सभिति की अनुशंसा की व्यक्तिगत करते हुये आवेदक — मेहरा श्री गोहन पोददार (टेम्पररी परमिट स्टोन क्वारी) की ग्राम—लाल्हनटोला, तहसील—भरतपुर ज़िला—कोरिया के खसरा क्षेत्रक 140 में स्थित साधारण पत्थर (गीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—0.58 हेक्टेयर, कमता — 51,711 टन (19,889 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरकृति दिए जाने का निर्दय किया गया। साथ ही सभिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन नुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विविधत् वैज्ञानिक एवं दार्शनिक कार्यवाही की जाएगी।
2. सीईआर के अंतर्गत रक्कुल में आलगिरा पर्यावरण संबंधी पुस्तक की व्यवस्था/रख-रखाव के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सीईआर के अंतर्गत “परिच दन” के तहत जाम पंचायत के सहमति अनुसार ग्राम्योग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) की जामकारी/दस्तावेज करते हुये सीईआर की राशि (कुल राशि 3,77,600 रुपये) को छत्तीसगढ़ राज्य बन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जाना किये जाने की सूचना एसईआईए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीरकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेहरा श्री गोहन पोददार (टेम्पररी परमिट स्टोन क्वारी), ग्राम—लाल्हनटोला, तहसील—भरतपुर, ज़िला—कोरिया (साधिकालय का नस्ती ज़मांक 1816) ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए./ सीजी/ एमआईएन/ 238847 /2021, दिनांक 11/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—लाल्हनटोला, तहसील—भरतपुर, ज़िला—कोरिया स्थित खसरा क्षेत्रक 522, कुल क्षेत्रफल—1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तरानन कमता—91,767 टन (35,295 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईए.ए. छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकारण हेतु भी अनुपराज सिंह घोड़ाग, अधिकारी प्रतिनिधि उपसिंचत हुए। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अधलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरण याइ गई -

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्तराखण के संघर्ष में ग्राम पंचायत लालानटोला का दिनांक 30/07/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्तराखण योजना - जारी पत्रान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के झापन क्रमांक 1252/खनिज/उत्त.यो.अनु./2021 कोरिया डेकुण्ठपुर, दिनांक 01/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के झापन क्रमांक 1276/खनिज/उ.प./2021 कोरिया डेकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवधित अन्य खदानों की सख्ता निरक्षित है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के झापन क्रमांक 1274/खनिज/उ.प./2021 कोरिया डेकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 के अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यैसे मस्जिद, मरम्हत, बांध, स्फूल, अस्पताल, एनीकट एवं पुल आदि प्रतिष्ठित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
- भूमि एवं एलओआई संबंधी विवरण - यह शासकीय भूमि है, जिसमें एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के झापन क्रमांक 225/खनिज/अनुज्ञा पत्र/2020 कोरिया डेकुण्ठपुर, दिनांक 11/02/2021 द्वारा अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (वा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के झापन क्रमांक/वा.वा./2539 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 18/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र का क्षेत्र की सीमा से 0.25 कि.मी. से अधिक दूरी पर है।
- महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-लालानटोला 1.6 कि.मी., स्फूल एवं अस्पताल ग्राम-लालानटोला 1.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 3.6 कि.मी. दूर है। यैस्तु नदी 3.5 कि.मी. एवं भारप्रदेश औरांगजीय सीमा 19 कि.मी. दूर है।
- पारिविवरणीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - विविहारणा प्रस्तावक हारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्यान्य, कोन्ट्रीय प्रदूषण विषयक बीर्ड हारा प्रौद्योगिकी पील्युटेल एरिया, पारिविवरणीय

संवेदनशील क्षेत्र या खोलिए जैवविविधता क्षेत्र सिवता नहीं होना प्रतिक्रियित किया है।

11. आनन्द चांपदा एवं खदान का विवरण — खियोलीजिकल रिजर्व लगभग 3,90,000 टन (1,50,000 घनमीटर), माइनेबल रिजर्व लगभग 1,89,429 टन (72,867 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,83,746 टन (70,671 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर औड़ी सीमा पट्टी (उत्थानन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,940 घनमीटर है। ओपन कास्ट सेनी मैक्सिमाइज़ेल लिंग से उत्थानन किया जाएगा। उत्थानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है, जिसमें से 9 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। ऊपरी लिंटी की ऊँचाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,530 घनमीटर है। इस लिंटी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर घृणारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेच की ऊँचाई 1.5 मीटर एवं ऊँचाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आगे 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कशर ल्यापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। यौक हैमर से ब्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ल्यापिटिंग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिङ्काव किया जाएगा। पर्यावार प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
प्रथम	91,767
द्वितीय	84,162

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति द्वारा पंचायत द्वारा टैकल के माध्यम से किया जाएगा। दूस बाबत द्वारा पंचायत का अनापूर्ति प्रमाण पर व्यक्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. घृणारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में बारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 736 नग घृणारोपण किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की औड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन — लीज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थानन कार्य नहीं किया गया है।

15. कॉर्पोरेट एन्विरण्मील रिप्लिबिलिटी (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "परियोजना" के तहत (आवला, बढ़ पीपल, नीम, लाल, अर्जुन, बेल आदि) द्वारा पंचायत के सहनाति उपरान्त घृणारोपण द्वारा (खदानावार विवरण सहित) में घृणारोपण हेतु पीछी, पीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सहूल में आत्ममिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तक का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु विर्द्धित किया गया है।

16. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित ल्यूल के प्राकार्य (Principal) का सहनाति चर्चा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. सीईआर के तहत घृणारोपण हेतु पीछी का रोपण, पीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. जल की आपूर्ति हेतु याम पंचायत का अनापवित्र प्रभाव पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त पिवरन अनुसार सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रक्कूल को प्राचार्य (Principals) का राहगाती पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. सीईआर के तहत दुकानीय पत्र हेतु पीढ़ी का रैपर, गुरुका हेतु कैंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक्ष-रखाव को लिए 5 वर्ग का घटकवार व्यव का पिवरन सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तक संत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022 के परियोजने में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई:-

1. जल की आपूर्ति हेतु याम पंचायत का अनापवित्र प्रभाव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सीईआर के अलंकृत "परिवर्तन" के तहत (अवलोकन, बहु पीपल, नीम, आम, अनून, बेल आदि) दुकानीय पत्र हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीढ़ी के लिए राशि 20,000 रुपये, कैंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रक्ष-रखाव के लिए राशि 3,37,500 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,77,500 रुपये 5 वर्ग हेतु घटकवार व्यव का पिवरन प्रस्तुत किया गया है। परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा याम पंचायत को सहमति देखायी व्यवस्था रखान (खासतावार पिवरन सहित) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है तथा रक्कूल में आलमिल, पर्यावरण संबंधी पुस्तक (रक्कूल में विद्यार्थियों की संख्या की अनुसंधान) की व्यवस्था / रक्ष-रखाव के संकेत में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. सीईआर के तहत दुकानीय पत्र हेतु पीढ़ी का रैपर, गुरुका हेतु कैंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक्ष-रखाव के लिए 5 वर्ग का घटकवार व्यव का पिवरन सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
4. भानवीय एनजीटी, ग्रिनिवल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भासा जारी, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 औफ 2016 एवं अन्य) में विनांक 13/09/2016 की पारित आदेश में मुद्रण रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा पिचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के उपरान्त फ़ासांक 1275 / खनिज / रा.प. / 2021 कोरिया बैंकुण्ठपुर, दिनांक 04/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवशिष्ट अन्य खदानों की सच्चा निर्णय है। आवेदित खदान (ग्राम-लाखनटोला) का रक्कड़ 1 हेक्टेएर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेएर या उससे कम होने के काला यह खदान बी-2 क्षेत्री की मानी गई।
- सभिति हारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री भौमन घोषदार (टेक्सरी परमिट रटोन क्लारी) की ग्राम-लाखनटोला, लहरील-भरतपुर जिला-कोरिया के खसरा फ़ासांक 522 में किया साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेएर, लमता - 91,767 टन (36,295 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा श्री.इ.आर के अंतर्गत "परिवर्तन" के तहत (आकल, बढ़ औपल, नीम, अम, अजून, बेल आदि) ग्राम पंचायत की सहमति अनुसार यथायोग्य रथान (खसराचावर विवरण सहित) पर स्थापना करने तथा साथ ही स्वालूल में आलमित्र, पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्वालूल में विद्यार्थियों की सच्चा की अनुलूप) की व्यवस्था/रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव दीया और एवं प्रस्तावित स्वालूल के प्राचार्य (Principal) को सूचित किया जाकर परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार कार्य पूर्णता उपरान्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्राधिकरण हारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को लाप्त 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण हारा भरती का अकान्तोकान किया गया। प्राधिकरण हारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- सभिति की अनुमति को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स श्री भौमन घोषदार (टेक्सरी परमिट रटोन क्लारी) की ग्राम-लाखनटोला, लहरील-भरतपुर जिला-कोरिया के खसरा फ़ासांक 522 में किया साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, क्षेत्र क्षेत्रफल-1 हेक्टेएर, लमता - 91,767 टन (36,295 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभिति हारा निहित विन्योग से शर्ती का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की नियति में विचित्र विधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- श्री.इ.आर के अंतर्गत रक्कड़ में अलमित्र, पर्यावरण संबंधी पुस्तक की व्यवस्था/रख-रखाव के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही श्री.इ.आर के अंतर्गत "परिवर्तन" के तहत ग्राम पंचायत की सहमति अनुसार यथायोग्य रथान (खसराचावर विवरण सहित) की जानकारी/दस्तावेज का उल्लेख करते हुये श्री.इ.आर की राशि (कुल राशि 3,77,500 रुपये) को उत्तीर्णगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने की सूचना इस.इ.आई.ए.ए. उत्तीर्णगढ़ को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसासी बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड छिरालेवा—वी (प्र).— श्री घूम कुमार अचार्याल (गाम—छिरालेवा, तहसील—बसना, ज़िला—महाराष्ट्र (संविवालय का नस्ती छन्मांक 1603)

ऑनलाइन आवेदन — प्रयोजन नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 203439 / 2021, दिनांक 14 / 03 / 2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कागियों होने से झापन दिनांक 22 / 03 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पारित जानकारी दिनांक 26 / 03 / 2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है। यह पूर्व से संसाधित साधारण पत्रधर (गोप खानिया) खदान है। खदान गाम—छिरालेवा, तहसील—बसना, ज़िला—महाराष्ट्र लिखा खदान छन्मांक 97, कुल क्षेत्रफल—1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्थानन क्षमता — 71,351 टन प्रतिवर्ष से 1,43,840 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 21 / 05 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 370वीं बैठक दिनांक 27 / 06 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद राजकमार अचार्याल, अधिकृत प्रतिनिधि वित्तियों कान्डेशिंग के नाम्यम से संपर्कित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अकलीकान एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में साधारण पत्रधर खदान खदान छन्मांक 97, कल क्षेत्रफल—1 हेक्टेयर, क्षमता—71,351 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य सतर पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकारण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 31 / 12 / 2019 के जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जल्दी के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नम् कृषारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर खनिज ताला, ज़िला—महाराष्ट्र के झापन छन्मांक 406 / क / खनि. / अ.अनु. / न.का. / 21 महाराष्ट्र, दिनांक 08 / 03 / 2021 द्वारा विभाग दर्शी में विव्ये गये उत्थानन की जानकारी निर्मानुसार है—

दिनांक	उत्थानन (घनमीटर)
13 / 03 / 2020 से 30 / 06 / 2020 तक	10,191
01 / 07 / 2020 से 31 / 12 / 2020 तक	29,200

2. गाम पंचायत के अनापति प्रभाण पत्र — उत्थानन के संबंध में गाम पंचायत कोटेनदरहा का दिनांक 12 / 06 / 2019 का अनापति प्रभाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्थानन योजना — मौकिकाइड क्वारी प्लान लिख प्रोजेक्शन क्वारी कलोजन प्लान एम्फ इम्प्रूवमेंट ऐमेंटमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संघालिक (स.प.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के झापन

क्रमांक 308 / खानी०२ / मा.पल.अनुसूचन / नं.क्र.०२ / २०१९ नवा रायपुर दिनांक 26 / 01 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खानीज शाखा), जिला-महासमृद के ज्ञापन 1872/क/अ.अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमृद दिनांक 16/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित १ खदान, ३२ हेक्टेकर होना चाहाया गया है। जिले के बत विद्याराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त लदानों के 500 मीटर की भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (व्या संशोधित) में परिभाषित कलस्टर अनुसार “कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस कादूज खानीज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् कलस्टर हेतु होनेवाले विभिन्न खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को ज्ञापित करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य सभी लदानों को (कलस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) ज्ञापित किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित पार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खानीज शाखा), जिला-महासमृद के ज्ञापन 1414/क/अ.स्थाई अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमृद, दिनांक 16/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र या व्यार्थिक ल्यत, नदियाँ, नरियाँ, भरपट, अस्पताल, रसूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. लीज का विवरण – चूमि शासकीय नहीं है। लीज की दूब बहुमत अव्याप्त कराया गया है। लीज की २ वर्षीय अवधि दिनांक 13/03/2020 से 12/03/2022 तक की अवधि हेतु यैथ है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. घन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनम-डलाधिकारी, शाखा-ब बनम-डल, जिला-महासमृद के ज्ञापन क्रमांक/मा.धि./खानीज/2073 महासमृद दिनांक 22/06/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-डिर्लिया ०.२५ कि.मी., स्कूल ग्राम-डिर्लिया ०.५५ कि.मी. एवं अस्पताल सराईपाली ७ कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ७ कि.मी. एवं राज्यमार्ग ८ कि.मी. दूर है।
10. पारिसंरिथितीय/चौबियिक्षता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० कि.मी. की परिधि में अस्तरोन्योगीय सीमा, राष्ट्रीय उडान, अम्यारपथ, बोन्हीय प्रदूषण विवरण कोड हासा चौबियिक्षता डिस्ट्रीक्टी पील्युटेड एरिया, पारिसंरिथितीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण – जिक्कोल-जिक्कल रिजर्व ३,४३,२२६ टन, माझौनेपल रिजर्व १,८१,३६६ टन एवं रिक्क्वरेबल रिजर्व १,४३,७०८ टन है। लीज की ७.५ मीटर बीड़ी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल

2,840 वर्गमीटर है। ऊपर कालट सेमी मेलोनाइज़ विधि से उत्पानन किया जाएगा। उत्पानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में कष्टी घिर्ही की गहराई 0.5 मीटर है तथा कुल गहरा 3,136 वर्गमीटर है। इस घिर्ही को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर बृक्षारोपण को लिए उपयोग किया जाएगा। देश की ऊचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की साधारित ऊंचाई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र में छापर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। यौक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान ने गान्धी प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिकाव किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्पानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्पानन (टन)
प्रथम	1,43,840
द्वितीय	7,454

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल गी नाड़ा 4 वर्गमीटर प्रतिदिन होती। जल की आपूर्ति टैक्स द्वारा द्वाम पंचायत के भूभाग से किया जाएगा। इस भूभाग द्वाम पंचायत का जनापन प्रमाण यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. बृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्पन्नित हैं। उपरोक्त उत्पन्नित क्षेत्र को युनिभरेट प्रस्तुत किया गया है। बृक्षारोपण का कार्य शेष है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्पानन — प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्पन्नित हैं। उपरोक्त उत्पन्नित क्षेत्र को युनिभरेट प्रस्तुत किया गया है। बृक्षारोपण का कार्य शेष है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्ध विस्तार से वर्णी संपर्क निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.20	2%	0.36	Following activities at Gram Panchayat Bhawan School, Village – Kotendarha	
			Rain Water Harvesting System	0.36
			Plantation	0.15
			Total	0.51

16. यह अनुत्तम विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायन विभाग के एकीकृत होकर्य कार्यालय, रायपुर से बेगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्पानन सर्वसम्मति से निम्नानुसार विण्य लिया गया था—

- उपरोक्त विवरण अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उबल खदान से 500 बीटर के भीतर अवैधित अथवा खदानों के संबंध में अद्वैत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- जल आपूर्ति हेतु दाम पर्यायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत सीईआर के प्रस्ताव का कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- लीज शेत के शासी ओर उत्तराधित 7.5 बीटर शेत में किये गये पुनर्माव शेत में घुटारोपण का कार्य कर पोटोशाफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शासी के पालन में की गई कार्यकारी की जानकारी एकीकृत शेती का कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, भारत सरकार, रायपुर एवं विधीजनक प्रस्तावक द्वारा जानकारी/इस्तावेज इमार दिनांक 26/07/2021 एवं 31/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।
- उपरोक्त रामस्त घूर्ण जानकारी / इस्तावेज प्रस्तुत किये जाने समर्थन आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तथा अनुसार एसड़े एसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 को परिषेक्य में एकीकृत शेतीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, भारत सरकार, रायपुर एवं विधीजनक प्रस्तावक द्वारा जानकारी/इस्तावेज इमार दिनांक 26/07/2021 एवं 31/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं वर्तीकण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महानगर द्वारा 1111/क/खलि/अआ/न.झ./2021 महानगर दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अवैधित 1 खदान, शेतफल 3.2 हेक्टेयर है।
- खदान में डिसिन किंचकलायी (जल छिड़काय, घुटारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास नियत नियिक्य सुदानों में एकान्त्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति मार्केट से प्राप्त (Packed drinking water) कर्नवी भी जाएगी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत सीईआर के प्रस्ताव अंतर्गत रेन बीटर हार्डिंग का कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा रेनिंग बैटर की सुरक्षा के संबंध में कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- लीज शेत के शासी ओर उत्तराधित 7.5 बीटर शेत में किये गये पुनर्माव शेत में घुटारोपण का कार्य कर पोटोशाफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शासी के पालन में की गई कार्यकारी की छिन्नायार जानकारी एकीकृत शेतीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, भारत सरकार, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 26/07/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 3 शासी (शासी नं. 2, 3 एवं 5) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 5 शासी (शासी नं. 7, 15, 16, 21 एवं 29) का पालन नहीं किया गया है।
- उपरोक्त पालन नहीं किये गये शासी के परिषेक्य में समिति का मत है कि शासी का पूर्णतः पालन किये जाने के उपरांत ही जानकारी कार्यकारी भी जाएगी। साथ

ही वृत्तारोपण का कार्य पूर्ण कर पौटीयापत्र सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त दिये गये विवरण अनुसार आशिक पालन एवं पालन नहीं किये गये शर्तों के परिषेक्षण में पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. एकीकृत कार्यालय परिवरण बन एवं ऊलायायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार वैध वाईस सरकारण कार्य नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त के संबंध में कार्यालयी किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खणिकार्म की अनुरोध किया जाए।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शारीनुसार लीज क्षेत्र के बाहर और 7.5 मीटर क्षेत्र में वृत्तारोपण का कार्य पूर्ण कर पौटीयापत्र सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2021 के परिषेक्षण में परियोजना प्रस्तावक एवं संचालक, नियन्त्रणालय, भौमिकी तथा खणिकार्म द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 05/10/2021 की प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य सरकारी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक की एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रियेक अध्यक्ष, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीन, प्रस्तुत जानकारी का अध्योक्तन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठिति पाई गई:-

1. उपरोक्त में दिये गये विवरण अनुसार आशिक पालन एवं पालन नहीं किये गये शर्तों के परिषेक्षण में पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-महारामगुंद के ज्ञापन 1443/का/ख. फि./स.प./21 महारामगुंद दिनांक 28/09/2019 द्वारा पत्र में उल्लिखित तथा निम्नानुसार है:-

- “उल्लिखित अनुद्घानार्थी द्वारा छत्तीसगढ़ गौव खणिज नियम, 2015 के नियम 61 एवं नियम 58 का उल्लंघन किया गया है। इस हेतु छत्तीसगढ़ गौव खणिज नियम 51(26) के तहत अनुद्घानार्थी को प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 8,000 रुपये अर्थदण्ड का बार गुणा रुपये 20,000 दिनांक 28/01/2021 शास्ति की रूप में लगा कराया गया।
- लानि निरीक्षक जांच एवं प्रतिवेदन अनुसार अनुमोदित खनन योजना में वैध नियमों किया जाना था जो नहीं किया गया है। वैध नियमों के अलांकृत 1,534 घनमीटर खणिज में से 500 घनमीटर खणिज का परिवहन दिक्षिणमन्त नहीं है शेष खणिज स्वीकृत क्षेत्र के अंदर स्टीक रखा गया है साथ ही बैंक खणिज समस्त वैध नियमों हेतु प्राक्प्रानित क्षेत्र में से 500 घ.मी. अवैध रूप से निकलकित किया गया है। जो कि वैधानिक नहीं है बाज़ बाज़ अर्थदण्ड रुपये 2,65,000 दिनांक 28.09.2021 शास्ति की रूप में लगा कराया गया।”

- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नियोजित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर क्षेत्र में यूआरीपण का कार्य पूर्ण किया गया है। परंतु फोटोग्राफ़िक प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया था:-

- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नियोजित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये यूआरीपण का फोटोग्राफ़िक प्रस्तुत की जाए।
- दिग्गज वर्ष 2021 में किए गए उत्तरानन की वास्तविक मात्रा की जानकारी समिति विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
- उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

लदानुसार एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिणेत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ दिनांक 11/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(d) समिति वी 394 की बैठक दिनांक 12/01/2022:

समिति द्वारा नशी, प्रस्तुत जानकारी का अबलौकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिप्पति पाई गई-

- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नियोजित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये यूआरीपण का फोटोग्राफ़िक प्रस्तुत किया गया है। प्रतिक्षेपित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्ती का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विलक्षण नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
- कायलिय कलेक्टर (खणिज शाखा), ज़िला—महासन्दुक के ज्ञापन क्रमांक 73/क/खलि/न.क्र./2021 महासन्दुक दिनांक 11/01/2022 द्वारा दिग्गज वर्ष 2021 में 68,363 टन सत्यादन किया है।
- समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का विनाशक एवं सीमांकन कराकर खणिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- समिति द्वारा यह भी निर्दिष्ट किया गया कि रिक्वोरेवल रिजर्व के अनुसार ही उत्तरानन कार्य करने हेतु नीटरी से सत्यापित कराकर इपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रतिक्षेपित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अपेक्षित उत्तरानन किया जाना चाहे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विलक्षण नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सञ्चालक, संचालनालय, भौगोलिक संचालन एवं नदी राष्ट्रपुर अटल नगर तथा कैरोल अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
- लीज क्षेत्र का विनाशक एवं सीमांकन कराकर खणिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. निकाहरेख रिजर्व के अनुसार ही उत्तमन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वाइलिं जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

लदानुसार एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 के परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(इ) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा गतीय, प्रस्तुत जानकारी का अप्रत्योक्तन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1740, दिनांक 15/02/2022 द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंधी मंडल को एवं एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1741, दिनांक 15/02/2022 द्वारा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा लैनिकम्, नवा रायगुर डटल नगर को इलिविट 7.5 बीटर चौड़ी शीघ्र घट्टी में अपेक्षा उत्तमन विन्या जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विस्तृद नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही कियी जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला—महासंग्रह के ज्ञापन क्रमांक 251/क/ख.लि./च.प./21 महासंग्रह, दिनांक 18/02/2022 के अनुसार तीज बीत का विनांकन एवं तीमाक्तन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
3. निकाहरेख रिजर्व के अनुसार ही उत्तमन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. माननीय एन.जी.टी., विसिपल बेंग, नई दिल्ली द्वारा सत्येत पार्किंग विस्तृद भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन बंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 द्वारा पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विषय समर्पित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला—महासंग्रह के ज्ञापन 1111/क/ख.लि./अ.आ./न.क्र./2021 महासंग्रह, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अवैधित 1 खदान, कुलकल 3.2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (यान—छिर्लिया) का रक्का 1 हेक्टेयर है। इस द्रकार आवेदित खदान (यान—छिर्लिया) को निलाकर कुल रक्का 4.2 हेक्टेयर है। खदान की शीघ्र से 500 बीटर की परिधि में स्थीकृत/संघातित खदानों का कुल

क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की जाएगी।

2. प्रतिवर्षित 7.5 मीटर औरी सीमा पट्टी में अंगैर उत्तराखण दिया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के पिस्तु नियमानुसार आवश्यक दण्डालम्बक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा ओडीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बंडल को पृथक से कार्यवाही किये जाने हेतु पञ्च प्रेषित किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार दिया हुआ संतुष्ट सर्वसम्मति से आदेदक – मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड घिरीलेवा-बी (प्रो.- श्री धूप कुमार अद्यावाल) की ग्राम-घिरीलेवा, तहसील-बसना, जिला-महाराष्ट्र के खदान क्षमांक 97 में नियम साधारण पत्रकर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 बर्फी में कुल क्षमता 75,436 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी करने का विर्णव दिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की रिप्टि में विधिवत वैधानिक एवं दण्डालम्बक कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27 / 04 / 2022 को संघन 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवी का अवलोकन किया गया। विचार दिनर्स उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की उपरोक्त सभी अनुशासा को सीखार करते हुये आदेदक – मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड घिरीलेवा-बी (प्रो.- श्री धूप कुमार अद्यावाल) की ग्राम-घिरीलेवा, तहसील-बसना, जिला-महाराष्ट्र के खदान क्षमांक 97 में नियम साधारण पत्रकर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 बर्फी में कुल क्षमता 75,436 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी करने का विर्णव दिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की रिप्टि में विधिवत वैधानिक एवं दण्डालम्बक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

7. मेसर्स जोगीबीह बार्टलाईट बवारी (प्रो.- श्री शीलेन्द्र दुर्व (पुजारी)), ग्राम-जोगीबीह, तहसील व जिला-धनतरी (रायिवालय का नवी क्षमांक 1558)

प्रयोजन नम्बर – एसआईए / सीजी / एनआईएन / 198667 / 2021, दिनांक 17 / 02 / 2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आदेदन में जानियाँ होने से इष्टपन दिनांक 06 / 03 / 2021 द्वारा जानकारी प्रत्युत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याचित जानकारी दिनांक 01 / 06 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता के विस्तारीकरण का प्रकरण है। यह पूर्व से संवादित क्षाट्टलाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोगीबीह तहसील व जिला-धनतरी रियात पाट ऑफ खासा क्षमांक 84 एवं 198, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में है। खदान की अवैदित उत्तराखण क्षमता-94,920 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी छत्तीसगढ़ के इष्टपन एवं ई-मेल दिनांक 11 / 06 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

बैठकों का विवरण –

- (अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17 / 06 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रैलेन्ड युवे पुजारी, प्रोफराइटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उनके हारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थिति के उपरोक्त तकनीकी समस्या होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं हो सका। अतः परियोजना प्रस्तावक हारा दिनांक 19/06/2021 की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति हारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति हारा तत्काल सर्वेशम्भवि ही निर्णय किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में देखित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष की वाहिना जानकारी एवं समस्त सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज सहित आमानी आयोजित बैठक दिनांक 19/06/2021 को प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ब) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रैलेन्ड युवे पुजारी, प्रोफराइटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति हारा नरसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित याई गई:-

1. यूवे में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में बाटोजाईट नाईन घटस्त छमांक 84 एवं 198, क्लॉफल 6 हेक्टेएर, शमला— 11,320 टन पर्यावरणीय स्थीकृति जिला शारीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—शमला द्वारा दिनांक 04/10/2018 को जारी की गई। यह स्थीकृति शास्त्र द्वारा निर्धारित कालयोग्य के लिए मान्य थी।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यकारी की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - iii. निर्धारित शारीनुसार दृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), से विभिन्न बक्षों में किये गये उत्तरानन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. ग्राम पंचायत का अनापरित प्रभाग पत्र — उत्तरानन के साथ में ग्राम पंचायत भीतर का दिनांक 04/02/2019 का अनापरित प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 3. उत्तरानन योजना — भौद्धिकीकरण ऑफ द आइड क्लान द्वारा द्वारा ग्राम पंचायत क्षारी कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संघालनालय, भौद्धिकी तथा उनिवर्सिटी, जिला—शमला के ज्ञापन छमांक 1256/जिलो./क्षारी स्थीर/प्लान नं. 40/2017 शायपुर, दिनांक 19/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—शमला के ज्ञापन छमांक 935/क्षा./2020 धनहरी, दिनांक 10/06/2020 के अनुसार आयोदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित कान्य खदानों की संख्या निर्दित है।
 5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए — खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मसिजद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिवर्षित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं के साथ में प्रभाग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज की सोनेश डाकलिया के नाम पर है। लीज लीड 30 वर्षों की दिनांक 03/05/2019 से 02/05/2049 तक है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रवर्तुत की गई है।
8. बन किमाण का अनापरित प्रभाग पत्र – कार्यालय एनमण्डलाधिकारी सानान्ध उनमण्डल घमतरी, ज़िला-घमतरी के इापन क्लानक/मार्गी/जी. /6494 घमतरी दिनांक 22/12/2009 से जारी अनापरित प्रभाग पत्र अनुसार आयोदित होने वाले भूमि की सीमा से 1.5 किमी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – लिकटलम आवादी ग्राम-बागोडार 0.66 किमी. एवं स्थूल ग्राम-बागोडार 0.65 किमी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 किमी. एवं राज्यमार्ग 6 किमी. दूर है।
10. पारिसिध्धतिकीय/जौविविष्टता कार्येदनशील होत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की विस्तृति में अंतर्भूक्तीय सीमा, राष्ट्रीय उदान, अभयारण्य, कैन्टीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित फिटिकली पील्युटेक एरिया, पारिसिध्धतिकीय कार्येदनशील होत्र या घोषित जीवविविष्टता होत्र सिंधत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलागिकल रिजर्व 10,46,724 टन एवं माईनेकल रिजर्व 8,28,980 टन है। लीज की 7.5 मीटर लांबी सीमा पट्टी (उत्कलन की लिए प्रतिक्रिया होत्र) का क्षेत्रफल 9,000 वर्गमीटर है। औपन कास्ट क्षेत्री नेकोनाईज़र विधि से उत्कलन किया जाता है। उत्कलन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज होत्र में ऊपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर तथा कुल बाक़ 13,900 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार 8,430 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्डी) होत्र में चुकारीपाण के लिए उपयोग तथा हीष ऊपरी मिट्टी को स्वयं वी भूमि पर संरक्षित रखने हेतु स्थान प्राधिकारी से अनुमति लुपरात भंडारित किया जायेगा। देश की गहराई 1.5 मीटर एवं लांबाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 9 वर्ष है। लीज होत्र में छावार स्थापना का प्रस्ताव किया जाया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कट्टोल एक्स्ट्रिंग किया जाता है। खदान एवं छावार में यात् प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिक्काय किया जाता है। उत्कलन में प्रवर्तुत माईगिंग लान अनुसार पर्यावर प्रस्तावित उत्कलन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्कलन (टन)
2020-21	94,920
2021-22	94,920
2022-23	92,400
2023-24	94,080
2024-25	94,080

12. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीड आर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के सम्मानित वार्षिक उपरात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at Government School, Village - Bagodar	
75	2%	1.50	Rain Water Harvesting System	0.50
			Solar Lighting System	0.50
			Plantation	0.50
			Total	1.50

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.56 मीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरडेल से ही जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल शार्टएड बौटर अधीसिटी से अनुमति लिया गया है, जो दिनांक 14/05/2022 तक वैध है।

14. कृषारोपण कार्य – लीज थोड़े की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2500 नग कृषारोपण किया जाएगा।

15. खदान वर्षी 7.5 मीटर की घोड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज थोड़े की सीमा और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुरीकरण की दीर्घावासीन प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि लीज थोड़े में क्षेत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तुतिपूर्वक है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में नहीं किया गया है। सनिति का मत है कि माईनिंग प्लान में क्षेत्र का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

सनिति द्वारा उत्खानय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- पूर्व में जारी प्रतिवर्तीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत थोड़ीय कार्यालय, भवत शरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सावेजनिक थोड़े जैसे नदिय, मसिजद, मरम्पट, अस्पाल, स्पूल, पुल, बांध एवं इंजिनियर आदि प्रतिवर्तीय थोड़े निर्मित हैं अथवा नहीं की संख्या में कार्यालय कलेक्टर (खनिज साक्षा) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- माईनिंग प्लान में क्षेत्र का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- दिग्न दर्ता में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

५. एथल निरीक्षण उपरात समस्त व्यय (Capital Cost) को शामिल कर, सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
६. समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., घटकीसगढ़ को इापन दिनांक 26/09/2021 के परिषेक्षण में परिवर्तित कर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/10/2021, 29/11/2021 एवं 03/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की ३९४वीं बैठक दिनांक 12/01/2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु भी शीलेन्ड ट्रूसे पुजारी, प्रोफराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा जानी प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधियाँ पाई गईं—

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के तहीं के पालन में वीर गाई कार्यवाही की विन्दुपार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायी परिवर्तन गंडालघु, भासल राजकार, रायपुर के इापन दिनांक 29/11/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार ३ शारी (शारी जनांक ७, 11 एवं 17) का आधिक पालन बताया गया है एवं ६ शारी (शारी जनांक २, १३, १९, २५, २९ एवं ३०) का पालन नहीं किया गया है।
२. कार्यालय कलेक्टर खणिज शास्त्रा, जिला-प्रभागी के इापन जनांक ९६८/खणिज/उ.प./2021 द्वारा जारी प्रगति पत्र अनुसार उक्त खणिज से २०० मीटर की परिधि में बोई भी सार्वजनिक क्षेत्र और स्नानीय भौमिका अनुमोदित नाइगिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। जियोलॉगिकल रिपोर्ट १०,४६,७२४ टन एवं नाइगिंग रिपोर्ट ७,८८,३४० टन है।
३. कार्यालय क्षेत्रीय प्रनुद्ध संचालनालय, जीपिकी तथा खणिकां, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के इापन जनांक १०४५/जियो/क्षेत्रीय स्थीम/प्लान नं. ४०/२०१७ रायपुर दिनांक ३०/०७/२०२१ द्वारा लीज लैन में कलार को उत्तेज करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित नाइगिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। जियोलॉगिकल रिपोर्ट १०,४६,७२४ टन एवं नाइगिंग रिपोर्ट ७,८८,३४० टन है।
४. कार्यालय कलेक्टर खणिज शास्त्रा, जिला-प्रभागी के इापन जनांक ९६७/खणिज/उ.प./2021 द्वारा जारी दिनांक १६/०७/२०२१ की अनुसार विभिन्न वर्षों में किये गये उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्तरानन (टन)
2019	1,140.64
2020	997.2

५. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के शम्भव विस्तार से चर्चा उपरात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

			Rupees)
Following activities at Government Primary School, Village - Bagodar			
100	2%	2.0	Rain Water Harvesting System
			Plantation
			Total
			2.00

प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र एवं युआरोपण हेतु फैसले का दोपण, सुखाना हेतु फैसिल, खाद एवं शिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्वावधी सर्वसम्मति से निम्ननुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आंशिक एवं अपूर्ण भार्ती का पालन पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र में बाहुण्डी फिल्टरहर लगाकर खनिज किमान से प्रभागित कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीईआर के तहत युआरोपण हेतु फैसले का दोपण, सुखाना हेतु फैसिल, खाद एवं शिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त याचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तकरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

लदानुसार एसईएसी, छलीसागढ़ के द्वापन दिनांक 10/02/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 24/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठानि दर्ज हैं:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के भार्ती के पालन में की गई कार्यवाही के भार्ती द्वारा 2, 7, 11, 13, 17, 19, 25, 29 एवं 30 का पालन नहीं किया गया है। उक्त के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोरोना काल के बावरण उनके द्वारा आंशिक पालन एवं पालन नहीं किया गया। उनके द्वारा 6 माह में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के भार्ती को पूर्ण पालन कर पालन ब्रितिवेदन फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस परिपेक्ष में समिति का मत है कि प्रस्तुत शपथ पत्र की आवार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के भार्ती को पूर्ण पालन कर पालन ब्रितिवेदन फोटोग्राफ्स सहित 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज तात्त्व), जिला-जनतारी के द्वापन द्वारा 442/खनिज/संलि./2022 पन्तरी दिनांक 18/02/2022 के लिए लगार स्वीकृत उत्तरणपट्टा हेत्र में भारी सीमारक्षण यथा शीमा स्थापित है।

3. सीईआर के तहत प्रस्तावित कुल के प्राचार्य (Principal) का समिति यज्ञ प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के तहत 500 नग मूल्यांकण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बीघी के लिए राशि 16,000 रुपये, फॉरेस्ट फॉर लिए राशि 80,000 रुपये, खाद एवं शिंचाई के लिए राशि 33,370 रुपये, तथा रख-रखाव के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,91,850 रुपये के रूप में हेतु घटकावर एवं समर्पयार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
5. मानवीय एनजीटी, विशिष्ट वैय, नई दिल्ली द्वारा शाल्येट पार्क्हिंग विल्ड भारत सरकार, पर्वदरण यन और जलवायु परिवर्तन संबंधीय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में सुरक्षा रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभां उपराज सर्वेतामिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कालेजटर (खानिज खादा), जिला-धमली के ज्ञापन क्रमांक 936/वया./2020 धमली, दिनांक 10/06/2020 को अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अवैधित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (याम-जोगीडीह) का रखबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 बीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का उत्तरी कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्वदरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 2, 7, 11, 13, 17, 19, 25, 29 एवं 30 का पालन पूर्ण तर पालन प्रतिवेदन फॉर्मेट्राफ्स कहित 6 माह की भीतर प्रस्तुत नहीं किये जाने की सिध्दि में जारी पर्वदरणीय स्वीकृति को सबकु निरसा भाना जाएगा।
3. समिति द्वारा विचार विभां उपराज सर्वेतामिति से आवेदक – मेसर्स जोगीडीह क्वार्टजाईट खारी (प्रौ.- बी शीलेन्ट दुधे (पुजारी)) की याम-जोगीडीह, तहसील व जिला-धमली के पार्ट ऑफ खासा क्रमांक 84 एवं 198 में स्थित क्वार्टजाईट (गौण खानिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर, क्षमता - 94,920 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्वदरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशासा यही गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विभां उपराज प्राधिकरण द्वारा सर्वेतामिति से समिति की उपरोक्त सभी अनुशासा को स्थीतार बनाते हुए आवेदक – मेसर्स जोगीडीह क्वार्टजाईट खारी (प्रौ.- बी शीलेन्ट दुधे (पुजारी)) की याम-जोगीडीह, तहसील व जिला-धमली के पार्ट ऑफ खासा क्रमांक 84 एवं 198 में स्थित

क्याटलॉग्यूट (भीम खण्डन) खदान, कुल होकराल—५ हेक्टेयर, कमता — १४,९२० टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा भिहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की सिफारिश में विधिवत् वैधानिक एवं प्रकारणात्मक कार्यकारी की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

८. मेसारी बी नारायण यादव (सहसपुर लौहारा लाईम स्टोन माईन), गाम—सहसपुर लौहारा, तहसील—सहसपुर लौहारा, जिला—कबीरपाल (राजिवालय का नस्ती क्रमांक 1546)

ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / १९६१०६ / २०२१, दिनांक ०६ / ०२ / २०२१।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रकारण खदान की उत्थानन कमता के दिस्तारीकरण का है। पूर्व से संचालित पूरा पत्थर (भीम खण्डन) खदान की उत्थानन कमता ३,९११ टन प्रतिवर्ष है। खदान गाम—सहसपुर लौहारा, तहसील—सहसपुर लौहारा, जिला—कबीरपाल का नस्ती क्रमांक ९३७, कुल होकराल—१.३१ हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन कमता—६,४०७ टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की ३६०वीं बैठक दिनांक ०१ / ०३ / २०२१:

समिति द्वारा प्रकारण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सत्त्वाग्रह सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- पूर्व में आवेदित बदल पर खुनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण समाधान नियोगिकरण प्राधिकरण (एसईआईएए), उत्तीर्णगढ़ अधिकारी जिला नवीकृति पर्यावरण समाधान नियोगिकरण प्राधिकरण (डीईआईएए), उत्तीर्णगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिकारीपत्र शर्तों को पालन में की गई कर्तव्याधीनी की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही युक्तारोपण की अद्वान लिखति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
- दिग्न वर्षी में पिछे गए उत्थानन की यास्तविक मात्रा (पितीय वर्ष) की जानकारी खण्डन विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
- सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु वित्ती प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त रामस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्वान फोटोग्राफस) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु विदीशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के पत्र एवं है—गैल कम्पनी दिनांक ०९ / ०४ / २०२१ एवं २७ / ०४ / २०२१ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की ३६६वीं बैठक दिनांक ०३ / ०५ / २०२१:

प्रस्तुतीकरण हेतु विधियों कानूनहीरिंग के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सरकारी सर्वेसम्बन्धि से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी एवं अनुसूचित पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी नारायण यादव, प्रोप्रार्थीटर विडियो कम्पॉनिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अध्योक्तन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय रक्तीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में शूना पाल्यर खाद्यान खाद्यान क्रमांक 937, गुल हेक्टेकल-1.313 हेक्टेकल, क्षमता-3,911 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय रक्तीकृति जिला रसहीय पर्यावरण समायात निर्धारण प्राप्तिकरण, गिला-कर्वीखाम द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह रक्तीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय रक्तीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित कर्तनुसार छुआरोपन नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज जाता), गिला-कर्वीखाम के ज्ञापन क्रमांक 623/ख.लि./खनिज/ख.प. /21 कर्वीखाम, दिनांक 11/06/2021 द्वारा विनाश वर्षी में किए गए उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	सरपादन (टन)
2015-16	3,293
2016-17	2,009
2017-18	1,870
2018-19	3,737.7
2019-20	3,754

2. नगर पर्यायस का आनापरित प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में नगर पर्यायस राहनपुर लोहान का दिनांक 06/11/2014 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. सरखानन योजना — क्यारी प्लान एलान विध क्यारी कलोजर प्लान विध इन्हायटोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रश.) जिला-बिलालपुर के पु. ज्ञापन क्रमांक 2274/2/खनि/ख.प. /ख.यो./2021 दिलासपुर, दिनांक 26/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 बीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज जाता), गिला-कर्वीखाम के ज्ञापन क्रमांक/98/ख.लि./खनिज/उत्खनियटटा/2021 कर्वीखाम, दिनांक 16/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2,529 हेक्टेकर होना चाहिया गया है। जिसमें केवल विकाशाधीन खदान की लीज सीमा से 500 बीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह संष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 बीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इ.आई.ए.

प्रौद्योगिकीयम्, 2006 (यथा सारोचित) में परिभौतिक कलस्टर अनुसार “कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिशार के लीच दूरी उस सहज स्थानिक क्षेत्र में अन्य पट्टी के परिशार से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् कलस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल बोर्ड में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के ग्रीनर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के ग्रीनर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों की वही तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अविद्यत न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. 200 मीटर की परिधि में विश्वा सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कालेक्टर (खणिज शाखा), जिला-कर्बीखाम के ज्ञापन क्रमांक/97/खालि/खणिज/उप./20-21 कर्बीखाम, दिनांक 15/01/2021 द्वारा जारी द्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यौन सार्वजनिक स्थल, बांदर, मरम्पट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांदर, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रिया क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. लीज का विवरण – लीज लीड श्री नाशयण यादव के नाम पर है। लीज लीड 06 कर्पी अधीन दिनांक 03/05/2015 से 02/05/2021 तक जी अवधि हेतु होय थी। लीज के प्रिस्तारीकरण हेतु खणिज साधन विभाग में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
7. गृ-स्थानित्व – भूमि श्रीमती सामयवती के नाम पर है। उत्तरानन हेतु भूमि स्थानी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – कर्व 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. यन विभाग का अनापठित प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कर्वा वनमण्डल, जिला-कर्बी के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./798 कर्पा, दिनांक 19/01/2016 से जारी अनापठित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महात्मपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी साम-नगायात्रा 0.35 कि.मी., रक्कूल ग्राम-नदापात्रा 0.17 कि.मी. एवं अस्पताल शहसरपुर लोहांग 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.5 कि.मी. दूर है। कर्ता नदी 4 कि.मी. दूर है।
11. पारिरिक्षितीय/जीवविधिवास संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अम्यालव्य, केन्द्रीय प्रदूषण वियंकण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्यूटेंड दरिया, पारिरिक्षितीय संवेदनशील क्षेत्र या जीवविधिवास क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिपेदित किया गया है।
12. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण – जियोलीयिकल रिजर्व 3,19,873 टन, नाईनेक्सल रिजर्व 1,69,563 टन एवं रिक्षाहरेक्सल रिजर्व 1,61,075 टन हैं। लीज की 7.5 मीटर गोड़ी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिक्रिया क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.195 वर्गमीटर है। औपन काल्ट सेमी मेंक्सनाईज्ड विधि से उत्तरानन किया जाता है। उत्तरानन की प्रस्तावित असिकलाम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी भिट्टी की गहराई 1 मीटर है तथा कुल आक्रा 1,700 घनमीटर है। इस भिट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलावार यूक्तांतरण की लिए उपयोग किया जाता है। बैंध की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं गोड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु

17 वर्ष है। सीज क्षेत्र में जलाशय की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका शीतकाल 0.13 हेक्टेयर है। योंक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिह्नकार किया जाता है। पर्वतार प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन ROM (मि)
प्रथम	6,375
द्वितीय	7,995
तृतीय	6,937
चतुर्थ	7,995
पंचम	8,407

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ईकार द्वारा ग्राम पंचायत की मालिन से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. युक्तारोपण कार्य – सीज क्षेत्र की सीमा में आरो और 7.5 मीटर की पट्टी में 400 लम्ब युक्तारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन – सीज क्षेत्र की आरो और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तरानन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रकरण कमता विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन संज्ञालय के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमांकुशि का पालन प्रतिवेदन संगत्या जाना आवश्यक है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्वतं नियंत्रण ग्राम पंचायत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at Government Primary School, Village-Newapara	
55	2%	1.15	Rain Water Harvesting System	0.65
			Potable Drinking Water	0.25

		Running Water Facility for Toilets	0.10
		Plantation in School/ Community Health Center Premises	0.10
		Total	1.10

समिति द्वारा उत्तमता सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. उत्तरानन हेतु भूमि स्थानी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. शीज छींच की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. आवायक जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के होशीर कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तुत 500 मीटर की प्रभाव पथ से यह सफेद नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इआई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित बलस्टर अनुसार "कोई बलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरी के शींच दूरी उस सदृश खनिज छींच में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् बलस्टर हेतु होमोडिलिंग स मिनरल छींच में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को हामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (बलस्टर में खदानों को वही तक हामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवशिष्ट न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रभाव पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यकारी की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की ड्रापन दिनाक 28/08/2021 के परिवेद्य में परिपोजना प्रस्तावक एवं होशीर कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनाक 30/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन रातिह राज्य सरकार दिवीप्रज्ञा बूल्डायन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परिपोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की ड्रापन दिनाक 08/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(d) समिति की 393वीं बैठक दिनाक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मारायण यादव, प्रोफराईटर उपरिक्षेत्र हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अदलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाठ्य गई—

1. उत्तरानन हेतु भूमि स्थानी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- लीज बीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। लीज के विस्तारिकरण हेतु खनिज साधन विभाग में आवेदन किया जाना चाहाया गया है।
- जल ती आपूर्ति हेतु नगर परिवार सहस्रपुर लोहारा का दिनांक 11/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विनियोग जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, या एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सहस्रपुर के छापन दिनांक 08/10/2021 से प्राप्त तार प्रस्तुत नहीं गई है, जिसके अनुसार 5 शर्तों (शर्त नमांक 3, 4, 5, 6 एवं 17) का आंशिक पालन कराया गया है एवं 10 शर्तों (शर्त नमांक 7, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 30 एवं 31) का पालन नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कर्यालय के छापन नमांक /635/ख.लि./खनिज/उत्तरनिपटा/2021 कर्यालय, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर के भीतर कीह खदान संचालित नहीं है का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान की 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानों हि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- शासकीय पार्षदिक शाला, स.लोहारा में ऐन वीटर हाईकोर्ट का कर्तव्य किए जाने हेतु प्रधान पाठक, शासकीय प्रार्थनिक शाला, स.लोहारा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा उत्तराधिकार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- लीज बीड विस्तारिकरण की प्रति प्रस्तुत की जाए।
- उपरोक्त विवरण अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के आंशिक एवं अपूर्ण शर्तों का पालन पूर्ण कर फौटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानों हि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- खदान के शर्तों और 7.5 मीटर की पट्टी ने निर्धारित सख्त में सुधारायें नहीं किया गया है। उक्त शर्त का पूर्ण पालन करने पर वाले व्यक्तियोंद्वारा फौटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए।
- उपरोक्त वाहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तक उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ए.सी., छत्तीसगढ़ के छापन दिनांक 09/02/2022 के परियोग्य गे परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 25/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 402वीं मैठक दिनांक 15/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिन रिपोर्ट पाई गई-

- लीज छोड़ श्री नारायण पादव के नाम पर है। लीज छोड़ 05 वर्षों तक दिनांक 03/05/2015 से 02/05/2021 तक की अवधि हेतु दिया था। कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला—कर्बीखाम के इापन क्रमांक 28/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 याकीखाम, दिनांक 06/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान को छत्तीसगढ़ गोप खनिज नियम 2016 में लाजीखन दिनांक 30/06/2020 के नियम 38—का के उप नियम (4) एवं (8) के तहत पर्यावरणीय रक्षीकृति प्राप्ति उपरांत आवका रक्षीकृत उत्खनिपट्टा अवधि दिनांक 01/05/2026 तक विस्तारित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
 - पूर्ण में जारी पर्यावरणीय संरक्षिति के शर्त क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 30 एवं 31 का पालन पूर्ण कर प्रस्तुत किया गया है।
 - पूर्त वैठक में शूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदाने प्रतिपादित होना पाया गया था। अतः उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला—कर्बीखाम के इापन क्रमांक/635/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 याकीखाम, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की ओर खदान संचालित नहीं होना चाहया गया है।
 - खदान के शार्ते और 7.5 मीटर की पट्टी में निर्दिष्ट यातानुसार 200 नग मुखारीय का कार्य किया गया है। याथ ही मुखारीय का कोटीयापत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संबंध में समिति का बता है कि आगामी महानुसून अवधि में विरिजनना प्रस्तावक 5 कोट छवाई के उपयुक्त प्रजलति के पौर्णों का समन मुखारीय कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शर्त पर विचार किया जा सकता है।
 - माननीय एन.वी.टी., डिसिप्ल वैष, नई दिल्ली द्वारा सल्यैट पार्किंग विल्ड भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन नंजालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में गुरुव्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—**
- कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला—कर्बीखाम के इापन क्रमांक/635/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कर्बीखाम, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की शाल्या निरक है। आवेदित खदान (याम—सहसपुर लोहारा) का रकमा 1.31 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिसीम में रक्षीकृत / संचालित खदानों का कुल हेक्टेयर 6 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की 2 खेती की मानी गयी।
 - समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — गेहार्स श्री नारायण पादव (सहसपुर लोहारा लाइन स्टोन नाइन) की याम—सहसपुर लोहारा,

तहसील—सहसपुर लोहारा, ज़िला—कढ़ीखाम की खसरा क्रमांक 937 में स्थित चूना पत्थर (गोण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—1.31 हेक्टेयर, क्षमता—8,407 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. खदान की धारों और 7.5 मीटर की पट्टी में आगामी मानसून अवधि में 5 फीट कंधाई की उपग्रेड प्रजारी की पीठों का रीपन पश्चात् फोटोग्राफ्स एवं विडियोग्राफी शहित (with geotag) तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शामि का पालन पूर्ण पालन कर पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स शहित 6 माह के गोलर प्रक्रिया नहीं किये जाने की स्थिति में बर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की स्वतं निरस्त माना जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा दैतक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 की संघर्ष 121वीं दैतक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवरी का अवलोकन किया गया। विचार दिनही उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की उपरोक्त सभी अनुशंसा को रखीकर करने हुये आवेदक — गैरकी श्री नारायण खादव (सहसपुर लोहारा लाईन स्टोन बाइन) की खाम—सहसपुर लोहारा, तहसील—सहसपुर लोहारा, ज़िला—कढ़ीखाम की खसरा क्रमांक 937 में स्थित चूना पत्थर (गोण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—1.31 हेक्टेयर, क्षमता—8,407 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी रखने का निर्णय लिया गया। जाव ही समिति द्वारा शहित किये गये शामि का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

4. गैरकी छापरभानपुरी लाईन स्टोन बाइन (प्रौ.— श्री बुधराम कश्याप, आदिवासी हरियन अधिक स्टोन कशार को—आपरेटिव सोसायटी), गाम—छापरभानपुरी, तहसील—तोकापाल, ज़िला—बस्तर (समिकालम का नस्ती क्रमांक 707)

ओनलाईन आवेदन — पूर्व में प्रयोगल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74578/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोगल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन/63531/2018, दिनांक 28/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए काईनल ई आई ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रवताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान खाम—छापरभानपुरी, तहसील—तोकापाल, ज़िला—बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1200(पाई), कुल क्षेत्रफल — 0.813 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन क्षमता — 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

एसआईएसी., उत्तीरणद्व के ज्ञापन दिनांक 25/06/2019 द्वारा प्रावकरण दी—1 कोटेगरी का होने के कारण आवल सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नियालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित बैंगलडे टम्ही ओफ रिकरेंस (टीओआर) फॉर हैआईए/ई.एम.पी. रिपोर्ट पीर ग्रोवेक्टस/एक्टीविटीज रिप्रायरिंग इन्वायरमेंट गलीयरेस अन्धर हैआईए. नीटीविकेशन, 2006 में चार्निल थोनी १(ए) का स्टैनल्ड टीओआर (लोक सुनवाई शहित) नीन खोल बाईनिंग ग्रोवेक्टस हेतु टीओआर जारी किया गया।

खदाननुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी., उत्तीरणद्व के ज्ञापन एवं है—गेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिता किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 376वीं बैठक दिनांक 16 / 06 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिमिति विडियो कानूनेसिंग के माध्यम से उपरिक्त नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई—मेल पत्र दिनांक 16 / 06 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपरिक्त होना समय नहीं है। अतः दिनांक 17 / 06 / 2021 को आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुमति किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुलेख को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्त्वमय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11 / 06 / 2021 के परिणय की वाहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज शाहिस प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छलीसगढ के ज्ञापन एवं ई—मेल दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी बुधरान कामधप, प्रोपराइटर रालाहकार के काम में बेसारी औद्योगिक नाईन—टेक कानूनस्टेन्ट्स की ओर से ढी. अजली हरीभात ज्ञानाने विडियो कानूनेसिंग के माध्यम से उपरिक्त हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधति पाइ गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- इस खादान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खणिज जाता) जगदलपुर जिला—बालार के ज्ञापन दिनांक 2006 / खनिज / राति.02 / खनिजद्वा / 2016 जगदलपुर दिनांक 13 / 12 / 2018 के अनुसार वर्षकार उत्पादन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार—

तर्फ	उत्पादन भाजा (टन)
28 / 11 / 2002 से 30 / 12 / 2002	130
01 / 01 / 2003 से 11 / 11 / 2003	506
05 / 03 / 2004 से 20 / 12 / 2004	250
09 / 02 / 2005 से 13 / 12 / 2005	834
21 / 04 / 2006 से 21 / 12 / 2006	226
01 / 01 / 2007 से 29 / 01 / 2007	24
08 / 01 / 2008 से 04 / 04 / 2008	114

- उत्पादन कार्य कर्ता 2008 से बंद है।

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्पादन के संबंध में ग्राम पंचायत उपरिभानपुरी का दिनांक 29 / 01 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्पादन योजना — नीडिकाइड भाईंगिंग प्लान एप्ल प्रोट्रेशन ग्राइन बलीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान बूरी, रायपुर

के इतापन छान्तक बस्तर/ घूप/ खायी-1154 / 2018 / रायपुर/ 1411, दिनांक 18/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलस्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर जिला-बस्तर के इतापन छान्तक 2427 / खनिज / ख.लि.1 / ख.प. / 2018 जगदलपुर दिनांक 18/10/2018 के अनुसार आयोदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानों को क्रमाल 6.05 हेक्टेएर होना चाहिया गया है। जिसमें कोवल विद्युतीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का दिवारण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह तथा नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित कलस्टर अनुसार “कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समृद्ध खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे की परिकार से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् कलस्टर हेतु होनीजिमियत क्षेत्र में विद्युतीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों को यहीं तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होत्र/ सारबनाए – कार्यालय कलस्टर (खनिज शाखा), द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र यीसे भविर, नस्तिजाद, नरघट, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबिधित होत्र निर्मित होने उथका नहीं होने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. लीज का विवरण – लीज श्री बुधराम कवडप के नाम पर है। लीज लौह 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/09/2002 से 03/09/2022 तक की अवधि हेतु दीया गया है।
7. भू-स्थानित्य – भू-स्थानित्य संबंधी जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. दन विभाग का अनापति प्रमाण पत्र – दन बहुलाजिकारी, बस्तर वनभाग, जगदलपुर के इतापन छान्तक / मार्गि / 149 जगदलपुर दिनांक 07/01/2019 से जारी अनापति प्रमाण पत्र अनुसार आयोदित होत्र दन होत्र की सीमा से 1.3 कि.मी. की दूरी पर है।
10. भहत्वपूर्ण सारबनाओं की दूरी – निकाटतम आशादी गांव-छापरनानपुरी 1 कि.मी. स्कूल एवं अस्पताल गांव-छापरनानपुरी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राजमार्ग 50 कि.मी. दूर है। इन्हालाई नहीं 15 कि.मी. है।
11. पारिस्थितिकीय/ जीवविविधता संवेदनशील होत्र – परिवेजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजस्तीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमरावती-कोन्नीर ग्राम्य नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिट्रिक्टीय गोल्ड्यूटेक इरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होत्र या पर्यावरणीय जीवविविधता होत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।

12. खानन संपदा एवं खानन का विवरण – प्रियोलीजिकल रिजर्व 1,04,732 टन एवं माईग्रेवल रिजर्व 88,667 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिशेषित ढोक) का कुल क्षेत्रफल 0.286 हेक्टेएर है। ओपन कास्ट मैन्युअल डिपि से उत्तरानन किया जाता है। उत्तरानन की प्रवस्तावित अधिकतम नहराई 10 मीटर है। बैंब की कंकाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। उत्तरानन की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज थोक में क्रशर पथापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। उत्तरान में बायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिह्नकार किया जाता है। वर्षावार प्रवस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रवस्तावित उत्तरानन ROM (टन)
2017-18	—
2018-19	8,306
2019-20	8,782
2020-21	8,782
2021-22	8,750

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3,015 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैकर हुआ ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज थोक की सीमा में छारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,433 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन – परियोजना में (MW 6.5MW) काउण्टी में 7.5 मीटर नहीं छोड़ा गया है तथा उत्तरानन दर्तावाल लिफ्टिंग में 7.5 मीटर गेंगे भी उक्त क्षेत्र में 5 मीटर तक किया गया है। अर्थात् उत्तरारी-परियोजनी-परियोजनी दिशा में काउण्टी में 7.5 मीटर चौड़ाई में 5 मीटर तक उत्तरानन कर किया गया है। इस 7.5 मीटर उत्तरानन क्षेत्र को पूर्व में रखे भलबै/सीलेट से भरा जाएगा तथा वृक्षारोपण किया जाएगा। अतः प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण ही 7.5 मीटर क्षेत्र में किया जाएगा तथा उक्त क्षेत्र में भराव उपरान्त प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

- जल एवं बायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कर्तव्य मार्ग 2019 से गई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परियोजनीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर न्यू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकांकित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परियोजनी के अनुसार पी.एन.₂₁ 19.14 से 32.44 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एन.₁₁ 50.14 से 65.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एनओ₂ 8.14 से 14.91 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₃ 9.82 से 16.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुसार है।
- परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रीती की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

- iv. परिवेशीय व्यापि स्तर (Day time) 47.0 डीबीए से 63.4 डीबीए एवं व्यापि स्तर (Night time) 42.2 डीबीए से 56.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के नियन्त्रित मानक के अनुलम्ब है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – प्रेस्टग हॉस, जिला कार्यालय, जगदलपुर, जिला-बस्तर में उत्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य संघिक, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संशोधन नंदल, नवा रायपुर आटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/02/2021 हारा प्रेषित किया गया है।
18. जनसुनवाई के दौरान गुरुत्व के रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- खदानों से डर्ट उत्पार्जन होता है।
 - पानी की घटनाएँ, बजादूरी की स्थान्त्रिकीय कीमा आदि की घटनाएँ नहीं हैं।
 - प्राथमिकता के आधार पर संबंधित शानों के लोगों को ही रोजनार दिया जाना चाहिए।
- लोक सुनवाई के दौरान उत्तरों ने निम्न गुरुदों के निराकरण की दिशा में परिवैज्ञानिक स्तरावक की ओर से संपरिष्ठ प्रतिनिधि/कंशलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-
- डर्ट उत्पार्जन को नियंत्रण हेतु जल छिपकाय किया जाएगा।
 - खदान खालू होने पर आवश्यक जल की घटनाएँ की जाएगी। साथ ही नियमानुसार बजादूरी की स्थान्त्रिकीय कीमा कारबै जाएगी।
 - संबंधित वेश्वरारी वो योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों की आवश्यकतानुसार रोजनार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
19. बलस्टर हेतु कौमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान- कौमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एड्रीव रोड से उत्पन्न घूम उत्पार्जन के नियंत्रण हेतु जल छिपकाय, 0.76 कि.मी. तक पहुंच गार्डी हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा। आगामी वार वर्षों के लिए डर्ट संप्रेशन हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
 - शासकीय प्राथमिक शासा, शाम-चापरमानपुरी में रेन बॉटर हार्डेस्टिन हेतु अनुमानित राशि 1,14,370/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा।
20. कौमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परिवैज्ञानिक स्तरावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एड्रीव रोड से उत्पन्न घूम उत्पार्जन के नियंत्रण हेतु जल छिपकाय, 0.76 कि.मी. तक पहुंच गार्डी हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - गाव की (0.76 कि.मी. तक) पहुंच गार्डी के दोनों तरफ कम से कम दो कलार में (1,433 नग) वृक्षान्तोपण एवं वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,15,000/- प्रथम वर्ष में एवं आगामी वार वर्षों में अनुमानित राशि 1,43,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

- III. परिवेशीय यात्‌रा जल. मिट्टी एवं स्वचि नुणवत्ता के आवलन हेतु अधिकारिक बॉनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरेंमेंट बॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 90,000/- प्रतिवर्ष याय की जाएगी।

समिति का मत है कि बलस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुए, बलस्टर हेतु पांच दर्ती का लॉगिन इन्हायरेंमेंट बैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उस प्लान में परिवेशना प्रस्तावक त्री सहभागिता हेतु पांच दर्ती का व्यक्तिगत (Individual) इन्हायरेंमेंट बैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवेशना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष प्रिस्ताव से चर्चा उपरान्त निभानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32.7	2%	0.65	Following activities at Government Primary School, Village-Chapperbhampuri	
			Portable Drinking Water Facility with AMC for 5 year	0.35
			Running water facility for Toilets	0.30
			Total	0.65

समिति के सझान में यह तथ्य आया कि उक्त शासकीय स्कूल में धीने कोन्फ पानी एवं हरिनग बीटर की व्यवस्था पूर्ण न हो ही है। अतः समिति द्वारा ऐन बीटर हार्डिंग की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा उत्तमय सर्वसम्मति से निभानुसार निर्णय लिया गया था—

- प्रस्तुत 500 मीटर को प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर की भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ईआईए नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित बलस्टर अनुसार “कोई बलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लौज को परिसरी की धीर दूरी उस सदृश समिति द्वारा में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अथवा बलस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल होड में विचारलीन खदान के लौज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लौज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (बलस्टर में खदानी को यही तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवश्यक न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।


- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरुघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने वाले जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- मू—स्थानिक संघर्षी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
- बलस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुए, बलस्टर हेतु पांच वर्षों का ठीकेन इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच वर्षों का व्यक्तिगत (Individual) इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने सुपरित आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उन्नानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के विषेषज्ञ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है। उद्योगसांस्कृति नवीन गढ़ित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अधिकारीकन एवं परीक्षण करने पर जिम्मा रिक्विट याई गई:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला—दस्ताव के ज्ञापन द्वारा 2011/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 4 खदानों क्षेत्रफल 6.05 हेक्टेयर है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला—दस्ताव के ज्ञापन द्वारा 2012/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होते ही सार्वजनिक स्थल, मंदिर, मरिजाद, मरुघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, चांद, एनीकट, लकड़ीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति क्षेत्र आदि प्रतिबंधित होते निर्मित नहीं हैं।
- जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- भूमि शासकीय भूमि है।
- बलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए बलस्टर में कुल 5 खदानों आती हैं। अतः बलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कौमन इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कौमन इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत जिम्मा कार्य प्रस्तावित है:-



- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दीर्घन सड़कों/एड्जेक रोड से उत्पन्न धूल उत्पातन के नियंत्रण हेतु जल छिन्हकार, 1.5 कि.मी. तक पहुंच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- II. गांव के (1.5 कि.मी. तक) पहुंच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कलार में (1,000 नग) युक्तारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,58,500/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए युक्तारोपण के रस-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,78,950/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
- III. परिवेशीय वायु जल, मिट्टी एवं जल गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्थात्तिक मौनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरोमेट औनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- IV. सड़कों/ पहुंच मार्ग (1.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- V. ग्रामीणों के लिए हेत्य थेकअप कीम्य हेतु अनुमानित राशि 50,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- VI. कीमन इन्हायरोमेटल मैनेजमेंट प्लान के सहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम वाय वर्ष में कुल राशि 34,05,250/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। पिसकत विवरण निम्नानुसार है—
 - प्रथम वर्ष में राशि 10,45,450/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डस्ट सप्रेशन, युक्तारोपण के रस-रखाव, इन्हायरोमेट मौनिटरिंग, सड़कों/ पहुंच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेत्य थेकअप कीम्य हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 6,25,150/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डस्ट सप्रेशन, युक्तारोपण के रस-रखाव, इन्हायरोमेट मौनिटरिंग, सड़कों/ पहुंच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेत्य थेकअप कीम्य हेतु पहुंच मार्ग वर्ष में राशि 6,09,500/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डस्ट सप्रेशन, युक्तारोपण के रस-रखाव, इन्हायरोमेट मौनिटरिंग, सड़कों/ पहुंच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेत्य थेकअप कीम्य हेतु पहुंच मार्ग वर्ष में राशि 5,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

कीमन इन्हायरोमेटल मैनेजमेंट प्लान में परिवेशना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी—

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दीर्घन सड़कों/एड्जेक रोड से उत्पन्न धूल उत्पातन के नियंत्रण हेतु जल छिन्हकार हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- II. गांव के पहुंच मार्ग में (1,433 नग) युक्तारोपण हेतु अनुमानित राशि 2,15,000/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। युक्तारोपण के रस-रखाव हेतु अनुमानित राशि 1,43,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

- III. परिवेशीय बायु जल, मिट्टी एवं व्यनि गुणवत्ता के आकलन हेतु अपेक्षित नौनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरोमेट नौनिटरिंग हेतु अनुमति राशि 90,000/- प्रतिवर्ष व्यवहारी जाएगी।
- IV. कौमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य हेतु प्रधान पांच दर्ती में कुल राशि 5,68,000/- व्यवहायक प्रस्तावित किया गया है।
5. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलबायु परिवर्तन नियम, नई दिल्ली द्वारा पासी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (व्या संशोधित) के प्राक्षयानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा पासी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलस्टर में शामिल सभी छाड़ानों द्वारा लानन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की सेक्यान्ड हेतु छाड़ानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलस्टर में आने वाले छाड़ानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की सेक्यान्ड हेतु कलस्टर में आने वाली सेष समस्त छाड़ानों को शामिल करते हुये, कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकां, हड्डावती भवन, नवा दाढ़पुर अठल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के साथ से उपमुक्त कार्यकारी किया जाना उपर्युक्त होगा।

7. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान के साथ सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है :-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32.7	2%	0.65	Following activities at Government Primary School, Village-Chapperbhanpuri	
			Rain water harvesting	1.14
			Total	1.14

प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का राहगी वज्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विद्यार्थी विभाग उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खंडिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर को छापन अमांक 2011/खंडिज/ख.लि.1/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 26/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानों की कला 6.05 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (शाम-छापरभानपुरी) का रक्षा 0.813 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (शाम-छापरभानपुरी) को जिलाकर कुल रक्षा 6.86 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की विस्तृति में स्थीकृत/साधालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान भी-1 श्रेणी की मानी गयी।
- भारत सरकार, पर्यावरण, बग और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिरूपना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार गलस्टर में आने वाली खदानों की उत्तरानन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की कीक्षाओं हेतु गलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को जामिल करते हुये, गलस्टर हेतु गतिविधि इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु सचालक, संचालनालय, नीतिकी तथा खनिकने, इंद्रावती भवन, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- समिति द्वारा पिचार विभाई उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - गैरसौ छापरभानपुरी लाईम स्टोन मार्किन (प्रो.- श्री बुद्धराम कवरप, आदिवासी हरिजन अभियंक स्टोन क्राफ्ट को-आपरेटिव रॉकायटी) की शाम-छापरभानपुरी, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर के खसक अमांक 1200(पाटी) में स्थित गूँड पाथर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.813 हेक्टेयर, क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशासा की गई।
- प्रतिवर्ष 7.5 मीटर और सीमा पट्टी में अवैध उत्तरानन किया जाना चाहे जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डालयक कार्यवाही किये जाने हेतु सचालक, नीतिकी तथा खनिकने, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को पर प्रेषित किया जाए।
- सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) को सुनित करने तथा कार्यपूर्ण उपरान्त प्राचार्य (Principal) से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तृत करने हेतु परियोजना दण्डालयक को निर्देशित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में पिचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संघन्न 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तृत अनुमोदित नाईंसिंग प्लान में वर्षवार आगामी वर्षों की प्रस्तावित उत्तरानन योजना का प्रस्ताव वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए दिया गया था, जिसकी उत्तरानन योजना ती अवधि समाप्त हो गई है। अतः उक्त हेतु अनुमोदित नाईंसिंग प्लान के उत्तरानन योजना में संशोधन किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा पिचार विभाई उपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक से जानकारी / दस्तावेज प्राप्त कर, उपयुक्त अनुसंदेश दिये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के सभा प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एसआईएसी, छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को सदानुसार सुचित किया जाए।

10. मेसारी बेलबहरा आडिंनरी स्टोन कारी (प्री - शीमित रजिस्टर्ड), शाम-बेलबहरा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (साधिकालय का नम्बर क्रमांक 1689)

ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईए / 212789 / 2021, दिनांक 01 / 06 / 2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 04 / 06 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाहिए जानकारी दिनांक 22 / 07 / 2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संबंधित साधारण पत्रक (शीमित खनिज) सुदान है। सुदान शाम-बेलबहरा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 130 एवं 132(पाटी), कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में है। सुदान की आवेदित उत्पादन कमता — 7,531.34 टन (2,689.8 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

सदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ही-मेल दिनांक 27 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रिकोश शम्भा, अधिकृत प्रतिमिति विधियों कार्यालयिंग के माध्यम से उपरियोग हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में साधारण पत्रक सुदान क्रमांक 130, 132, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर, कमता - 2,689.84 घनमीटर (7,531 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जिला सारीय पर्यावरण समाप्ति निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 10 / 01 / 2017 को जारी की गई। यह स्थीकृति 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के शर्तों के पालन में की गई जारीयाली की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित जलानुसार बुझारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (शीमित शाम्भा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1043 / शीमित / उ.प. / 2021 कोरिया, डेकुण्डपुर दिनांक 13 / 07 / 2021 द्वारा विवत वर्ष में दिये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	निरक
2017	430
2018	132
2019	2,689
2020	2,686



2. याम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र – उत्तराखण के संबंध में याम पंचायत बैलबहरा का दिनांक 11/06/2012 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराखण योजना – ज्यारी प्लान, इन्वेस्टिमेंट मेनेजमेंट प्लान एवं ज्यारी बलीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खगी अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2503/खगिज/खलि.2/2016/कोरिया, बैलबहर, दिनांक 31/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खगिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1045/खगिज/उ.प./2021/कोरिया बैलबहर, दिनांक 13/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की ओर अवरिष्ट अन्य खदानों की संख्या निरक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित शार्कनिक क्षेत्र/सांरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खगिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1044/खगिज/उ.प./2021/कोरिया बैलबहर, दिनांक 13/07/2021 द्वारा ज्यारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्कनिक क्षेत्र योंसे शार्कनिक लगात, भौद्वाल, मरम्पट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. लीज वा विवरण – लीज खीमी रेल खदान के नाम पर है। लीज लीड 10 वर्षी अवधि दिनांक 07/10/2014 से 06/10/2024 तक की अवधि हेतु है।
7. भू-स्वामित्व – भू-स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो कि अपठनीय है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डलाधिकारी (सा.) बनमण्डल बनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/सा.वि./2012/1916 बनेन्द्रगढ़, दिनांक 22/11/2012 से जारी अनापति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा बन क्षेत्र से 1.5 किमी. की दूरी पर है। लीज क्षेत्र में 3 नग पलाल के घृष्ण स्थित हैं।
10. महत्वपूर्ण सांरचनाओं की दूरी – निवाटाम आवादी याम-बैलबहरा 0.6 किमी., स्कूल याम-बैलबहर 7 किमी. एवं अस्पताल 10 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.2 किमी. एवं राजमार्ग 0.23 किमी. दूर है। बांध 0.2 किमी. दूर है। हसादी नदी 3.3 किमी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/दीवाखियता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि ने अंतरीजीय सीमा, राष्ट्रीय राजान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा प्रोत्तिकर्ती पौल्युटेक एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या सोचित दीवाखियता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. रानन संघरा एवं खनन का विवरण – जिलोलीजिकल रिजर्व 1,37,571 टन, भाईनेपल रिजर्व 70,806 टन एवं रिक्कहरेपल रिजर्व 63,725 टन है। लीज की 7.5 मीटर खीली सीमा पटटी (उत्तराखण का लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,301.79 कर्मिमीटर है। ओपन कास्ट सीमा मेंनाईज़ रिचर्ज वा उत्तराखण किया जाता है। उत्तराखण की प्रस्तावित अधिकाराएँ 5.5मीटर हैं। लीज क्षेत्र में

कुपरी मिट्टी की चौटाई 1 मीटर है तथा युल मात्रा 8.073 परमीटर है। येर की कंपाई 1.5 मीटर एवं छोड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 9 वर्ष है। लीज बोर्ड में काशर स्थापित है। जिसका लोअफल 202.02 परमीटर है। दौक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में यायु प्रदूषण नियंत्रण हैतु जल का छिड़काव किया जाता है। रब्बार प्रस्तावित उत्तराधान का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तराधान (टन)
प्रधन वर्ष	4,213
द्वितीय वर्ष	6,805
तृतीय वर्ष	7,487
चतुर्थ वर्ष	7,531
पंचम वर्ष	7,531

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्तराधान (टन)
प्रधन	7,531
हालात	7,531
आधान	7,531
नवम	7,531

नोट: लालिका में दशमलव के बाद को अंकों को राहगढ़खोल्क लिया गया है।

13. जल आपूर्ति - परियोजना हैतु आवश्यक जल की मात्रा 5 परमीटर प्रतिदिन होनी। जल की आपूर्ति याम पंचायत द्वारा टैकर के नाइम से किया जाएगा। हल बाबत् याम पंचायत का अनापत्ति प्रशासन पर प्रस्तुत किया जाएगा।
14. गृहारोपण कार्य - लीज बोर्ड की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 520 नग गृहारोपण किया जाना प्रस्तावित है। यत्नान में 120 नग गृहारोपण किया गया है। शेष 400 नग पौधे संपित किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तराधान - लीज बोर्ड को जारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तराधान कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हैतु सभिति के सम्बन्धित से घर्षी नुपरात निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School, Village – Kolpara	

		Rain Harvesting System	Water	0.60
		Plantation		0.20
		Total		0.80

17. समिति के संझान में यह लख्य आया कि नाईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना के दीर्घन लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 3,301.79 घनमीटर एवं लेण्ड गूज पैटर्न में 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 0.198 हेक्टेयर का उल्लेख है। उक्त विसंगतियों के संबंध में प्रस्तुत करते हुए, संशोधित अनुमोदित नाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही क्षेत्र लीज को जिस भाग में अवस्थित है वह स्पष्ट किया जाना है। यदि क्षेत्र 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी के ग्रीनर स्थित है, तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा।

18. नाईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में उमरी मिट्टी की मात्रा 6,073 घनमीटर है। परियोजना प्रस्तावक हारा प्रस्तुतीकरण के दीर्घन बताया गया कि उक्त क्षपरी मिट्टी की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 2 मीटर की ऊंचाई तक भूहारित कर गृहारोपण किया जाएगा। समिति का नत है कि सुखांड कालनों से क्षपरी मिट्टी की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक रक्खा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित नाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति हारा उत्तरामय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- भूमि न्यायित संबंधी जानकारी / दस्तावेज की पठनीय छाति एवं उत्तरामन हेतु भूमि न्यायियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- उपरीका दिये गये विवरण अनुसार क्षेत्र एवं लेण्ड गूज पैटर्न में संशोधन लाया क्षपरी मिट्टी (Top Soil) के भड़ारण की उपयुक्त ध्वनस्था का समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित नाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- जल वी आपूर्ति हेतु यान पंचायत का अनाप्तित प्रभाव पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में किये गए गृहारोपण की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रस्तावित गृहारोपण की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 27/09/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक हारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 25/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य सरकार विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 06/01/2022 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रिकॉर्ड खाना अधिकृति प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखति पाई गई—

1. भूमि समाप्ति संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार यह शासकीय भूमि है।
2. द्रव्यार एवं लेणद युज पैटन में संशोधन करते हुये नीडिफाईड क्षारी प्लान एलीग विध क्षारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खंडि अधिकारी, जिला-कोरिया के इापन छानांक / 1398 / खनिज / उत्तर द्वी अनु / 2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 06 / 10 / 2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार कुल उपरी मिट्टी 5.338.63 घनमीटर जनित होता। 7.5 मीटर (माईन बालांडी) में 3.280 घनमीटर उपरी मिट्टी को एकत्र कर युक्तारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष 2.078.63 घनमीटर उपरी मिट्टी को आवेदित खसरा छानांक 130 के 1.83 हेक्टेयर क्षेत्र पर संरक्षित रखा जायेगा।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के इापन छानांक 3605 / खनिज / ल.प. / 2020 / कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 01 / 12 / 2020 द्वारा जारी अनुबंध पत्र अनुसार पत्थर अस्ताई भद्धारण शासकीय भूमि खसरा छानांक 132 के 1.83 हेक्टेयर क्षेत्र पर संरक्षित रखने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. समिति द्वारा नोट किया गया कि उपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु प्रस्तुत नीडिफाईड क्षारी प्लान एलीग विध क्षारी क्लोजर प्लान में खसरा छानांक 130 के 1.83 हेक्टेयर में रखे जाने का उत्तरेता है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया द्वारा जारी अनुबंध पत्र अनुसार पत्थर अस्ताई भद्धारण शासकीय भूमि खसरा छानांक 132 के 1.83 हेक्टेयर क्षेत्र पर संरक्षित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दीर्घन बताया गया कि शासकीय भूमि खसरा छानांक 132 के 1.83 हेक्टेयर क्षेत्र में उपरी मिट्टी को भद्धारित किया जाएगा। अतः उपरोक्त खसरा के मिलता के संबंध में संशोधित अनुमोदित नाईनिग प्लान एवं उपरी मिट्टी को भद्धारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. यस की आपूर्ति हेतु चाम पंचायत बेलबहता का दिनांक 23 / 12 / 2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. लौज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर में निर्दिष्ट शानुसार 200 नग युक्तारोपण किया जाना था। परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा 120 नग युक्तारोपण किया गया है। समिति का मत है कि शेष युक्तारोपण कार्य पूर्ण कर युक्तारोपण की जानकारी कोटोडाप्त से एवं विहिकोडाप्ती सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रखूल के प्राधार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तम रावैसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित नाईनिग प्लान एवं उपरी मिट्टी के भद्धारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लौज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर में शेष युक्तारोपण कार्य पूर्ण कर युक्तारोपण की जानकारी कोटोडाप्त से एवं विहिकोडाप्ती सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. शीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. शीईआर की तहत दृष्टारोपण हेतु पीढ़ी का रोपण, सुखा हेतु फैसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 6 वर्षी का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तपरीय आगामी कार्यवाही की गतिशीलीता।

लक्षानुसार इसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 के परिणाम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) रामिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नसरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई—

1. भौद्धिकार्ड वारी पराम् एलांग विध वारी कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1988/खनिज/एप्र./2022, कोरिया वैकुण्ठपुर, दिनांक 02/03/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार 7.5 मीटर (माईल काउण्टी) में 3,260 घनमीटर ऊपरी भिट्टी को एकत्र कर दृष्टारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष 2,078.63 घनमीटर ऊपरी भिट्टी को आवेदित खसरा ज्ञामांक 132 का भाग के 1.83 हेक्टेयर हेक्टर पर भौद्धिक निष्पत्ति किया जाएगा।
2. दीज दीज की सीमा में जारी और 7.5 मीटर में 400 नग दृष्टारोपण कारी पूर्ण कर दृष्टारोपण की जानकारी फॉटोग्राफ्स एवं विडियोव्हाप्टी सहित प्रस्तुत किया गया है।
3. शीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहनिति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शीईआर के तहत स्कूल के परिवर्तन में 200 नग पीढ़ी के लिए राशि 3,000 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 16,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,80,000 रुपये, इस प्रकार स्कूल राशि 2,39,000 रुपये, 5 पर्व हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाटेंड्र दिल्ली भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभास उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कारपैलय कलेक्टर (जिला-कोरिया) के आधार अनुसार 1045 / खनिज / उ.प. / 2021 / कोरिया बैकुण्ठपुर दिनांक 13/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भौतिक अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है। आवेदित खदान (ग्राम-बेलबहरा) का रक्का 1 हेक्टेयर है। खदान की शीर्ष से 500 मीटर की विस्तृति में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-२ क्षेत्री की भावनी नहीं।
2. समिति द्वारा विचार विभास उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसारी बेलबहरा आडिनरी कटीन चारी (प्रो- श्रीमति रशिम खाना) की ग्राम-बेलबहरा, राहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया के खसरा अनुसार 130 एवं 132(पार्ट) में स्थित साधारण पत्थर (भौज खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, कमता - 7,531 टन (2,689 प्रगमीटर) प्रतिक्वार्ड हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरीक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विभास उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्थीकरण करते हुये आवेदक - मेसारी बेलबहरा आडिनरी कटीन चारी (प्रो- श्रीमति रशिम खाना) की ग्राम-बेलबहरा, राहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया के खसरा अनुसार 130 एवं 132(पार्ट) में स्थित साधारण पत्थर (भौज खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, कमता - 7,531 टन (2,689 प्रगमीटर) प्रतिक्वार्ड हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा अहित विद्ये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विचित्र वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

11. मेसारी राना उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, शिलता, फेस-2, राहसील व जिला-रायपुर (संचिवालय का नस्ती अनुसार 1650)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ रीजी/ आईएनडी/ 211530 / 2021, दिनांक 13/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत औद्योगिक क्षेत्र, शिलता, फेस-2 के ननीप, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा नम्बर 114 / (10-12), कुल क्षेत्रफल - 14.926 एकड़ में हाँट रायिंग आधारित रोलिंग मिल - 57,800 टन प्रतिक्वार्ड की विद्ये पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरान्त विनियोग का कुल लागत 30.15 करोड़ होगा।

परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ की आधार दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:



प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पलविंदर सिंह राय, बैंचरेक्टर विडियो कम्पनीसिंग की मालवस से उपलिख्यता हुए। शमिल द्वारा भरती, प्रस्तुत जानकारी का अकलीकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्दि पाई गई-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मेसर्सी रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) को एम.एस. बिलेट्स/इंगीट्स कमता - 28,800 टन प्रतिवर्ष एवं मेसर्सी रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) को एम.एस. बिलेट्स/इंगीट्स कमता - 29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संशोधन बंडल, रायपुर से पृथक्-पृथक् रामति अनुसार एम.एस. बिलेट्स/इंगीट्स कुल कमता-57,800 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जा रहा है।

प्रस्तावित कार्यालय के लहर उड़ान दोनों इकाईयों को मिलाकर एक इकाई करते हुए कर्तमान में स्थापित एवं संचालित इन्हेवेन कर्नेस कुल कमता-57,800 टन प्रतिवर्ष से ही हीट बारिंग अवारिंग रोलिंग मिल की व्यापना कर रोलिंग प्रोडक्ट्स कमता - 57,800 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2. यात्रा एवं वायु सम्पत्ति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संशोधन बंडल, रायपुर से मेसर्सी रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) को एम.एस. बिलेट्स/इंगीट्स कमता - 28,800 टन प्रतिवर्ष हेतु यात्रा एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण दिनांक 23/10/2018 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 30/09/2021 तक कैष है।
- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संशोधन बंडल, रायपुर से मेसर्सी रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) को एम.एस. बिलेट्स/इंगीट्स कमता - 29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु यात्रा एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण दिनांक 26/02/2020 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/01/2023 तक कैष है।

3. निकटतम सिध्दि क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- निकटतम शहर रायपुर 14.4 किमी. की दूरी पर सिध्दि है। निकटतम रेलवे स्टेशन नाडर 12.8 किमी. की दूरी पर सिध्दि है। स्वामी विकेन्द्र दिमानपत्तन, माना, रायपुर 23.17 किमी. की दूरी पर सिध्दि है। राष्ट्रीय राजमार्ग 122 किमी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिसीमा में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभयारण्य, पारिविवरिकीय संवेदनशील क्षेत्र या सौकित वैविधिपूर्ण क्षेत्र सिध्दि नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. लेखन एवं रट्टेटोट -

S.No.	Land use	Existing Area (in Acre) / Area (%)	After Expansion Area (in Acre) / Area (%)
1.	Plant Area (Including Offices)	1.4 (9.39%)	3.74 (25.09%)
2.	Open Area	7.5 (50.42%)	5.18 (34.72%)
3.	Plantation Area	6 (40.19%)	6 (40.19%)
	Total	14.928 (100%)	14.928 (100%)

5. री-मटरियल -

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For M.S Billets/ Ingots				
1.	Sponge Iron	53,767	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Pig Iron	12,168	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	FeMn, FeSi, Al	3,489	Open Market	By Road (through covered trucks)
For Rolling Mill				
1.	Billets	57,800	Own	-

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी -

S. No.	Name of Unit	Existing Product Capacity (in TPA)	Proposed Product Capacity (in TPA)
1.	Unit - II	M.S Billets/ Ingots - 28,800	TMT - 57,800
2.	Unit - III	M.S Billets/ Ingots - 29,000	
Total		57,800	57,800

7. समिति की संज्ञान में वह तथ्य आया कि मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) इकाईयों हेतु छल्लीसगढ़ पर्यावरण संखाण मंडल से पृथक-पृथक सम्मति प्राप्त की गई है, जबकि दोनों इकाईयों एक ही प्लॉट परिसर तथा एक ही गेंड मेर स्थापित एवं संचालित है। उद्योग द्वारा दिना पर्यावरणीय स्टीचूर्टि के एम.एस. विलेट्स/इंगोट्स कुल क्षमता-57,800 टन प्रतिवर्ष (28,800 टन प्रतिवर्ष + 29,000 टन प्रतिवर्ष) का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कि ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (पश्चा संहारित) के द्वाक्षानी के उल्लंघन की विधि निर्दिष्ट होती है।

समिति द्वारा सर्वसमय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि छल्लीसगढ़ पर्यावरण संखाण मंडल को पुष्टीकृत तथ्यों से अवगत कराते हुये, उन्होंने मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) को जारी पृथक-पृथक सम्मति के संबंध मेर स्वल निरीक्षण कर प्रस्तुरिति की जानकारी प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छल्लीसगढ़ के द्वापर्य दिनांक 26/07/2021 के परिवेश मेर छल्लीसगढ़ पर्यावरण संखाण मंडल द्वारा स्वल निरीक्षण कर प्रस्तुरिति की जानकारी दिनांक 31/08/2021 को प्रस्तुत की गई है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा तत्त्वाभ्यं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुलगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जानी हेतु निर्दिष्ट किया जाए।



तदानुसार विधीजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की ३९५वीं बैठक दिनांक 24/01/2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एन.के. गुप्ता, चीफ ऑफिसियल एवं श्री देवालीष शेख गुप्ता, पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधियाँ पाई गईं—

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र नमांक 3854 दिनांक 31/08/2021 के माध्यम से होड़ीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की प्रस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं—

(1) मेसर्स रामा चत्तोग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) के संबंध में—

- मेसर्स बल्टेच एलीयज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) (स्टील डिवीजन) (प.ह.न. -90 छत्तीसगढ़ क्रमांक 114/2-5, 114/8-9, कुल रक्षा-४ एकड़), याम-सिलतारा, जिला-रायपुर (छ.ग.) को एम.एस. बिलेट्स/इंगीट्स कमता - 28,800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति, कमता पत्र क्रमांक-2258/आरओ/टीएस/सीईसीबी/2009 एवं दिनांक 08/07/2009 के माध्यम से जारी की गई थी।
- उपरोक्त इकाई के नाम परिवर्तन कि पश्चात् मेसर्स बल्टेच एलीयज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) (स्टील डिवीजन) से मेसर्स रामा चत्तोग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2), याम-सिलतारा, जिला-रायपुर (छ.ग.) को उपरोक्त उत्पाद एवं उत्पादन कमता हेतु जारी सम्पत्ति दिनांक 08/07/2009 की नवीनीकरण वैधता दिनांक 30/09/2021 तक है।
- उपरोक्त इकाई फैसला एवं सी.सी.एस. इकाई प.ह.न.-20, छत्तीसगढ़ क्रमांक 114/2-5, 114/8-9 में स्थापित एवं संघालित है।

(2) मेसर्स रामा चत्तोग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) के संबंध में—

- मेसर्स रामा चत्तोग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) (छत्तीसगढ़ नं. 114/10-12, कुल रक्षा-1,011 हेक्टेयर) सिलतारा फौज-2, जिला-रायपुर (छ.ग.) को एम.एस. इंगीट्स/बिलेट्स कमता - 29,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति, पत्र क्रमांक-4868/आरओ/टीएस/सीईसीबी/2018 एवं 4866/आरओ/टीएस/सीईसीबी/2018, दिनांक 01/09/2018 के माध्यम से जारी की गई थी।
- उक्त इकाई हेतु उपरोक्त उत्पाद एवं उत्पादन कमता काषट् जारी सम्पत्ति दिनांक 01/09/2018 की नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/01/2023 तक है।
- उपरोक्त इकाई फैसला इकाई प.ह.न.-20, छत्तीसगढ़ क्रमांक 114/10-12 में स्थापित एवं संघालित है।

उपरोक्त वर्णित दोनों इकाईयों को शामिल करते हुये परिसर में उपरोक्तानुसार पृथक्-पृथक् छत्तीसगढ़ क्रमांकों पर स्थापित एवं संघालित किया गया है।

2. यूनिट-2 एवं यूनिट-3 को सम्मिलित (Merge) कर उसे हीट पार्किंग अलाई रोलिंग निल में परिवर्तित किया जाएगा, परंतु बिलोदता उत्पादन की क्षमता अपरिवर्तित नहीं।

3. लेख्स एरिया स्टेटमेंट -

Land use	Existing Area		After Expansion Area	
	Area (in SQM)	Area (%)	Area (in SQM)	Area (%)
Plant Area (Including offices)	6,111.06	14.37	15,686.06	36.88
Internal Roads	2,695.7	6.34	2,695.70	06.34
Plantation Area	15,075.36	35.45	15,075.36	35.45
Open Area	16,778.46	39.44	7,200.46	16.93
Other Area	1,870.84	4.40	1,870.84	04.40
Total	42,528.42	100	42,528.42	100

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वर्तमान में इण्डक्शन फॉर्म में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पश्चुम एक्सट्रैक्शन सिस्टम स्थापित है। प्रस्तावित परियोजना हेतु पश्चुम एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ ऐसा किल्टर एवं 30 मीटर की ऊँची शिल्पी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्पादन 50 भिलिशाम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। पश्चुनिटिव डस्ट उत्पादन नियंत्रण हेतु जल चिङ्गकान किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्रम द्वारा सुपराई जाएगी। समिति का नत्त है कि शिल्पी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्पादन 50 भिलिशाम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 भिलिशाम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने वाले विस्तृत मानना सहित जानकारी प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

5. ठोस अपशिष्ट अवयवहन व्यवस्था - वर्तमान में परियोजना हेतु इण्डक्शन फॉर्म से रहेग - 9,890 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु इण्डक्शन फॉर्म से रहेग - 9,890 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग निल से एण्ड कॉटिंग - 578 टन प्रतिवर्ष ठोस के रूप में उत्पन्न होगी। रहेग की मेटल रिक्वारी यूनिट एवं राहक निर्माण में किया जाएगा। एण्ड कॉटिंग की पुनःउपयोग इण्डक्शन फॉर्म में किया जाएगा।

6. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- * जल खापत एवं स्वीकृत - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 185 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 12.5 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट साप्रेशन हेतु 52.5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 197.5 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 110 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट साप्रेशन हेतु 72.5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति छल्लीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से ही जाती है। प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत औद्योगिक प्रक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति छल्लीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से ही जाएगी एवं घरेलू उपयोग, शूकारीपन हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अपौरीरीटी द्वारा

3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई है, जिसकी वैधता विनाक 14 / 05 / 2022 तक है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु इंटीपी (न्यूट्रिलाईज़ेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में परेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेटिंग टैक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत परेलू दूषित जल के उपचार हेतु शीपेज ट्रॉटमैट प्लाट ल्यापना किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।
 - रेन बौटर हार्डस्टिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन बौटर हार्डस्टिंग व्यवस्था को डालनीत 3 नग रिचार्ज स्टूचर (लंबाई 3 बीटर, लैंडाई 3 बीटर, बहाई 3 बीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन बौटर हार्डस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। इसी रिचार्ज स्टूचर सुन प्रकार निर्मित किये गए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
7. विस्तृत खपत – प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 8,000 के लाईए का विस्तृत खपत होगी, जिसकी आपूर्ति मेसर्स नामा उद्योग कूनिट-1 के बोर्डर पीकर प्लाट से की जाएगी। ऐकलिंग व्यवस्था हेतु 750 के लाईए का लीजी रोट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी।
8. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 16,075.36 घनमीटर (35.45 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,250 नग पीढ़ी रोपित किया जाएगा। वृक्षारोपण कल कली आगामी 1 नाह में पूर्ण किया जाएगा। समिति का भत है कि वृक्षारोपण के बछ-रखाव आगामी 5 वर्षों तक तुनिश्चित करते हुये मृत पीढ़ी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।
9. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. सीईआर के दाहू वृक्षारोपण हेतु पीढ़ी का उपयोग, सुखा हेतु फैसिंग, खाद एवं शिंघाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावर व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- सामिति द्वारा तत्त्वाग्रह सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-
1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छल्कीसमाद वर्याकरण संखान मंडल द्वारा जारी सम्मति राती के पालन में की गई कार्रवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 2. सम्मति प्राप्त वर्धायित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण मात्र की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्पार्जन की मात्रा एवं उद्धरण होसा अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।

3. छिन्नी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरांगन 50 बिलियाम / सामान्य घनमीटर से कम कार 30 बिलियाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने साथै विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित परियोजना उपरांत दूषित जल की नाज़ा एवं उसकी उपचार हेतु सीधेज ट्रीटमेंट प्लाट (प्रोसेस फलो गार्ट सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. हरित पटिका के विकास हेतु कुल शेषफल के 40 प्रतिशत होड में यूआरोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रक्कूल के प्राचार्य (Principa) का सहभागि पन्डि प्रस्तुत किया जाए।
7. सीईआर के नहल यूआरोपण हेतु धीधो का संचयन सुखा हेतु फैशिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक्षा-रखाव के लिए 5 दर्ती का उपचार यथा का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. उपरोक्त यांत्रिक जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.डी.ए.सी., छातीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 को परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(c) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नवती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पाइ गई:-

1. तर्तमान में स्थापित दुकार्हों के हेतु छतीसगढ़ पर्यावरण संचयन भड़क द्वारा जारी सम्मिलित शर्ती के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुओं द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. सम्मिलित प्राप्त नवायित कमता से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की नाज़ा, दूषित जल की नाज़ा / गुणकरता एवं उत्पादन ठोस अपशिष्टों की नाज़ा) प्रस्तुत की गई है।
3. छिन्नी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरांगन 50 बिलियाम / सामान्य घनमीटर से कम कार 30 बिलियाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने तथा विद्युत उद्योग के कुल प्रदूषण भार की नाज़ा यथावत् रखा जाना आवश्यक है।
4. नोटिंग मिल से उत्पादन दूषित जल को कूलिंग उपरांत ढंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। शून्य विस्तारण की सिद्धांत नहीं जाएगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन शामता का सीधेज ट्रीटमेंट प्लाट नवायित किया जाना प्रस्तावित है। सीधेज ट्रीटमेंट प्लाट के अलावत् इनलेट लेन्वर विश द्वारा सञ्चालित हैंडिलाइजेशन प्लाट, एस.डी.आर. हैंक एवं सोटिंग हैंक आदि स्थायित्र किया जाना प्रस्तावित है।
5. हरित पटिका के विकास हेतु कुल सेत्रफल के 15,075.36 वर्गमीटर (35.45 प्रतिशत) होड में यूआरोपण कार्य पूर्ण कर प्रोटोशाखा प्रस्तुत किया गया है। तथा इसके अतिरिक्त कुल 1,700.1 वर्गमीटर खुला क्षेत्र में यूआरोपण कार्य किया जाना



प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 16,775.46 लाख (40 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जाना है।

6. सी.ई.आर. का प्रस्ताव:-

Activity	1st Year	2nd Year	3rd Year	Total (in lakhs)
Plantation of trees in nearby areas	2.75	3.5	4.75	11.0
Road and infrastructure development	6.0	6.0	9.0	21.0
Free workshop & training for local people	4.0	4.0	5.0	13.0
Development & rehabilitation of nearby area	5.0	5.0	5.0	15.0
Total (in lakhs)	17.75	18.5	23.75	60.0

उनके द्वारा प्रस्तुत सी.ई.आर. के तहत कार्य उद्योग का आस-पास के क्षेत्र में किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत यह राशि जल्दिक होने के कारण इको पार्क का निर्माण किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विभार विभारी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निचोड़ लिया गया:-

- प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत मैसारी राम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, फैस-2, तहसील व जिला-रायपुर रिहायत खसरा नंबर 114/(10-12), कुल क्षेत्रफल - 14.928 एकड़ में मूर्गीट-2 एवं मूर्गीट-3 को समायोजित (Merge) कर वर्तमान में स्थापित इष्टकरण फैसले में होट बाहिनी आधारित सीलिंग मिल - 57,800 टन प्रतीवर्ष हेतु पर्यावरणीय रद्दीकरण दिए जाने की अनुशासा की गई।
- दिनांक 10 फॉटिकुलेट मेट्र का उत्तरांग 50 मिलिमीटर/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिमीटर/सामान्य घनमीटर से कम सुरक्षित किये जाने तथा विद्युत उद्योग के कुल प्रदूषण भार की नाज़ा बढ़ावात रखी जाए।
- परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत व्यय की जाने वाली प्रस्तावित नियांसित तकिया करपरे 60 लाख का विस्तृत प्रस्ताव अनुसार इको पार्क निर्माण किया जाने की शर्त पर। यह राशि रूपरे 60 लाख छल्लीसगढ़ राज्य बन विकास निगम नवा रायपुर अटल नगर में जमा किया जाए तथा एस.ई.आई.ए.ए. छल्लीसगढ़ की तादानुसार सूचित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विभार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विभार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभार विभारी उपरांत सर्वसम्मति से समिति की उपरोक्त तभी अनुशासा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत मैसारी राम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, फैस-2, तहसील व जिला-रायपुर रिहायत खसरा नंबर 114/(10-12), कुल क्षेत्रफल - 14.928 एकड़ में मूर्गीट-2 एवं मूर्गीट-3 को समायोजित (Merge) कर वर्तमान में स्थापित इष्टकरण

फर्नेस में हीट बार्डिंग अपारिवारिक रोलिंग मिल - 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्तता शर्ती के अवधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया -

“सी.ई.आर. के तहत इनको पार्क निर्माण हेतु राशि ₹. 60 लाख की उत्तीर्णगढ़ संग्रह वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने उपरात हुसीनी सूखना एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णगढ़ को प्रस्तुत करें। साथ ही उक्त राशि का डिस्ट्रिब्यूशन प्रतीकांक (D.P.R. with estimate) राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) से प्राप्त कर 02 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।”

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्ती का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विविध फैसानिक एवं दण्डालभक ग्राहीकारी की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

12. नेशनल जिला सेण्ट माईन (प्रो.- श्री टिकम चंद चाह), याम-जिला, तहसील व जिला-कोरका (साधिवालय का नम्बरी क्रमांक 1802)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 227203 / 2021, दिनांक 07 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण नामिज) है। यह खदान याम-जिला, तहसील व जिला-कोरका स्थित खस्ता क्रमांक 328, कुल भौतिकल-3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की औषधित उत्खनन क्षमता - 60,000 प्रमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक वर्ते एस.ई.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27 / 01 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुसारी गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपसिंघल हुए। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति सांबंधी विवरण - इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के जरूर में याम पंचायत जिला का दिनांक 14 / 10 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. छिन्हांकित / सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान छिन्हांकित / सीमांकित कर दी गई है।
4. उत्खनन शोधना - माईनिंग एजान प्रस्तुत किया गया है, जो ऊपर संचालक (खनि प्रस्ता.), जिला-कोरका के ज्ञापन क्रमांक 3992 / लालि-८ / 2020 कोरका दिनांक 03 / 08 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरका वो ज्ञापन क्रमांक 3985 / लालि-०१ / रेत नी (जिला) / नं. ३३.

02 / 2021 कोरेशा, दिनांक 03 / 08 / 2021 की अनुसार आवैदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवशिष्ट अन्य रेत खदानों की संख्या निम्नलिखित है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होम्ब्र/सारचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज साक्षा), जिला-कोरेशा के झापन क्रमांक 3984 /खलि-01/रेत नी. (जिला) /न.क. 02 / 2021 कोरेशा, दिनांक 03 / 08 / 2021 द्वारा जारी प्रभाग पर अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होम्ब्र या सार्वजनिक राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, अस्पताल, एन्हीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबन्धित होम्ब्र नहीं है।
7. एलओआई का निवासण – एलओआई भी टिकम घंटे सालू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज साक्षा), जिला-कोरेशा के झापन क्रमांक 2123 खलि-01/रेत नी. (जिला) /न.क. 02 / 2021 कोरेशा, दिनांक 24 / 05 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अपयि 6 माह हेतु दीय थी। प्रत्युत्तीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि एलओआई की दैत्या वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियालीन है।
8. गन खिमाण का अनापसित प्रभाग पर – कार्यालय बननपड़तायिकारी, कोरेशा बननपड़त, खिला-कोरेशा के झापन क्रमांक/ताक.अ./6-18 कोरेशा, दिनांक 20 / 10 / 2021 से जारी अनापसित प्रभाग पर अनुसार आवैदित क्षेत्र निकटतम गन क्षेत्र की सीमा से 1 किमी की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. नहरपूर्ण सरबनाओं की दूरी – निकटतम आवादी चान-जिला 0.6 किमी. नहरपूर्ण याम-जिला 3 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 किमी. राज्यमार्ग 4 किमी. दूर है। स्थीरकृत रेत खदान के 1 किमी. की दूरी तक पुल/एन्हीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जौविविकास संवेदनशील होम्ब्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्राज्यीय रेतीय, राष्ट्रीय उद्यान, अभयासन्धि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड इरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होम्ब्र या घोषित जौविविकास होम्ब्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 269 मीटर, न्यूनतम 229 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 471 मीटर, न्यूनतम 470 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 68 मीटर, न्यूनतम 58 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के बिनारे से दूरी अधिकतम 72 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की गोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईग्रेज प्लान अनुसार खदान में नाईनेवल रेत की मात्रा – 60,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गढ़ों (N/S) खोदकान उसकी कारबंधिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी

प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत महराई 3.15 मीटर है। रेत की वास्तविक महराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. स्थान कोन्न में रेत सतह की लेवल्स — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के बारी तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के शिफ्ट चिन्हों पर दिनांक 08/06/2021 की रेत सतह के बहुमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खणिज दिमाग से प्रभावीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। समिति का मत है कि आरएल सर्वे रिपोर्ट सहित शिफ्ट में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से बारी उपलब्ध निम्नानुसार दिस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
26.76	2%	0.53	Following activities at Nearby Government Bhawan, Village- Jilga	
			Rain Water Harvesting System	0.55
			Running Water Facility for Toilets	
			Total	0.55

समिति का मत है कि ऐन बीटर हार्डिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिवल एवं लम्बाकान भाईंग के बायाम से समिंग बीटर एवं पेय जल हेतु अलग-अलग टंकी स्थापित किया जाएगा।

16. नीड़ आर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। नीड़ आर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्थल की प्राप्ति (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक महराई हेतु प्रस्तुत सुनिनी निरीक्षक से हस्ताक्षरित है, परंतु सुनिनी निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त के संबंध में सुनिनी निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. स्थान के नदी तट पट्टुवा मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान (छासाकान विवरण सहित) में पृष्ठान्तरण हेतु पीली फॉर्मिंग, खाद एवं सिंचाई ताक रख-रखाव के लिए 5 घण्टी का घटकाकार व्यव का विवरण दिस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त स्थानों पर पृष्ठान्तरण किये जाने हेतु रक्षण प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वेशम्भवि से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

- एल.ओ.आई. की फैपला वृद्धि संस्थाएँ दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
- आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड में सर्वेश्वर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
- ऐसा उत्कृशन के लिए प्रस्तावित स्थल पर ऐस की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खानि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) काराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
- सी.ई.आर. का विशेष प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रकूत के प्राचार्य (Principal) का राहमती पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- सी.ई.आर. के तहत ऐन बौटर हाईस्टिट व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिवल पंच लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग बौटर एवं पेप जल हेतु अलग-अलग टक्की स्थापित किये जाने हेतु यिसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान एवं सी.ई.आर. के तहत युक्तारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुखात हेतु फैसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-खाल के लिए 5 टक्की का घटकन्यार व्यय का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान पर युक्तारोपण किये जाने हेतु सकाम प्राप्तिकारी से अनुमति जी प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- उपरीका वाइक्स जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तकांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तादानुसार एस.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) भागिति की 402वीं बैतक दिनांक 16/03/2022:

सभिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अदलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठापित पाई गई:-

- एल.ओ.आई. भी टिक्कम चद साहू के नाम पर है, जो संचालनालय, भीमिकी तथा खणिकर्मी नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन नमांक 620/खानि 02/रेता(Rule7)/न.अ.38/1996 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 14/02/2022 द्वारा फैपला वृद्धि जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (अर्थात दिनांक 23/08/2022) हेतु पैष है।
- ऐसा उत्कृशन हेतु प्रस्तावित स्थल में ऐस जरूर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड ग्रीप में प्रदर्शित कर सर्वेश्वर (Surveyor) के हस्ताक्षर एवं सील सहित सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
- ऐसा उत्कृशन के लिए प्रस्तावित स्थल पर ऐस की वास्तविक नहराई हेतु पंचनामा में खानि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार रेता की उपलब्ध औरत गहराई 3.16 मीटर है।
- सी.ई.आर. के तहत ऐन बौटर हाईस्टिट व्यवस्था को स्थान पर सबमर्सिवल पंच लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग बौटर एवं पेप जल हेतु अलग-अलग टक्की

स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। परन्तु फोटोबल ड्रिंकिंग बाटर फॉसिलिटी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस खाद्य प्रस्तावित संकूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
26.76	2%	0.53	Following activities at Nearby Government Bhawan, Village- Jilga	
			Running Water Facility for Toilets	0.40
			Potable Drinking Water Facility with 5 Year AMC	0.35
			Total	0.75

6. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में 1,500 नग मूलाचंपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए राशि 75,000 रुपये, फॉसिलिंग के लिए राशि 1,97,500 रुपये, खाद्य सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,92,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,64,500 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकदात व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आम पालायन के सहमति द्वारा यथायोग्य स्थान (खसात छगांक 1100/1, धोत्रफल 1 हेक्टेयर) के संचय में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
7. ऐसा उत्थानन गैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य सौडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 गोटर की गहराई तक उत्थानन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्थानन योजना में उत्थानन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक ऐसा पुनर्मरण संबंधी अवधारण कार्य एवं टालसंबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मापदं नदी शोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 गोटर गहराई से अधिक ऐसा का पुनर्मरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा गिरावर गिरावर उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आपेक्षित खदान (ग्राम-जिल्हा) का रकमा 3 हेक्टेयर है। खदान की लीचा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संयोजित खदानी का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान दो-३ लोंगी की मात्री नहीं।
2. दृश्यारोपण कार्य — प्राचार्यिकता की आवाद पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पीछे - 500 नग अर्जुन के पीछे तथा और 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अलिंगिक पहुंच मार्ग पर 500 नग पीछे लगाए जायेंगे। साथ ही रोपित पीछी की आगामी पांच वर्ष तक सुखा एवं रख-रखाव

जहा सम्पूर्ण वायिता परियोजना प्रस्तावक कर होगा। इस आवाय का समय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. परियोजना प्रस्तावक ऐत संदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ताद अध्ययन (Siltation Study) करनेवाला, ताकि ऐत के पुनःभरण (Replenishment) कावल सही आकड़े, ऐत उत्थानन का नदी, नदीताल, स्थानीय बनावटि, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी की पानी की गुणवत्ता पर ऐत उत्थानन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज छोड़ की सतह का बेसलाईन छाटा –
 - i. ऐत खनन उपरी मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं पिंड डिन्डुओं में माईनिंग लीज छोड़ तथा लीज छोड़ के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक सथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्व पूर्व निर्धारित पिंड डिन्डुओं पर किया जाएगा।
 - ii. हरी प्रकार गानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में) ऐत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व इन्हीं पिंड डिन्डुओं पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iii. ऐत सतह के पूर्व निर्धारित पिंड डिन्डुओं पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन यह कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियंत्रण किया जाएगा। पीस्ट-मानसून के आकड़े दिवान्वय 2022, 2023, 2024 एवं प्री-गानसून के आकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनियाय सप से एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वेक्षणीय से गेसर्स जिला सेष्ट गाईन (प्रौ.- श्री टिकम छंद साहू), खसरा ज़िला 328, याम-जिला, तहसील व ज़िला-कोरबा, कुल लीज छोड़फल 3 हेक्टेयर में ऐत उत्थानन अधिकार 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 30,000 घनमीटर प्रतिदर्ष ऐत उत्थानन हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। ऐत की सुदाई अग्रिमो द्वारा (Maturity) की जाएगी। रियर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित ऐत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लाईट तक ऐत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. ऐत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित पिंड डिन्डुओं पर नदी में ऐत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्व कर उसके आकड़े तालिका एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रारंभ पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को शाप्त 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अदलोकन किया गया। विचार विभाग उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षणीय समिति की अनुशंसा को व्योकरण करते हुये गेसर्स जिला सेष्ट गाईन (प्रौ.- श्री टिकम छंद साहू), खसरा ज़िला 328, याम-जिला, तहसील व ज़िला-कोरबा, कुल लीज छोड़फल 3 हेक्टेयर में ऐत उत्थानन अधिकार 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 30,000 घनमीटर प्रतिदर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का विषय सिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये नये शहरी का बालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विविध फैशनिक एवं दर्शावान कार्यालयी की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

13. मेरासी मी कुदरगढ़ी पांचवर एप्पल इम्पारा प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-सरोता, तहसील व ज़िला-सायपुर (संचिवालय का नम्बर 1639)

ओनलाईन आवेदन - पूर्ण मे प्रधोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 62840 /2021, दिनांक 22/04/2021 द्वारा दी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। यहांनाम मे प्रधोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 62840 /2021, दिनांक 15/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त करने के लिए फाईल है आईए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-सरोता, तहसील व ज़िला-सायपुर स्थित खसरा ज़मांक 217/1, 247/9(पार्ट), 253(पार्ट) एवं 262/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 5.06 हेक्टेयर मे प्रस्तावित इण्डक्शन फॉर्म सी.सी.एम. (एम.एस. बिलेट, इगार्डस/हॉट बिलेट्स) क्षमता - 3,63,000 ल्ट अप्रतिवर्ष एवं ही-टील्ड रटील प्रोजेक्टर (ब्यू हॉट चार्गिंग) क्षमता - 3,50,000 ल्ट अप्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रूपरे 92 करोड़ होगी।

एसआईए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकाशन की-1 कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बोर्डलय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल 2016 मे द्राकारित स्टैण्डर्ड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कोर है.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट कोर प्रोजेक्टर/एक्टीविटीज रिकार्डिंग इन्वायरमेंट बलीयरेंस अपडर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 मे दर्जी केरी 3(ए) मेटालजिकल इण्डस्ट्रीज (फैक्टरी एप्पल नीन-फैक्टरी) हेतु रटीप्लाई टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टीओआर जारी किया गया।

लघानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश गौर सी.ई.ओ. तथा मेससं एनालॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत श्री, व्हायेयर, वरिष्ठ पर्यावरण विज्ञानिक उपसमिति हुए। समिति द्वारा नम्बर 1 प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर मिम सिध्ति पाई गई-

1. निकटतम स्थित कियाकर्ताओं संबंधी जानकारी -

- निकटतम आवादी ग्राम-सरोता 1 किमी. एवं शहर लखपुर 6 किमी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन लखनऊ आर.एस. गाँवोनी 4.2 किमी. की दूरी पर स्थित है। १५किमी. दिक्षेकान्द विभागपालगं, माना, सायपुर 19 किमी. की दूरी पर स्थित है। साढ़ीय राजमार्ग 24 किमी. दूर है। खालन नदी 5.2 किमी. दूर है।
- पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि मे अतर्वाचीय तीव्रा, साढ़ीय उदाव, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली प्रौद्युटेड एरिया,

परियोजनाकी जलवायनातील धोब या घोमिला जैवमिक्रो बॉड निष्पत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. लैण्ड एरिया स्टेटमेंट -

S.No.	Land Use	Area (SQM)	Area (%)
1	Built up	10,410	20.49
2	Area under Road and Paved	3,500	6.89
3	Area under Green Belt	20,325	40
4	Open Area	16,577	32.82
	Total	50,812	100

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया है कि खासगत इमारों की 217/1 खासकीय भूमि है तथा उसका क्षमता 247/9(पार्ट), 253(पार्ट) एवं 262/2(पार्ट) नियंत्रित रखायित की भूमि है। उक्त भूमि को हस्तांतरण की प्रति, लैण्ड आवाहनी की प्रति एवं भू-रखायित राशिकी दरवाजेज प्रक्रिया नहीं किया गया है।

4. रोड-ट्रैकिंग -

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Mode Of Transport
1.	For Steel Melting Shop (MS Billets/ Ingots) – 3,63,000 TPA		By road (through covered trucks)
a.	Sponge Iron	3,41,052	
b.	CV Pig Iron /Heavy Melting Scrap	75,594	
c.	Ferro alloys and Aluminium	3,667	
d.	Ramming mass	726	
2.	For Rolling Mill through Hot charging (Rolled Products) – 3,50,000TPA		
a.	Hot billets / MS Billets / ingots	3,63,000	Internal Transfer from own Induction Furnaces and CCM

5. प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी -

S. No.	Unit	Product	Capacity (TPA)
1	Induction Furnaces with CCM (25 MT x4 Nos.)	M.S. Billets	3,63,000
And			
2	Hot Charged Rolling Mill	Rerolled Products	3,50,000

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - इण्डियन कॉर्नेल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु रोटूल ड्रेट कलेक्शन शिस्टम के साथ देग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची डिमनी रखायित किया जाएगा, जिससे पार्टिक्युलेट मेटर उत्तरार्जन 30 बिल्लीशांग/साथान्त धनरीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। हीट चार्किंग आधारित रोलिंग मिल एवं ईधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं विमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। पर्युजिटिव ड्रेट उत्तरार्जन नियंत्रण हेतु जल छिनकान वी व्यवस्था प्रस्तावित है।

7. रोड अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था -

S. No.	Products	Quantity (TPA)	Disposal Method

1.	Defective Billet, Miss Cast and End Cutting	3,630	Reused in own induction furnace
2.	Slag	40,927	Given to metal recovery units
3.	Mill Scale	5,250	Given to ferro alloys /Pellet Plant
4.	Miss Rolls	7,000	Reused in own induction furnace
5.	Refractory Waste	363	Given to authorized recycler and for land fill
6.	Waste Oil/Used Oil	3 KL/annum	Partly used for lubrication and Given to CECB Approved Vendors/authorized recycler

8. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल संग्रहण एवं स्त्रोत - परियोजना हेतु कुल 343 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 17 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 326 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति खालीन नदी से की जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु जल संसाधन किमान में आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल संसाधन किमान से अनुमति उपरांत ही परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाना बताया गया है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रतिशया से दूषित जल उपर्याप्त होगी। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनर्कूरिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु इ.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन लिस्ट) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से घरेलू दूषित जल की मात्रा 13.6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एप्लीकेशन तकनीक आवारित सीबेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 15 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निःसाधन की स्थिति रखी जाएगी।
- भू-जल संपर्योग प्रबंधन - उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार संगी क्रिएटिकल जौन में आता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) बृहद एवं नद्यम उद्योगों को कम से कम 60 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्व्यवाप्त एवं पुनरुपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अवाई गई तकनीक द्वारा रेनवाटर हार्डस्टिंग / ऑफिसिलियल जल रिचार्ज की आवार वर पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्डस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- रेन बॉटर हार्डस्टिंग व्यवस्था - उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 17,875 घनमीटर होगी। रेन बॉटर हार्डस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 7 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 2.7 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन बॉटर हार्डस्टिंग व्यवस्था पश्चात परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। यही रिचार्ज

स्ट्रक्चर से इस प्रकार निश्चित किए जाएंगे कि इनमें रामान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. विद्युत आपूर्ति रखीत - परियोजना हेतु 37 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति उत्तीर्णगढ़ राज्य विद्युत विभाग कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 3 नग 500 के छोटे बांधों का दीजी रोट एकोरिटक इंजलोजर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
10. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी - हरित पटिटका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 203 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 5,075 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। रामिति का नह है कि परिसर के भीतर 43 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं उद्योग परिसर के पहुंच मार्ग 800 मीटर के दोनों ओरके साधन वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। इसी ही वृक्षारोपण के रक्ष-रक्षाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित रखते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है। इसी ही ओपन प्रॅरिया में भी हरितारी निर्माण किया जाना आवश्यक है।

11. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मानिटरिंग कार्य सम्पर्क, 2018 से जानवरी, 2019 के मध्य किए गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर जू-जल गुणवत्ता मापन, 8 जलानों पर घनि सतर मापन, 4 स्थलों पर जलानी जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मौनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₂₅ 12.1 से 45.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₅₀ 45.5 से 141.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ, 5.1 से 24.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ, 9.3 से 33.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर ताई रही है। जो उक्त क्षेत्र के मिहारित मानक के अनुसार है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानवरी प्रस्तुत वी गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरान्त पी.एम. की मात्रा 0.42 माईक्रोग्राम/घनमीटर की गुणि. दीजी. रोट से सत्पार लाईअपसाईक वी मात्रा 0.29 माईक्रोग्राम/घनमीटर की गुणि. एवं एन.ओ., की मात्रा 5 माईक्रोग्राम/घनमीटर की गुणि. होगी।
- iii. परियोजना रूपरेखा के आसपास जल बड़ों की गुणवत्ता भासीय मानक के अनुसार है।
- iv. परिवेशीय घनि सतर (Day time) 48.3 डीबीए तो 71.3 डीबीए एवं घनि सतर (Night time) 39.7 डीबीए से 55.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के मिहारित मानक के अनुसार है।
- v. भारी बाहनों / गल्टी-एक्शन ईवी बाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अव्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत वी गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 4.530 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरान्त 4.917.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। पिस्तार के उपरान्त भी री-मॉटरियल / प्रोडवट्स के परिवहन हेतु सुधक मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

12. समिति का बत है कि वायु मापन हेतु नौकरी में की गई गणना का इनपुट डैम्पु एवं अचर्टफुट रैल्यू (लिये गये करके सहित) का उल्लंघन करती हुई फोटोग्राफर सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. लोक सुनवाई दिनांक 18/08/2021 प्रति 1200 बजे, स्थान - उत्तराहण्डस्ट्रीज एसीसीयोशन के परिसर, उत्तराहण्डस्ट्रीयल बीम्पलेक्स, बिरगाव, जिला-रायपुर में शब्दन्म हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज लादकर सचिव, उत्तराहण्डपर्यावरण संचालन भैंडल, या रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के प्रति दिनांक 13/09/2021 द्वारा प्रैषित किया गया है।
14. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न गुददी एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय की संख्या में सारणीयद्व प्रपञ्च अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया गया है। समिति का बत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीयद्व प्रपञ्च हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. प्रस्तावित कानून विस्तार कार्यक्रमप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 92 करोड़ होना चाहिया गया है, जिसका ड्रेक-आप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. भौमिकरिंग कार्य को घार अलग-अलग जोन (Residential, Commercial, Silent & Industrial) में पृथक कर भौमिकरिंग द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. श्री ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रक्तुल के प्राचारी (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तासमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निचेक लिया गया था:-

1. विनियोग की कुल लागत का ड्रेक-आप प्रस्तुत किया जाए।
2. भूमि हस्तांतरण, लेण्ड डायरेसन एवं भू-संकेती दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। कितनी जासकीय भूमि है? सीमांकन करकर जासकीय एवं विजी भूमि की सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
3. द्वारा प्रवायत का अनापलित प्रभाष्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. आवश्यक जल वी डापूर्ट हेतु जल संसाधन विभाग से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. विमानी से पार्टीकुलेट मेटर वा उत्तरांन 30 मिलियाम/सामान्य पननीटर सुनिश्चित किये जाने वाले विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावित परियोजना उपरांत दूषित जल के उपचार हेतु सीधेज ट्रीटमेंट प्लाट प्रोसेस फलो शार्ट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. कुल हेत्रफल के 49 प्रतिशत हेत्र में पृष्ठारोपण एवं उद्योग परिसर के पांच मार्ग 800 मीटर के दौरी सरक सधन दृष्टारोपण तथा ओपन एरिया में भी हारियाली निर्माण लिये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पृष्ठारोपण हेतु पैदी का रोपण, सुखा हेतु वैसिंग, खाद एवं लियाई तथा रस्ता-रस्ताव के लिए 5 वर्षी का वर्षीवार घटकायार तथा का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. भौमिकरिंग कार्य को घार अलग-अलग जोन (Residential, Commercial, Silent & Industrial) में पृथक कर भौमिकरिंग द्वारा प्रस्तुत किया जाए।



9. पातु मायन हेतु नीचले में की गई शपथ का इन्सुट फैल्यु एवं आउटसुट फैल्यु (लिए गये कारक सहित नोडलिंग गणना) का उल्लेख करते हुये कोटोशाफ्ट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
10. लोक सुनाई में उठाये गये मुद्रों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यकारी की कार्य योजना शारणीकृत प्रणाली (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए।
11. सीईआर का दिसतुत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति यत्र प्रस्तुत किया जाए।
12. सीईआर के तहत युक्तारोपण हेतु फैली का रोपण सुरक्षा हेतु कोशिश, खाद एवं सिंधाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षावर घटनावार व्यव का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
13. उपरोक्त याचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने समात आगामी कार्यकारी की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के लापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) रामिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

रामिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धति पाई गई:-

1. दिनियोग ती बुल स्थान का हेतु—अप प्रस्तुत किया गया है।
2. भूमि हस्तांतरण, लेण्ठ द्वायवसीन एवं भू-संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सीमांकन कराकर शासकीय एवं निजी भूमि की सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

• परियोजना हेतु बुल 5.08 हेक्टेएक्ट भूमि का विवरण निम्नानुसार है—

खासा क्रमांक	वर्तमान में नीतिक रूप से उपलब्ध होनेवाल (हेक्टेएक्ट)	वर्तमान सिद्धति
217 / 1 (नवीन बटांकन में 217 / 48 एवं 217 / 49) शासकीय भूमि जिसे सी.एस.आई.डी.सी. ही लीज पर प्राप्त किया गया है।	3.958	वर्तमान में यह भू-खण्ड उद्योग की राज्य सासान ने सीज पर आवंटन कर लीज ढीक निष्पादित कर दिया गया है। यह भू-खण्ड शासन द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रदत्त है।
247 / 9(पार्ट)	0.413	यह भू-खण्ड औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यवस्थित है।
253 / 9(पार्ट) (नवीन खासा क्रमांक 253 / 6)	0.261	इसे द्वाय बाने हेतु इकारनामा निष्पादित है।
262 / 2(पार्ट) (नवीन खासा क्रमांक 262 / 4)	0.449	इसे नायनी के द्वारा उद्योग स्थापना आरंभ करने के पूर्व अपने पक्षे में पञ्जीकृत कर

		लिया जाएगा।
कुल	5.081	—

- कार्यालय मुख्य नहावंडधर, जिला व्यापार एवं उद्योग बोर्ड, रायपुर द्वारा दिनांक 30/07/2021 को जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्न है:-

“व्यापालय कर्सेकटर, जिला-रायपुर के राजस्व प्रबन्धण क्रमांक 453/59 वर्ष 2020-21 आदेश दिनांक 05/04/2021 के अनुसार छाम-सरोरा, पहनि 89 नं. ग्राम, रायपुर-17 (बीरगांव) तहसील में जिला-रायपुर सिक्षा शासकीय भूमि खासरा नं. 217/1 का भाग रक्कड़ 5.32 हेक्टेयर की औद्योगिक प्रयोजन हेतु उद्योग विभाग उत्तीर्णमढ़ शाकान को अद्वितीय किये जाने के फलस्वरूप भूमि का आधिकारिक राजस्व विभाग से प्राप्त करने पश्चात् सीएसआईडीसी लिमिटेड, रायपुर को सौंपा जाता है।” जिसका खासरा नं. एवं रक्कड़ का विवरण निम्नानुसार है-

खासरा नं.	रक्कड़ (हे.)	कैफियत
217/48	3.42	217/1 का भाग
217/49	1.90	217/1 का भाग
कुल	5.32	—

- उत्तीर्णगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रीजल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निम्नांक सीएसआईडीसी/भू-अर्जन/22/14085 रायपुर, दिनांक 04/03/2022 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उत्तरा के अंतर्गत छाम-सरोरा की खासरा क्रमांक 217/48 (3.42 हेक्टेयर) एवं 217/49 (1.9 हेक्टेयर) कुल 5.32 हेक्टेयर शासकीय भूमि का सीमांकन करने के संबंध में पत्र जारी किया गया है।
- निम्नी भूमि खासरा क्रमांक 247/9(पार्ट), 253/9(पार्ट) एवं 262/9(पार्ट) हेतु विक्रय अनुरोध पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। ताकि ही उक्त खासरों का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु लेण्ड रायपुरसेन की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- छाम पश्चायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में उठी वाक का कथन है कि उपरोक्त भू-खण्ड किसी छाम पश्चायत के अंदर नहीं आता है। प्रस्तावित स्थान नगद विभाग बीरगांव के अंतर्गत आता है, जिससे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। ताकि ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में निम्न अनुरोध किया गया है:-

इआईए अधिसूचना 2006 के संदर्भ में लेख है कि पार्सीवरणीय सौचालियाँ जारी करने हेतु स्थानीय निकाय से अनापत्ति की अनियायीता नहीं है। स्थानीय निकायों से अनापत्ति की आवश्यकता जल (प्रदूषण निकारण एवं नियंत्रण) औद्योगिक 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत सम्बति के लिए अपेक्षित होती है। तरीव उपरोक्त सम्बति प्राप्त करने से पूर्व स्थानीय निकाय से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाएगी। आत परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थानीय पर्यावरणीय नवीकृति जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि उक्त नियती भूमि के समस्त खातरी का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु लेन्ड लायबलन किया गया है। अतः अनावृति प्रस्तुत पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

4. आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु जल संरक्षण विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के संघर्ष में आवेदन किया गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि जल संरक्षण विभाग से अनुमति उपरात ही परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाए।
5. इन्हेजन फॉर्म से बायु प्रदूषण विवरण हेतु सेटल डट कर्सेवेशन सिस्टम के साथ ऐग फिल्टर एवं 30 बीटर छाँटी चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्तरार्जन 30 मिलीमीटर/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डबट उत्तरार्जन की मात्रा 7.89 टन प्रतिवर्ष संभायित होगी।
6. परियोजना से उत्तरार्जन दूषित जल के उपचार हेतु एमबीडीआर लक्नीक आवाहित सीधेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 15 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके अतर्गत धीट रखीन, एनालैटिक, एनीजिक, अौजिक एरेशन, सेटलिंग ट्रैक डिसइन्फेक्शन आदि इकाई रखायित की जाएगी।
7. कुल क्षेत्रफल के 2.18 हेक्टेयर (43 प्रतिशत) क्षेत्र में 5,450 नग युक्तांकण किया जाएगा। इस बाबत सहोचित ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। अतः लेन्ड एरिया र्टैटमेंट गिम्मानुसार है:-

S.No.	Land Use	Area (SQM)	Area (%)
1	Built up	10,410	20
2	Area under Road and Paved	3,500	7
3	Area under Green Belt	21,850	43
4	Open Area	15,052	30
	Total	50,812	100

युक्तांकण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रथम वर्ष में 2,000 नग, द्वितीय वर्ष में 2,000 नग एवं तृतीय वर्ष में 1,450 नग पौधों को लिए रखि 20 साल रखये, रात-राताव के लिए प्रथम वर्ष में 2 लाख रुपये, द्वितीय वर्ष में 2 लाख रुपये, तृतीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तथा आगामी वर्षों में 1 लाख रुपये खाता विभाग जाएगा।

8. मॉनिटरिंग कार्य को चार अलग-अलग जोन (Residential, Commercial, Silent & Industrial) में पृष्ठक कर मॉनिटरिंग डाटा प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार-

Criteria	PM ₁₀	PM _{2.5}	SO ₂	NO ₂
Residential area				
Min	45.5	12.1	5.1	9.7
Max	96.6	35.1	24.7	33.4
Industrial area				
Min	83.1	27	10.5	15.3
Max	141.8	40.5	21.1	28.7
Silent zone				
Min	67.5	20.3	15.7	20.1
Max	79.5	28.3	20.1	25.7
Commercial area				
Min	62.5	20.3	8.0	9.3
Max	99.6	33.8	20.5	26.4

9. यादु भाषन हेतु मौद्रिक संक्षेप में की गई वासना का इनपुट पैल्यु एवं आउटपुट पैल्यु (लिये गये कारक शहित भौमिकिय वासना) का उल्लेख करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
10. लोक सूनवाई ने उदाहरण में मुद्राओं के विवरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य पौजना सारणीयद्वारा प्रयत्न हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया गया है। अतः जानसूनवाई के दीराम मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
 - i. जल संरक्षण अधिकारीय कार्यवाही नहीं की गई है। इनमें एक प्लांट पूर्व से संबलित है। जिसके अंतर्गत 3 एकड़ भूमि में बृक्षारोपण कार्य किया जाता था। परंतु उद्योग प्रबोधन द्वारा बृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
 - ii. कपनी का सीमान्त्रिम वित्त जाए तो आवे से अधिक भूमि शासकीय भूमि है तथा गांव के घास जमीन की कंपनी की भूमि बनाकर उसमें बोयले रखकर कार्य किये जा रहे हैं। ताथ ही स्थानध्य शब्दों परेशानियों का वासना करना चढ़ रहा है।
 - iii. गांव की जमीन को कर्जे के संबंध में राजवाच निरीक्षक के हस्ताक्षर है। लैंगिन उक्त के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होने दिया गया है।
 - iv. उद्योग जाने के रूपों पर गढ़वे हैं, जिससे जावागमन में असुविधा होती है।
 - v. नवानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राप्तिकर्ता दी जाए।
- लोक सूनवाई के दीराम सहायी गते विभिन्न मुद्राओं के विवरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-
 - i. यह एक नवीन उद्योग है। उद्योग द्वारा कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में बृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण एवं स्थानीय विकास हेतु शासन द्वारा नियंत्रित तक्षि को द्याय किया जाएगा।
 - ii. प्रस्तावित उद्योग में कोइले का उपयोग किया जाना प्रस्तावित नहीं है। यह पूरीता, विद्युत आधारित परियोजना है, जिसमें धूलकण के प्रभावी नियंत्रण हेतु इण्डक्शन फैस से भी 30 निलीगाम प्रति घनमीटर से ज्ञान उत्तरांग रखा जाएगा।
 - iii. प्रस्तावित उद्योग की लिए भूमि का अवधान राज्य शासन ने उद्योग विभाग के द्वारा किया गया है एवं निजी भूमि व्यापी से लौज पर प्राप्त किया गया है। अतः विसी भी अन्य भी भूमि पर काढ़ा नहीं किया गया है।
 - iv. उद्योग के पहुंच मार्ग को सुधारने के लिए 65 लाख रुपये एवं बृक्षारोपण कार्य हेतु 10 लाख सी.ई.आर. नद की तहत द्याय किया जाएगा।
 - v. नवानीय बेसीजगारों को उत्तीर्णगढ़ शासन के नियमों के अनुरूप रोजगार हेतु प्राप्तिकर्ता दी जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)			
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)		
			Following activities at Nearby			
			1. Government School, Village-Sarora			
			2. Government Primary School-1 & 2, Village-Bendri			
			3. Government School, Village-Guma			
			4. Government Primary School, Village-Tendua			
9200	2%	184	Rain Water Harvesting System	5.0		
			Potable Drinking Water Facility	2.25		
			Running Water Facility	1.25		
			Solar Lighting System	7.50		
			Bund making and plantation at village pond sarora	30.0		
			Solid Waste Management for village sarora	28.0		
			Reconstruction of road from Sarora to Borjhara passing	25.0		
			Drainage improvement inside the village sarora	30.0		
			Plantation in village panchayat, playground area, road side with fencing & 5 year AMC	10.0		
			Environment Recreation park	15.0		
			Skill Development and training support through village Sarora committee	30.0		
			Total	184		

समिति का नह है कि सीईआर की राशि रुपये 184 लाख को छल्लीसगढ राज्य बन विकास निगम द्वारा रायपुर अटल नगर में जाना कराया जाना आवश्यक है।

12. उद्धीर्ण परिवार के पहुंच मात्र 2,000 बीटर के दोनों तरफ कुल 1,600 नग पौधों का सघन बुझारीपन किया जाना चाहया गया है, बुझारीपन हेतु प्रत्युत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 40,000 रुपये, लैंसिंग के लिए राशि 3,20,000 रुपये, खाद, सिंचाई तथा पख-खाद के लिए राशि 6,40,000 रुपये, हसा प्रकार कुल राशि 10,00,000 रुपये।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विभार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. गोरांव नी कुदरगड़ी पौधर एण्ड इस्पाट प्राइवेट लिमिटेड, याम-सरोरा, तहसील व ज़िला-रायपुर रिहात संसार छानांक 217/48, 217/49, 247/9(पार्ट), 253/6 एवं 262/4, कुल हेक्टेयर में प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस विध सी.सी.एन. (एम.एस. बिलेट, इगादा/हॉट बिलेट) क्षमता - 3,63,000 टन प्रतिवर्ष एवं श्री-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (धू. हॉट चार्झिंग) क्षमता - 3,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा दी गई।
2. जल संसाधन विभाग से अनुमति उपरांत ही परियोजना का बार्य प्रारंभ किया जाए।
3. सीईआर की राशि रुपये 184 लाख को छल्लीसगढ राज्य बन विकास निगम, द्वारा रायपुर अटल नगर में जाना की जाए तथा एस.ई.आई.ए.ए. छल्लीसगढ को सूचित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की उपरोक्त सभी अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेससं नी कुदरगड़ी पौधर एण्ड इस्पाट प्राइवेट लिमिटेड, याम-सरोरा, तहसील व ज़िला-रायपुर रिहात संसार छानांक 217/48, 217/49, 247/9(पार्ट), 253/6 एवं 262/4, कुल हेक्टेयर - 5.08 हेक्टेयर में प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस विध सी.सी.एन. (एम.एस. बिलेट, इगादा/हॉट बिलेट) क्षमता - 3,63,000 टन प्रतिवर्ष एवं श्री-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (धू. हॉट चार्झिंग) क्षमता - 3,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु विभा अतिरिक्त गती के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया :-

“सीईआर के तहत इको पार्क निर्माण हेतु राशि रु. 184 लाख को छल्लीसगढ राज्य बन विकास निगम (Forest Development Corporation) ने जाना करने उपरोक्त इकाई सूचना एस.ई.आई.ए.ए. छल्लीसगढ को प्रस्तुत करने। साथ ही उक्त राशि का विकास प्रस्ताव (D.P.R. with estimate) राज्य बन विकास निगम (Forest Development Corporation) द्वारा प्राप्त कर 02 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।”

साथ ही समिति द्वारा निहित विद्यु गवे शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिक और विधानिक एवं दण्डालक कार्यकारी की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावका को पर्यावरणीय स्वीकृति जाएं किया जाए।

14. बैठक से महीने कुदरतगढ़ी स्टोर क्रांति प्राइवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर— श्री दिनेश कुमार योगल), शाम-ओरंगा, तहसील—रामानुजगंज, ज़िला—बलरामपुर—रामानुजगंज (सचिवालय का नम्रती क्रमांक 1820)
ऑफिसलाइन आवेदन — प्रधानमंत्री — एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 230215 / 2021, दिनांक 23 / 09 / 2021।

प्रक्रिया का विवरण — यह प्रक्रिया विभिन्न प्रक्रिया का खटान है। खटान ग्राम—ओरंगा, तहसील—रामानुजगंज, ज़िला—बलरामपुर—रामानुजगंज लिखा गया। क्रमांक 375/4 एवं 375/5, कुल बीकृतकल—1.0 हेक्टेयर में प्रस्तुतीप्राप्त है। खटान की आवेदित उत्तराधिकारी—शमता—33,440 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तराधिकारी के ज्ञापन दिनांक 09 / 02 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 14 / 02 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सरत कुमार आवार्य, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री अनन्दकांत शुक्ला सहायक प्रक्रियक उपस्थित हुए। समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत अधिकार पत्र में परियोजना प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं है। एकत्र करायी तो समिति के सम्मत बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 15 / 02 / 2022 की आवोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने के लिए समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा गान्धी किया गया है।

समिति द्वारा तत्काल सम्मिलित से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी आवोजित बैठक दिनांक 15 / 02 / 2022 को पूर्व में जाही गई गांधीजित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत दूरभाष के माध्यम से रूबना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15 / 02 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सरत कुमार आवार्य, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री अनन्दकांत शुक्ला सहायक प्रक्रियक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधति पाइ गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खटान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. शाम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र — उत्तराधिकारी को संबंध में जाम पंचायत ओरंगा का दिनांक 10 / 10 / 2019 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराधिकारी का अनापरित प्रमाण पत्र — गाईनिंग प्लान एवं माईन बलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, ज़िला—कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1250 / खगिल / खगि.2 / 2021 कोरिया बिकुन्हपुर, दिनांक 01 / 09 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), ज़िला-बलरामपुर-रामानुजगंगा के ज्ञापन क्रमांक 812/खनिज/उत्तराखण्ड/2021 बलरामपुर दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अपरिवर्त्त अन्य सारानों की संलग्न निरक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होम/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), ज़िला-बलरामपुर-रामानुजगंगा के ज्ञापन क्रमांक 811/खनिज/उत्तराखण्ड/2021 बलरामपुर दिनांक 13/09/2021 हारा जारी प्रभाग यह अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में छोड़ गी सार्वजनिक होम यीसे नरिंगद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल, एमीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल एवं जल अनुर्ति स्तोत आदि प्रतिबंधित होम नहीं हैं।
6. एस.ओ.आई. संबंधी विवरण – एस.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), ज़िला-बलरामपुर-रामानुजगंगा के ज्ञापन क्रमांक 516/गौण खनिज/उत्तराखण्डटा/2021 बलरामपुर दिनांक 10/06/2021 हारा जारी की गई, जिसकी विवरता जारी दिनांक से 1 दर्श की अवधि तक है।
7. घू—स्वामित्व – भूमि भी सुनील कुमार अग्रवाल की नाम पर है। बोर्ड रिसॉल्युशन की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वह दिनेश कुमार गोदाल एवं वी सुनील कुमार अग्रवाल में सर्व वी कुदरतगदी स्टोन काशर प्राइवेट लिमिटेड के हाऊरेक्टर हैं।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापलित प्रभाग पञ्च – कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर बनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.पि./2020/6219 बलरामपुर दिनांक 14/12/2020 से जारी अनापलित प्रभाग पञ्च अनुसार आवेदित सीमा बन होम से 1 किमी की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—ओरंगा 0.31 किमी एवं स्कूल राम—ओरंगा 0.5 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 किमी एवं राज्यमार्ग 19 किमी दूर है। कल्हार नदी 6 किमी दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संरोक्तनील होम – पारियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अंतर्राजीय रीवा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संरोक्तनील होम या घोषित जैवविविधता बोर्ड विभाग नहीं होना प्रतिक्रिया दिया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिपोर्ट लगभग 2,46,400 टन (88,000 घनमीटर), नाईनेक्ट रिपोर्ट लगभग 1,78,001 टन (62,867 घनमीटर) एवं लिंवाइटरेक्ट रिपोर्ट 1,67,200 टन (59,714 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर औरी सीमा पट्टी (उत्तराखण्ड के लिए प्रतिबंधित होम) का होमकल 4,671.39 घनमीटर है। ओपन काश्ट सीमा मेंनाईज़ल विधि से उत्तराखण्ड किया जाएगा। उत्तराखण्ड की प्रस्तावित अधिकारीम गहराई 6 मीटर है। लीज होम में उपरी मिट्टी की गोटड़ी 0.5 मीटर है तथा कुल नाज़ा 5,714.3 घनमीटर है। इस मिट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर युक्तासेपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंध वी ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज होम में क्राशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक

हिस्त से ड्रिलिंग रथ बन्टौल प्रसारण किया जाएगा। खदान में गायु प्रदूषण निवारण हेतु जल का ड्रिलिंग किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्पादन (टन)
2021–22	33,440
2022–23	33,440
2023–24	33,440
2024–25	33,440
2025–26	33,440

नोट: तालिका में दक्षमतव के बाद के अंको को रातुण्डडीक किया गया है।

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.75 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति दम्भुव टेल के सम्मध दो किया जाएगा। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल रातुण्ड बीटर अर्थोरिटी की अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. गृहारोपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 650 नग गृहारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की बीढ़ी सीमा पट्टी में उत्पादन – लौज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्पादन कार्य नहीं किया जाया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सभिति के सम्बन्ध मिरतार से चारों उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Nearby Government Primary School	
			Potable Drinking Water Facility	0.40
			Plantation	
			Total	0.40

17. सीईआर की अंतर्गत "पर्यावरण का" तहत (आवला, बठ धीपल, नीम, आम, अंजुन, बेल आदि) गृहारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीड़ी के लिए राशि 5,300 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 1,37,440 रुपये, खाद शिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 96,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,38,740 रुपये 5 कर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यिसे सभिति द्वारा नान्द किया गया। परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहनाति उपरांत यथायोग्य रखान (दसरावार विवरण सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है तथा रक्कूल में घेटजल की व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं की गई है।

- सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- लीज क्लेच की सीधा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुक्कारोपण हेतु पीछो का रोपण, सुखा हेतु फेसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटकावार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- लीज सीधा से अभ्यासण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वापरविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु बन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अदातन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
- जल की आवृत्ति हेतु सेन्ट्रल शाउण्ड बौटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यालय स्थान का विवरण सहित) एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "परिव्र बन" के तहत (आंवला, बड़ी पीपल, गीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) शाम पश्चात की सहमति उपरात यथायोग्य स्थान (तत्कावार विवरण सहित) की जानकारी प्रस्तुत गी जाए।
- लीज क्लेच की सीधा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुक्कारोपण हेतु पीछो का रोपण, सुखा हेतु फेसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटकावार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- उपरोक्त वाहिन जानकारी/वस्तावेत प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिवेद्य में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/वस्तावेत दिनांक 16/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति वी 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नरसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई:-

- कार्यालय कनमपड़लाधिकारी, कलरामपुर बनमपड़ल, कलरामपुर के ज्ञापन क्लन्क/सा.वि./2020/6219 कलरामपुर, दिनांक 14/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवैदित क्लेच बन क्लेच की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार बताया गया कि रोपरहीत अभ्यासण्य 52 कि.मी. की दूरी एवं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 139 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल शाउण्ड बौटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।
- सी.ई.आर. के तहत परिव्र बन हेतु शाम पश्चात की सहमति उपरात यथायोग्य स्थान (तत्कावार छम्भाक 146, क्लेचफल 1.76 हेक्टेयर) की संबंध में जानकारी प्रस्तुत

की गई है। साथ ही प्रस्तावित कानून में पेशजल व्यवस्था एवं गृहारोपण हेतु प्राचार्य (Principals) का लाभगति पक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. लीज क्षेत्र की सीमा में छाने और 7.5 मीटर की पट्टी में गृहारोपण हेतु 650 नग पीढ़ी के लिए राशि 32,500 रुपये, फॉरेसिंग के लिए राशि 1,35,000 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रक्क-रक्काय जो लिए राशि 1,35,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,02,500 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकावार बाय का प्रियतण प्रस्तुत किया गया है।
5. नाननीय एन.जी.टी., प्रियेश्वर वैद, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र वाणीय विरास्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ओफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में नुक्ता रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय बलेन्टर (खानिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन नम्बर 812/खनिज/एलखनि./2021 बलरामपुर दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की ओर अवधित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (शाम-ओरंगा) का रक्का 1.6 हेक्टेयर है। खदान की रीति से 500 मीटर की परिधि में रक्कीकृत/संचालित खदानों का कुल होत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की नानी गई।
2. साधारण पत्थर की अंतर्गत खनिज का नामकरण हेतु तकनीकी जीव निवारण कर जीव रिफ्ट प्रस्तुत किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से अवैदक - मैसर्स भी कुदरगाही इटीन झज्जर प्राइवेट लिमिटेड (डीवरेक्टर- श्री दिनेश कुमार गौयल) की शाम-ओरंगा, ताहसील-रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के खसरा नम्बर 375/4 एवं 375/5 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल होत्रफल-1.6 हेक्टेयर, शम्भा - 33,440 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा वैठक में विचार - उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संघर्ष 121वीं वैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. विचार विभाग उपरोक्त सभी अनुशंसा को रक्कीकार करते हुये अवैदक - मैसर्स भी कुदरगाही इटीन झज्जर प्राइवेट लिमिटेड (डीवरेक्टर- श्री दिनेश कुमार गौयल) की शाम-ओरंगा, ताहसील-रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के खसरा नम्बर 375/4 एवं 375/5 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल होत्रफल-1.6 हेक्टेयर, शम्भा - 33,440 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति

जारी करने का निषेद्ध किया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शारी का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभिन्न ऐतिहासिक एवं दृष्टिकोणका कार्यवाही की जाएगी।

- सीईआर के अंतर्गत "परिवर्तन बन" के तहत याम पर्यावरण के संबंधित अनुसार यथायोग्य स्थान (खासगदार क्रमांक 146, क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर) का उल्लेख करते हुए सीईआर की राशि (कुल राशि 3,02,500 रुपये) को उत्तीर्णगढ़ राज्य बन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने की सूचना एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णगढ़ को प्रस्तुत किये जाने उपरात ही परियोजना प्रस्तावका को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया जाए।

एचौर्झा आवटन क्रमांक-३ अध्यक्ष बहोदय की अनुमति से अन्वय विषय।

१. गौम समिति के खदानों में पर्यावरण स्वीकृति बाबत।

श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्षेत्र संचालक एसोसिएशन के पत्र दिनांक 09/03/2022 द्वारा गौम समिति के खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 20/03/2015 एवं अधिसूचना दिनांक 27/02/2019 के अनुसार गौम समिति हेतु यही नई नार्यादर्शन के परिवेद्य में उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण सञ्चालन माडल अटल नगर नदा रायपुर के इलापन क्रमांक 9438, दिनांक 25/03/2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्षेत्र संचालक एसोसिएशन द्वारा निम्नानुसार जानकारी/दरतावेज प्रस्तुत किया गया है:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक J-11011/15/2012-4A.(M) दिनांक 20/03/2015 अनुसार "Project Proponent which has a valid and substituting EC for their mining project either under EIA Notification 1994 or EIA Notification 2006, will not be required to obtain fresh EC at the time of renewal of the lease. This is subject to the maximum period of validity of the EC being for mining lease for 30 years." का उल्लेख है, की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी द्वारा अधिसूचना का.अ. 1038 (अ) दिनांक 27/02/2019 द्वारा "खुमिजों के स्थान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता" से तात्पर्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा जिला सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अधिकतम तीस वर्षों की शारी के अध्याधीन, यथा अनुमानित परियोजना काल की अवधि से है।" का उल्लेख है, की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14 शिलांग, 2006 एवं उक्त ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर राज्य सतरीय पर्यावरण इमारत आकलन समिति, नारापुरदेल के इलापन क्रमांक 2596 / एस.ई.आई.ए.ए./19, दिनांक 15/10/2019 द्वारा मेसारा इस्टन मिनरल्स, याम-गोदानवारा, राहसील-जलाला, जिला-टिक्किनगढ़ (मप्र.) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 30 वर्ष के लिए जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त के आधार पर श्री राकेश दुबे, अम्बल रायपुर कँडागढ़ संचालक एसोसिएशन द्वारा घट्टीसगढ़ राज्य में भी गौण खनिज हेतु प्राप्त की गई समस्त पर्यावरणीय स्थीरता की अवधि ऐसी लीज अवधि तक मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संघन 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

- पूर्ण गे जिला स्तरीय पर्यावरण समाप्ति नियरिंग प्राधिकरण द्वारा खदानों के 30 वर्ष से कम की ऐधता अवधि के साथ पर्यावरणीय स्थीरता की गई है, जिसमें से कुछ खदानों की ऐधता अवधि समाप्त हो गई है, परंतु लीज की अवधि ऐसी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस नेटवर्कम द्वारा J-11011/15/2012-IA.||(M) दिनांक 26/03/2015 अनुसार “Project Proponent which has a valid and substituting EC for their mining project either under EIA Notification 1994 or EIA Notification 2006, will not be required to obtain fresh EC at the time of renewal of the lease. This is subject to the maximum period of validity of the EC being for mining lease for 30 years.” का उल्लेख है। जिन्होंने खदानों की ऐधता 30 वर्ष की पूर्ण समाप्त हो गई है एवं उभयों लीज की अवधि ऐसी है। इस संबंध में मार्गदर्शन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया जाना आवश्यक है।
- यारीमान में जिला स्तरीय पर्यावरण समाप्ति नियरिंग प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति भग हो चुकी है, जिसके कारण समस्त प्रकल्पों के आवेदनों को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाण आकलन प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निशाकरण किया जा रहा है। अतः ऐसे प्रकल्पों में निशाकरण किये जाने हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता प्रतिपादित हो रही है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से विर्णव लिया गया था कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं विधि विभाग (Law Department) से उपल गी सर्वत्र में स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पत्र लेता किया जाए।

श्री राकेश दुबे, अम्बल रायपुर कँडागढ़ संचालक एसोसिएशन के पत्र दिनांक 22/04/2022 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12/04/2022 को जारी अधिसूचना की प्रति सालान कर, गौण खनिज की खदानों में पर्यावरणीय स्थीरता लीज अवधि/30 वर्ष तक मान्य करने वाला पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संघन 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/अधिसूचना का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12/04/2022 की अधिसूचना जारी किया गया, जिसमें उल्लेखित तत्त्व निभानुसार है—

“Provided further that the regulatory authority may also consult the concerned Expert Appraisal Committee before grant of such extension.

(iv) The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier".

प्राधिकरण द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त अधिसूचना के परिपेक्षे ने लाकल प्रभाव से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु प्रकरण को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एसईएसी, छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक अनुच्छाद इनपन के साथ संपन्न हुई।

(आर. पी. शिवराम)

राज्य सारीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)

अध्यक्ष,
राज्य सारीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

Gok

(डॉ. दीपक शिंह)

सचिव

राज्य सारीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़